खण्ड-295, अंक-10
मंगलवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1894
(4 अप्रैल, 1972 ई0)

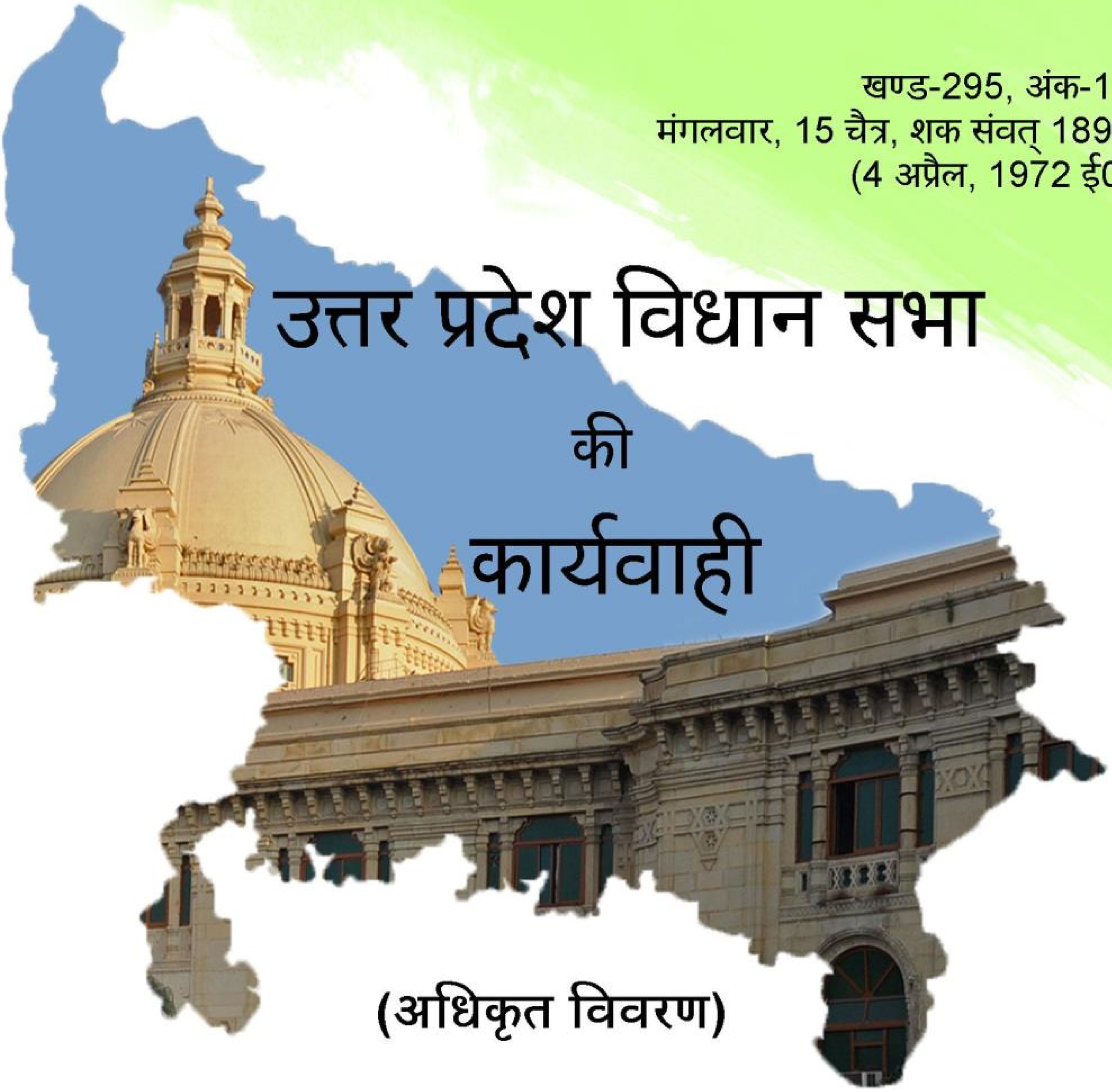

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 295 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	855–859
प्रश्नोत्तर	859–888
उत्तर प्रदेश शीत गृह संघ के पर्चे को सदन के पिंजन होल में रखने के सम्बन्ध में सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना (जारी)	888
आश्वासन समिति का 38 वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	888–891
प्राक्कलन समिति का आठवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	891
प्राक्कलन समिति का नवम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	891–892
थाना दुधारा, जिला बस्ती की पुलिस द्वारा ग्राम बाधनगर, जिला बस्ती के करामत तथा उसकी पुत्र-बधू, तहरुन्निसा के साथ गिरफ्तारी के बाद कथित अत्याचार के सम्बन्ध में वक्तव्य	892–895
स्वदेशी काटन मिल्स व जे0 के0 काटन मिल्स, कानपुर के मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य	895–904
शाहजहांपुर में रामगंगा तथा बेगुल नदियों द्वारा हो रहे कटान के सम्बन्ध में वक्तव्य	904–906
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	906–909
प्रश्नोतर काल में श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री उपाध्यक्ष के बीच हुई बातचीत के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	909–910
नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के सम्बन्ध में जानकारी	910–911
1972–73 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	911–942
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	942–949
रेस्टोरेन्ट की व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायत	949–950
उत्तर प्रदेश शीत गृह संघ के पर्चे को सदन के पिजन होल में रखने के संबंध में सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना	950–951
नत्थियां	952–958

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 4 अप्रैल, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--370

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलरानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण भगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जुदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० भन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिनहा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महमद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री
(जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवन्द्रदत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी

राम पूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री जिला आजमढ़ (रानी की सराय)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुराफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
बिशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोषकुमारी, श्रीमती
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री

सतीश चन्द्र, श्री
सन्त राम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुख लाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्य नाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीब उल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बक्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 4 अप्रैल, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषकों को खलिहान शेड बनाने की योजना

**1—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में असमय वर्षा के कारण खलिहान में बहुत सारा अनाज भीग कर खाने योग्य नहीं रहता, इस क्षति को रोकने के हेतु कृषकों को अपने शेड बनाने के लिये कृषि विभाग द्वारा टिन दिलाने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और नहीं, तो क्यों ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

कृषकों को शेड बनाने के लिये टिन दिलाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है। इसका कारण भारत सरकार से लोहा एवं स्पात की उपलब्धि न होना है।

श्री नौनिहाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब सरकार यह जानती है कि वर्षा के कारण लाखों मन गल्ला हर साल खराब हो जाता है, सरकार ने किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिये क्या भारत सरकार से कोई लिखा पढ़ी की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या भारत सरकार से उसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

भारत सरकार से लिखा पढ़ी की गयी है, लेकिन अभी तक उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है जिसम ग्राम सभाएं अपने टिन शेड बनायें ताकि ऐसी कैलेमेटिज का मुकाबला किया जा सके ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ग्राम सभायें चाहें तो अपन शड्स बना सकती हैं।

श्री नौनिहाल सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश के टीन के कोटे में से कुछ कोटा इसके लिये रिजर्व कर देंगे जिसको निदेशक द्वारा बांट दिया जायगा, कृषि कार्यों के लिये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, वह कोटा तो किसी चीज के लिये एलाट नहीं होता। ऐसी चीजों के लिये भारत सरकार को लिखा जाता है, वह अलग से देती है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

क्या इसके लिये सरकार ग्राम सभाओं को कोई सहायता देगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

यदि इस प्रकार का कोई मामला सामने आयेगा तो उस समय उसको देखा जायगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि टीन की हर जिले में बहुत कमी है ? शासन ने इस संबंध में क्या प्रयत्न किये हैं ? अगर प्रदेश के कोटे से काम नहीं चलता है तो क्या सरकार इस संबंध में कोई विशेष व्यवस्था किसानों को टीन दिलाने की करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

राज्य सरकार न भारत सरकार को लिखा है कि वह हमें कृषकों की सहायता करने के लिये टीन का कोटा दें।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

यह समस्या गत वर्ष उत्पन्न हुई थी अब इसको 12 महीने से ज्यादा हो गये हैं। भारत सरकार को प्रदेश की सरकार की ओर से कब लिखा गया और अगर उनका जबाव नहीं आया तो क्या उनको कोई रिमाइन्डर भी दिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

यह पत्र 14 जनवरी को लिखा गया था।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अगर टिन शैड ग्राम सभायें बनवायें तो क्या सरकार उनको सहायता देगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी ने भारत सरकार से टीन मांगी है अथवा कोई आर्थिक सहायता मांगी है? यह उन्होंने अपनी किस स्कीम के मातहत मांगा है जिसके बारे में भारत सरकार के पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

टीन के संबंध में उनको लिखा गया है और कहा गया है कि यह मैटीरियल हमको दे दिया जाय ।

कृषि विभागीय कर्मचारी आन्दोलन तथा उनकी मांगें

**2—श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद), श्री वंश गोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं और उनके नेता, श्री अरोड़ा को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है ? यदि हां, तो क्यों ? कृषि विभाग के कर्मचारियों की मांगें क्या हैं, सरकार उन्हें कब तक पूरा करेगी ?

कारागार उप मंत्री (श्री राम पूजन पटेल)—

कृषि निदेशालय के लिपिक वर्ग कर्मचारी आन्दोलन कर रहे थे । श्री अरोड़ा भूख हड़ताल पर बने रहने के कारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये थे और जमानत पर छोड़ दिये गये हैं । इनके विरुद्ध धारा 309 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा दर्ज किया गया है । लिपिक वर्ग की मांगें निम्न प्रकार थीं जिनमें एक मांग चपरासी वर्ग से संबंधित थी—

1—प्रशासनिक अधिकारियों के दो पद कृषि निदेशालय के ज्येष्ठ कर्मचारियों द्वारा भर जाय एवं सचिवालय के दो अधिकारी जो इन पदों पर कार्यरत हैं, को सचिवालय वापस कर दिया जाय ।

2—सांख्यकीय सहायकों के 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा कम्प्यूटरों की श्रेणी से भरे जायं ।

3—उन चपरासियों को जो साइक्लोस्टाइल की मशीन पर काम करते हैं, 5 रु० प्रति माह विशेष वेतन दिया जाय ।

4—कृषि निदेशालय के मुख्य लेखाधिकारी के पद को कृषि विभाग के लेखाधिकारियों में से भरा जाय ।

उक्त मांगें शासन के विचाराधीन हैं और अन्तिम निर्णय शीघ्र लेने हेतु व्यवस्था की जा रही है ।

श्री राम गोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि श्री अरोरा को कितने दिनों तक जेल में रखा गया है ? और कितने दिनों के बाद उसको छोड़ा गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

20 मार्च की रात में गिरफ्तारी की गई थी और 21 मार्च को छोड़ दिया गया जमानत पर ।

श्री राम गोपाल संड—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सचिवालय के 2 अधिकारी इस निदेशालय में काम कर रहे हैं तथा मुख्य लेखा परीक्षक पद पर जो काम कर रहे हैं, वह कब से इस विभाग में हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

कई वर्ष से काम कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को इन कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में सचना कब प्राप्त हुई और इस सम्बन्ध में कर्मचारियों को कोई आन्दोलन न करना पड़े और भूख हड़ताल की स्थिति में न आये, सरकार ने कौन-कौन सी कार्यवाही की ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अपनी मांग के सम्बन्ध में आन्दोलन के पूर्व वे माननीय कृषि मंत्री जी और मुझसे 15–20 दिन पहले मिल चुके थे और आन्दोलन से 2–3 दिन पूर्व भी मिले थे और शांति पूर्ण समाधान के लिये बातचीत चल रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने आन्दोलन शुरू कर दिया।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचरियों की मुख्य मांगे क्या-क्या थीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो बता दिया।

श्री बंश गोपाल शुक्ल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री अरोड़ा जो कृषि विभाग यूनियन के अध्यक्ष थे, उनको पकड़ कर पीटा भी गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इसकी जानकारी हमें नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन उचित मांगों को मानने में सरकार को क्या आपत्ति है और क्या कठिनाई है?

श्री उपाध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि विचार किया जा रहा है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

कोई कठिनाई नहीं है, उन पर विचार किया जा रहा है।

श्री बंश गोपाल शुक्ल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी क्या कठिनाई है कि इन कर्मचारियों की उचित मांगों को मानने के लिये कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

विचार तो उस पर किया ही जा रहा है उसमें कठिनाई क्या बतायें, बाकी हम सहानुभूति-पूर्वक उन पर विचार कर रहे हैं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

इन मांगों के विषय में निर्णय कब तक लेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपध्याय--

बहुत ही शीघ्र निर्णय ले लिया जायगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सामुदायिक विकास विभाग के एक वर्ष से अधिक की सेवा वाले राजपत्रित अधिकारियों का लोक-सेवा-आयोग द्वारा अनुमोदन

*1--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभागों में अलग-अलग ऐसे राजपत्रित अधिकारियों की क्या संख्या है जो विभाग में एक वर्ष से अधिक से सेवा कर रहे हैं औ नियमानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कराया गया है ? उनके नाम व पद भी बताये जावें ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित) --

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 952 पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह जो सूची दी गई है उसमें एक वर्ष से अधिक, अधिक से अधिक कितने समय तक के अधिकारी हैं जिनका अभी तक अनुमोदन लोक-सेवा-आयोग से नहीं कराया गया है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी 31 ऐसे हैं जिनका-लोक-सेवा आयोग से अभी तक एप्रूवल नहीं लिया जा सका है और यह क्लास 2 के 7 ऐसे हैं जो 225--500 के हैं, जिनका एप्रूवल लोक-सेवा-आयोग से नहीं लिया जा सका है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जिनकी एप्रूवल नहीं ली जा सकी है, उसकी लिस्ट तो मेरे पास है । इस लिस्ट में जो एक वर्ष से अधिक के राजपत्रित अधिकारी ऐसे हैं जिनकी एप्रूवल नहीं ली गयी है । कितने अधिकारी ऐसे हैं, जिनकी 4, 5 वा 7 साल अथवा उससे भी अधिक समय से एप्रूवल नहीं ली गयी है, वे कौन-कौन अधिकारी हैं और क्यों नहीं ली गयी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

स्थिति ऐसी है कि कछ अधिकारी तो बी० डी० ओ० के पद पर लोक सेवा आयोग से चुने गये किन्तु उनका प्रमोशन हुआ और प्रोमोशन होकर वे सन 1867 से और 1971 तक के हैं, जिनकी लोक सेवा आयोग स स्वीकृति नहीं ली गयी है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

श्रीमन्, मेरे पूरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने यह पूछा था कि क्यों नहीं हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

कहीं कोई गल्ती जरूर रही है जिसके कारण यह नहीं हुआ है। अब यह चीज सामने आयी है। मैं जल्दी से जल्दी स्वीकृति के लिए लोक सेवा आयोग को भेजने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे आचार्य प्रचार प्रशिक्षण केन्द्र का 13-7-70 को भेजा जा चुका है परन्तु लोक सेवा आयोग ने कुछ आपत्तियां उठायी है, उनके जबाव भी जा रहे हैं। दूसरे जो जिला नियोजन अधिकारी हैं उनकी भी सूची लोक सेवा आयोग को 12-11-71 को भेजी जा चुकी है परन्तु वहां से अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

नियमानुसार किस अवधि के अन्दर लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

एक वर्ष के भीतर लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

जिन अफसरों की गल्ती से उनके नाम लोक सेवा आयोग को नहीं भेजे गये, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैं इस मामले को देख रहा हूं कि क्यों बिलम्ब हुआ है।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

क्या यह बात सही है कि लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के लिए जितने भी कर्मचारी हैं, उनके कैरेक्टर रोल्स, उनकी परफार्मेंस, उनके एचीवमेंट्स आदि के आंकड़े तैयार होते हैं और तभी उनकी टिप्पणी भेजी जाती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह बात सही है और इसीलिए मैंने कहा कि जिनकी सूची लोक-सेवा-आयोग के अनुमोदन के लिए भेजी गयी है, उसमें उन्होंने कुछ आपत्तियां की हैं और इस तरह की आपत्तियों के निराकरण सरकार करे भी तभी उनका अनुमोदन किया जा सकेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

आज यहां विधान सभा में जबाव देने के पूर्व क्या आपने देखा कि गल्ती किसकी है ? क्या आप उसको पकड़ पाये हैं ? यदि हां, तो आपने क्या कार्यवाही तजवीज की है, या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जैसा मैंने निवेदन किया, अभी तो मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं कि यह बिलम्ब किस कारण से हुयी है। अभी थोड़ा समय लगने की संभावना है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय सामुदायिक मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस लम्बी फहरिस्त की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु क्या हर एक की बाबत अथवा कुछ एक को ही बाबत लिखा गया है ? अथवा कितनी बार ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैंने कुछ का उल्लेख किया है जिनकी सूची लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ गयी है। एक तो आचार्य प्रशिक्षण केन्द्र है, १२ और एक उनमें सहायक विकास आयुक्त प्रशिक्षण (13 एहें)। 12 नियोजन अधिकारी हैं, इसकी तिथि भी दे दी है। लोक सेवा आयोग को इनके नाम भेजे गये हैं। लेकिन जो वहां से आपत्तियां हुई हैं उन आपत्तियों का जबाव तैयार करके भेज रहे हैं।

*2--श्री राम रतन पांडेय--

[मा० सदस्य ने वापस लिया]

हाथरस क्षेत्र समिति के ब्लाक आर्गनाइजर, पी० आर० डी०, श्री रामसिंह त्यागी का स्थानान्तरण

*3--श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस क्षेत्र समिति में कितने ऐसे ब्लाक आर्गनाइजर, पी० आर० डी० हैं जो स्थानीय हैं उनका तबादला करने में सरकार की क्या नीति रही है जो स्थानीय भी वहां पर वर्षों से रह रहे हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

हाथरस क्षेत्र-समिति में एक ब्लाक आर्गनाइजर, पी० आर० डी०, श्री राम सिंह त्यागी स्थानीय ो 13 सितम्बर, 1969 से तैनात हैं। इस संबंध में शासन की यह नीति रही है कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारी होने के कारण क्षेत्र संगठन कर्त्ताओं के उनके निवास के ब्लाक को छोड़ कर गृह जनपद में रखने में कोई आपत्ति नहीं है। श्री त्यागी के स्थानान्तरण के आदेश प्रसारित करने के लिये प्रशासकीय समादेष्टा प्रादेशिक विकास दल को लिखा जा चुका है।

श्री राम प्रसाद देशमुख--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आपने अन्त में बताया कि उनको कार्यवाही हेतु भेजा दिया गया है, तो क्या उसमें यह लिखकर भेजा गया है कि उनको यहां से तुरन्त ट्रांसफर कर दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, उनको उसी जिले के किसी दूसरे ब्लाक में ट्रांसफर करने के लिये लिख दिया गया है।

रुद्रपुर नगरपालिका, जिला नैनीताल में पी० ए०सी० का भवन निर्माण

*4--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतावेंगे कि जिला नैनीताल की नगरपालिका, रुद्रपुर के अन्तर्गत जिस नजूल भूमि को पी० ए० सी० के भवन निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा लिये जाने की योजना है, इस सम्बन्ध में नगरपालिका के पत्रांक 345/71, दिनांक 19 जुलाई, में जो सुझाव और आपत्ति जिला अधिकारी द्वारा शासन को प्रस्तुत हुए, इसमें अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

रुद्रपुर में प्रश्नगत नजूल भूमि का आधिपत्य पी० ए० सी० को देने के बाद ही नगरपालिका ने जिलाधिकारी को आपत्ति पत्र, दिनांक 19 जुलाई, 1971, प्रस्तुत किया जिलाधिकारी ने नगरपालिका की आपत्तियों को निराधार बताया है। अतः शासन द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री इन्द्रलाल--

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश महोदय ने नगरपालिका की आपत्तियों को निराधार बताया है? इन आपत्तियों को किस माने में निराधार बताया गया है? क्या मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, नगरपालिका अध्यक्ष ने नगर विकास की आवश्यकता की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए लिखा था कि यह भूमि पी० ए० सी० को न दी जाय। इसी जमीन के पास 77 एकड़ जमीन और पड़ी हुई है और उसके अतिरिक्त भी जमीन पड़ी हुई है, जहां नगर का विकास हो सकता है। इसलिये उस जमीन के बारे में आपत्तियों को जिलाधीश ने स्वीकार नहीं किया।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पी० ए० सी० ने उस जमीन का कब्जा कब लिया? और नगरपालिका ने कब आपत्ति की और उनकी मुख्य-मुख्य आपत्तियां क्या हैं?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, जमीन का कब्जा उनको २९ जून को दिया गया है। नगरपालिका का अब जिस वक्त कब्जा किया गया तो उनके अधिकारी मौजूद थे और चार्ज सर्टिफिकेट्स पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। जहां तक अध्यक्ष की आपत्तियां थीं, वह पत्र मेरे पास हैं। आप कहें तो मैं पढ़ दूं लेकिन विशेष रूप से यही आग्रह किया था कि यह जमीन नगरपालिका के विकास के लिये उपयुक्त रहेगी। इसको पी० ए० सी० को न दिया जाय उसे विकास काम में लाना चाहते हैं जबकि उनके पास और भूमि भी थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर नगरपालिका के जनसंघ के अध्यक्ष हैं? जनसंघ का वहां पर बहुमत है और सामान्य रूप से यह नीति सरकार की रही है कि जो नगरपालिका के अध्यक्ष की संस्तुति हो तो नगर के विकास के लिये सरकार उसको स्वीकार करती है तो इस स्थिति में यह एक एक्सेप्शन क्यों हैं?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, स्वामी जी को थोड़ा सा भ्रम रहता है। 29 जून को पी० ए० सी० ने उस पर कब्जा लिया और १९ जुलाई को वहां के अध्यक्ष ने आपत्ति प्रकट की और जिस वक्त कब्जा लिया तब वहां उनके अधिकारी मौजूद थे। उनकी स्वीकृति से हुआ। बाद में अगर उन्होंने ने आपत्तियां कीं तो उसको शासन क्या कर सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैंने प्रश्न कुछ पूछा था और उत्तर कुछ मिल रहा है। श्रीमन्, आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। यह बात सही नहीं है। आप इतना तो विचार करें और इस बात को जानें.....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं कुछ नहीं जानता। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आपको जानना पड़ेगा। मैं सवाल कुछ पूंछ रहा हूं और उत्तर कुछ दिलवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से नहीं...आप कोई विशेष सदस्य नहीं हैं...आप बैठ जायं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह आपका गलत रवैय्या है।

श्री इन्द्रलाल---

मेरे इस प्रश्न को सही मानते हुए नगर की जो भूमि पी०ए०सी० को दी गई है, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स कालेज हैं, तो पी०ए०सी० के जवानों को शहर के नजदीक भूमि देने के लिये सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

यह जानकारी प्राप्त की जायेगी कि वहां पी०ए०सी० ने अगर निर्माण-कार्य नहीं किया है तो सरकार इस पर पुनः विचार करेगी।

श्री बांकेलाल---

मेरा एक निवेदन यह है कि पहले मंत्री लोग उचित उत्तर नहीं देते हैं तो मुख्य मंत्री जी को यह चाहिये कि अपने मंत्रिमंडल को सजग कर दें और कह दें कि तैयार होकर सदन में आवें और सदन में सवालों का सही उत्तर दें। दूसरा निवेदन मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि जब वहां कोई आदेश आप दें तो गुस्से में मत दें, शान्ति पूर्ण होकर दें ताकि सदन की मर्यादा कायम रह सके।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं हमेशा शान्ति रखना चाहता हूं। मगर उनको अपनी बात कहनी थी तो उसको मौका होना चाहिये न कि अशान्ति पूर्ण वातावरण पैदा करना चाहिये। मैंने जब दूसरे को बुला दिया तो आसमान नहीं फट जायगा, न धरती फट जायेगी....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आपके रहते आसमान भी फट जायेगा और धरती भी फट जायेगी...

श्री उपाध्यक्ष---

आप शान्त होकर व्यवस्था बनाये रखेंगे तो सदन की मर्यादा रहेगी...

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं बराबर सब्र करता रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इस तरह से सदन में समय नहीं देता। जब इन्द्रलाल जी का सवाल समाप्त हो जायगा, तभी होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आपको उस स्थान की मर्यादा का पालन करना होगा.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप अमर्यादित स्वयं हैं। मेरे इतना कहने के बाद भी आप नहीं समझ सकते।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं इतना जब्त करने के बाद बोलता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि ऐसा प्रश्न नहीं था जिसमें अत्यधिक गर्मी की जरूरत होती। मैं समझता यह हूं कि स्वामी जी ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया। उन्होंने प्रश्न यह किया था कि रुद्रपुर म्युनिसिपैलिटी में जनसंघ का बहुमत है और नियम यह है और यह परम्परा है कि साधारणतया जब कोई अध्यक्ष नगर के विकास के लिये कोई प्रस्ताव करता है तो सरकार उसे स्वीकार कर लेती है। स्वामी जी ने कहा था कि इस मामले में स्वीकार क्यों नहीं किया गया और एक्सेप्शन किया। उसका उत्तर कदाचित स्वामी जी ने सुना नहीं। उत्तर में यह भी कहा गया कि जब यह जमीन दी गई थी नगरपालिका के अधिकारी वहां पर मौजूद थे और उनके सामने यह दी गई थी। एक महीने के बाद अध्यक्ष ने इस प्रकार की आपत्ति उठाई। शासन तो कुछ कर नहीं सकता था इसलिये वह बात पहले से ही स्वीकृत हो चुकी थी और नगरपालिका के अधिकारियों के सामने स्वीकार हो चुकी थी। एक महीने के बाद जब चुनाव हुआ तो जो उसके अध्यक्ष थे उन्होंने इस प्रकार की आपत्ति उठाई थी। आप अनुपूरक प्रश्न कर लें। आपका डिप्टी स्पीकर होकर पर आक्षेप करने का क्या कारण हो सकता है?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, यह जो उन्होंने उत्तर दिया है, वह श्री रामधारी शास्त्री के प्रश्न का उत्तर दिया है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह मामला यह नहीं है कि जनसंघ का बहुतमत वहां पर है अथवा नहीं लेकिन प्रश्न यह है कि अध्यक्ष, नगरपालिका जब नगर के विकास के लिये कोई प्रस्ताव करे तो शासन उसको स्वीकार कर लेता है। वह क्यों नहीं स्वीकार किया गया, इसका उत्तर उन्होंने दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष ---

जब कोई प्रश्न करता है और उसके उत्तर से अगर कोई सन्तुष्ट नहीं होता है तो फिर दूसरा प्रश्न कर लेता है। लेकिन जब दूसरे को प्रश्न करने का मौका दिया गया तो उसके अधिकारों का अतिक्रमण करना कहां तक उपयुक्त है? उनके सवाल करने के बाद मैं फिर आपको मौका देता। अब जो प्रश्न किया गया है उसका ही तो उत्तर दिया जायेगा, अनायास ही किसी के मन से कोई उत्तर निकलवा लेना कहां तक संभव हो सकता है? यह प्रश्न नहीं है कि बहुमत जनसंघ का है अथवा किसका है। आप इस प्रश्न को गम्भीर समझ रहे हैं और उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मैं कह रहा हूं तो आप बैठिये। आप दलभावना से प्रेरित होकर यह चाहते हैं कि यह प्रश्न राजनैतिक हो जाय।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उनका उत्तर भिन्न है । आपके कार्यकलापों से मुझको संतोष नहीं हो सकता । यह आपकी निरंकुशता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपनी निरंकुशता को दूसरे पर लादना चाहते हैं । मैं दलगत या राजनैतिक प्रश्न के यहां पर उठाये जाने की आज्ञा नहीं दे सकता । जिस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है वह दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

जिस समय यह भूमि पी० ए० सी० को दी गई उस समय नगरपालिका गठित नहीं हुई थी जिलाधीश ही उसके प्रशासक थे । उन्होंने ही यह भूमि दी । जब एक मास के बाद चुनाव हुये। जनता द्वारा जो नगरपालिका गठित हुई उसने ही यह आपत्ति प्रस्तुत की है।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

हमारे पास यह कोई रिपोर्ट नहीं रहती है कि नगरपालिका के अध्यक्ष किस पार्टी के हैं । हमारे सामने तो केवल अध्यक्ष का प्रश्न रहता है । नगरपालिका के अध्यक्ष ने एक मास के बाद लिखा । जिस समय यह किया गया था उस समय नगरपालिका का गठन हुआ नहीं था लेकिन उसके अधिकारी तथा सेक्रेटरी तो थे । जो सेक्रेटरी था, वह मौजूद था और उसने हस्ताक्षर किये थे ।

श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)--

उस समय चुनाव नहीं हुये थे । मेरा प्रश्न यह है कि जब चुनाव हो गये और जब लिखा गया कि उसको न दिया जाय तो क्या कार्यवाही की गई और जो स्वीकृति दी वह कब दी, उससे पहले या बाद में?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जब उनकी स्वीकृति हो गई और भूमि पर पी० ए० सी० का आधिपत्य हो गया तो हम कर ही क्या सकते थे ?

श्री राजेंद्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)--

मैं मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था । मंत्री जी ने यह कहा था कि विस्तार-पूर्वक लिखकर दो, सरकार विचार करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तारपूर्वक मंत्री जी को लिखकर दिया था कि नेशनल डेवलपमेंट में भविष्य में क्या समस्यायें खड़ी होंगी। यह जानकारी दी कि पी० ए० सी० के निर्माण के लिये जो जगह है, वह 180 एकड़ है और नगर से मिली हुई है । मंत्री जी ने कहा था कि वह विचार करेंगे, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

भूमि 140 एकड़ ही है । मैंने कहा था कि आप लिखकर दे दें तो जानकारी की जावेगी और अगर पी0 ए0 सी0 ने निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है तो शासन विचार करेगा ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि रुद्रपुर नगरपालिका नई है। बहुत सी भूमि उसके पास में पड़ी हुई है, तो क्या नगर के विकास को देखते हुये वह पी0 ए0 सी0 के लिये नगर के बाहर भूमि का प्रबन्ध करेंगे ताकि यह जमीन नगर के विकास के लिये रक्खी जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो सरकार अवश्य इस पर विचार करेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

मैं निश्चित रूप से बतला सकता हूं कि कोई निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है और उससे ज्यादा उचित स्थान बतला दिये गये हैं, जहां भवन निर्माण का कार्य कराया जा सकता है ।

तालबेहत, जिला झांसी में महिला चिकित्सालय

*5—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तालबेहत, जिला झांसी में महिला चिकित्सालय खोलने संबंधी मांग वहां के नागरिकों द्वारा लम्बे अर्से से की जा रही है ? इस संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

जी नहीं । किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर भगवतदयाल सिलोइया—

तालबेहत जिला झांसी में महिला चिकित्सालय न होने के कारण उन्हें झांसी जाना पड़ता है । जो अमीर लोग हैं, वे चले जाते हैं लेकिन गरीब या तो भगवान के आसरे रहते हैं, या मौत के घाट उत्तर जाते हैं । क्या मंत्री जी एक महिला चिकित्सालय खोलने पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम तालबेहत, जिला झांसी में महिला अस्पताल की स्थापना संबंधी कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । तालबेहत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्य कर रहा है । केंद्र के अस्पताल में पुरुषों की चिकित्सा के लिये चार शैय्यायें तथा महिलाओं के लिये दो शैय्यायें हैं ।

डाक्टर भगवतदयाल सिलोइया—

वहां कोई भी महिला चिकित्सालय नहीं है । केवल अनट्रेंड दाइयां हैं, और केवल नाममात्र पर काम होता है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां एक महिला चिकित्सालय होना जरूरी है । क्या उनकी समस्या को देखते हुये मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

माननीय सदस्य यदि लिख कर दे देंगे, तो विचार कर लिया जायेगा।

थाना चिनहट, जिला लखनऊ द्वारा कायम मुकदमे के मुल्जिमान

*6--श्री अनन्तराम जायसवाल--

प्रश्न संख्या 18 व 19 नत्थी (ग) दिनांक 4 जनवरी, 1972 के उत्तर के तारतम्य में क्या सरकार बतायेगी कि थाना चिनहट पर धारा 408, 409, 420 व 477ए0 ता0 हि0 के अन्तर्गत, दिनांक 17 जुलाई, 1971 को कायम किये गये मुकदमें में मुल्जिमान को गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

इस मुकदमें की तफतीश विशेष अन्वेषण विभाग, लखनऊ के द्वारा की जा रही है। कुछ अभिलेख अन्वेषण कर्ता को काफी प्रयत्न के बाद प्राप्त हो सके हैं और कुछ महत्व-पूर्ण अभिलेख प्राप्त करना शेष हैं जिसके लिये अन्वेषण कर्ता संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किये हुये हैं। इस अभियोग में अभियुक्त गण ने अपनी सफाई में जो तथ्य रखे हैं उनकी छानबीन भी आवश्यक है। जब तक हर तथ्य पर अच्छी तरह विवेचना नहीं हो जाती है तब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है।

जुग्गौर सहकारी गन्ना विकास समिति के उपाध्यक्ष द्वारा कथित गबन

*7--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या वर्ष 1967-1971 के बीच जुग्गौर के सहकारी गन्ना विकास संघ के उपाध्यक्ष द्वारा गबन किये गये एक लाख चौरासी हजार पैंतीस रुपये की उनसे वसूली के लिये आर्बीट्रेशन में कोई वाद प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो कब और कार्यवाही किस स्टेज पर है ? और यदि नहीं, तो क्या सरकार वाद प्रस्तुत करके उपाध्यक्ष की चल व अचल सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां। आर्बीट्रेशन वाद दिनांक 16-2-72 को प्रस्तुत किया गया ह। बाद में कुछ औपचारिकतायें अभी पूरी नहीं की गई हैं। उन औपचारिकताओं के पूरी हो जाने के बाद ही निबन्धक, सहकारी गन्ना समितियां, द्वारा एवार्ड दिया जा सकेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री जी को पता है कि यह गबन 1967 से जनवरी, 1971 के बीच में किया गया, और इसकी रिपोर्ट थाना, चिनहट में 17-7-1971 को दर्ज हुई ? अगर यह सब जान-कारी है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक इनवेस्टिगेटिंग अफिसर को संबंधित कागजात क्यों नहीं मिले ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इसमें पहले सर्किल इंसपेक्टर से जांच करायी जा रही थी। इसके बाद जांच बदल दी गयी एस0 आई0 एस0 को। फिर बाढ़ के कारण केन कमिश्नर आफिस के कुछ अभिलेख नहीं मिल सके। कुछ अभिलेख प्राप्त हो गये हैं। शेष के प्राप्त होने पर जांच करायी जायेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस केस को जांच हुये लगभग 9 महीने हो गये । इसके रिकार्ड कहां पर हैं ? कुछ रिपोर्ट आई० ओ० को मिल गयी है और कुछ बाकी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय

यह तो तफसील का सवाल है । पूर्ण रूप से नहीं बता सकते हैं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुछ विभागों से कागजात मिल चुके हैं, और कुछ से नहीं । 9 महीने हो गये हैं इस केस में । इसको देखते हुये क्या मंत्री जी कोई ऐसे आदेश देंगे जिससे कि विभाग से कागजात बरामद हो जायं और मुल्जिमों के खिलाफ कायवाही की जा सक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

आई० जी० को शीघ्र कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल गबन की धनराशि कितनी है और क्या यह सही है कि इन उपाध्यक्ष ने भवन निर्माण, तथा आलमारी आदि कुछ सामान खरीदने के लिये कुछ अग्रिम धन लिया है ? और वगैर संचालक मंडल की स्वीकृति के 1 लाख 84 हजार के करीब रुपया ले लिया है, 43 का इनको लोन भी मिला है, और इनके बाप के नाम जो 12 हजार का अवार्ड था वह भी इनके नाम हो गया है, इसके अलावा 5 लाख रुपया खाद का फेडरेशन का गबन मिला है ? यदि हां, तो कुल अमाउन्ट कितना है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

एफ० आई० आर० में एक लाख 84 हजार 35 रुपये के गबन की बात कही गयी है । इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

आई० जी० को पत्र कब लिखा है?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मैंने कहा है लिखा जा रहा है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मंत्री जी बतलाने की कृपा करगे कि यह वाद कब प्रस्तुत किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

16 फरवरी, 1972 को ।

श्री राजितराम पांडेय—

यह गबन का मामला किन के विरुद्ध है?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

एक हैं श्री तारिक मोहसिन किदवई, उपसभापति, दूसरे हैं एक अकाउन्टेंट, श्री कलाश नारायण बाजपेयी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

4 जनवरी, 1972 को भी इसी प्रश्न का जब यहां उत्तर दिया गया था तो वह बताया गया था कि "जुग्गौर कोआपरेटिव डेवलपमेंट यनियन लि० जुग्गौर, जिला लखनऊ 1,84,035 रुपये के गोलमाल का मामला प्रकाश में आया है.." इसकी जिम्मेदारी उप सभापति पर डाली गयी थी। तो उस समय जब आपने यह जवाब दिया था तो बगैर जांच किये तो आपने यह जिम्मेदारी उन पर डाली नहीं होगी, जांच के बाद ही उन पर यह जिम्मेदारी डाली होगी, तो फिर अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

एफ० आई० आर० दर्ज के होने के बाद मामले की जांच एस० आई० एस० कर रहा है। जब वह जांच कम्पलीट हो जायेगी, उस सब के बाद अगर आरोप सही पाया गया तो मुकदमा आदि चलाया जायेगा।

(दिनांक 4 अप्रैल, 1972 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

नोटिफाइड एरिया, भवाली को नगरपालिका में परिवर्तित किया जाना

*1--श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र, 71 के नवें मंगलवार के प्रश्न संख्या 33 के प्रश्न के संबंध में यह स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से प्रशासनिक दृष्टिकोण थे जिनके कारण नैनीताल जिले की महत्वपूर्ण नोटिफाइड एरिया, भवाली को नगरपालिका में परिवर्तित नहीं किया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

1--नोटीफाइड एरिया कमेटी भवाली को नगरपालिका में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर वहां के निवासियों से अनेक आपत्तियां प्राप्त हुईं जिन पर जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् शासन ने यह निर्णय लिया कि भवाली नोटीफाइड एरिया को नगरपालिका न बनाया जाय।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट--

सन् 1968 में किन कारणों से जिला मैजिस्ट्रेट ने नगरपालिका बनाने के बारे में सिफारिश की थी और अब किन कारणों से सिफारिश नहीं की है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

उस संस्तुति के ऊपर जो कार्यवाही की जानी चाहिये थी, वह की गई। वह जो नोटीफाइड एरिया है, उसके 6 सदस्यों ने उसका विरोध किया था। इसके अलावा वहां के प्रमुख व्यक्तियों ने भी उसका विरोध किया था, इस कारण शासन को यह निर्णय लेना पड़ा।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

साधारणतया किसी नोटिफाइड एरिया को नगरपालिका में परिवर्तित करने के क्या आधारभूत सिद्धांत सरकार ने निर्धारित किये हैं, जिसके आधार पर वह नोटिफाइड एरिया को नगरपालिका में परिवर्तित करने की कार्यवाही करते हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जो नगर विकसित हो सकते हैं जहां की आय 50,000 रुपये से ऊपर है, ऐसी जगहों की नोटिफाइड एरिया को नगरपालिका में परिवर्तित कर सकते हैं।

श्री डूंगर सिंह विष्ट--

सरकार यह अच्छी तरह से जानते हुये कि भुवाली नोटिफाइड एरिया पूर्ण रूप से विकसित है और इस मांग का वहां के मेम्बरों द्वारा भले ही किसी दलगत राजनीति के कारण विरोध किया गया है, क्या उसकी विकसित अवस्था को देखते हुए उसको भविष्य में नगर पालिका बनाने के लिये विचार कर सकते हैं?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

सन् 1971 के पूर्व की जन गणना के अनुसार वहां की आबादी 14 सौ के करीब थी। यह देखते हुए कि अब और विकसित हुआ, जन संख्या बढ़ी होगी, शासन इस पर विचार करेगा।

*2--श्री शिवानन्द नौटियाल

[निरस्त]

पौड़ी-गढ़वाल में फल पटटी योजना

*3--श्री डूंगर सिंह विष्ट--

क्या कृषि मंत्री बतलायेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल में अब तक कौन-कौन फल पट्टी योजनायें स्वीकार की गई हैं और उनमें से प्रत्येक में 15 मार्च, 72 तक क्या प्रगति हुयी है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जिला पौड़ी गढ़वाल में चतुर्थ योजना के लिये चार फल पट्टियों का चयन किया गया है प्रत्येक की 15 मार्च, 1972 तक प्रगति इस प्रकार हैं।

फलपट्टी	स्थापित उद्यानों का क्षेत्र (हेक्टर)	औद्यानिक ऋण वितरण (रुपया)
1	2	3
1--पौड़ी देवप्रयाग	100.07	51,765
2--नोठा-भरसार गगनीखाल	3.32	..
3--पीपलीपानी पैडुल-श्रीनगर	8.75	25,000
4--बुआखाल गडोली	15.60	10,980
योग ..	127.74	87,745

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पौड़ी गढ़वाल में चतुर्थ योजना के लिये 4 फल पट्टी योजनाओं का चयन किया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं जब इस हेतु ऋण भी दे दिया गया है, 4 फल पट्टी योजना में कितने प्लाट्स आबंटित कर दिये गये हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इस पर मैंने कहा है 127.74 हेक्टर भूमि में उद्यान स्थापित किये गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यह देखते हुए कि अब तक पहाड़ की जितनी फल पट्टी योजनायें रही हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारी हड़प बैठे हैं, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनका आबंटन किस आधार पर होगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

आगरा जिले के खण्ड विकास अधिकारियों का निलम्बन

*४--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आगरा के किस-किस विकास खंड के कौन-कौन खंड विकास अधिकारी माह जून, १९७१ से माह दिसम्बर, १९७१ तक की अवधि में किन कारणों से निलम्बित किये हैं ? क्या यह सच है कि निलम्बन आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व कथित आरोपों की प्रारम्भिक जांच भी नहीं की गई ? यदि हां, तो प्रारम्भिक जांच के पूर्व ही प्रागदर्शन में आरोपों के सिद्ध न होते हुये भी निलम्बन का क्या आधार है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

केवल एक खंड विकास अधिकारी, विकास खंड, खैरागढ़ (आगरा) बीज की अनधिकृत बिक्री तथा उवर्रक की चोरबाजारी आदि आरोपों के कारण निलम्बति किये गये ।

उनके विरुद्ध शिकायतों की प्रारम्भिक जांच उप विकास आयुक्त, आगरा मंडल से प्राप्त होने के उपरान्त ही उन्हें निलम्बित किया गया था ।

श्री कल्याण सिंह--

क्या यह सत्य है कि खंड विकास अधिकारी, खैरागढ़ के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये हैं ? और उन्हें सवेतन बहाल कर दिया गया है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जो आरोप उनपर लगाये गये थे उनकी जांच के लिये एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो कि वहां के जिला नियोजन अधिकारी हैं। और उन्होंने अपनी संस्तुति की, उनके संबंध में जांच जारी रखी जाय किन्तु उनका निलम्बन बहाल कर दिया जाय ।

श्री कल्याण सिंह--

क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि विकास खंड अधिकारी, खैरागढ़, आगरा का निलम्बन कुछ राजनीतिक कारणों से किया गया था ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

इसकी सूचना तो हमारे पास नहीं है ।

बिजनौर जिले के फीमेल वेलफेयर वर्कर का वेतन

*5--श्री कल्याण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बिजनौर की ऐसी कौन-कौन "फीमेल वेलफेयर वर्कर" (परिवार नियोजन) ऐसी हैं, जिनको वर्ष १९६५ में उनके वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप बढ़े हुए माह अप्रैल, 1965 से माह मार्च, 1970 तक की अवधि के

अवशेष देय वेतन की धनराशि को दिनांक 15-1-72 तक भुगतान नहीं किया गया है ? उक्त धनराशि के भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? और यह कब तक प्रदान कर दिया जायेगा।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

बिजनौर जनपद में केवल एक परिवार कल्याण कार्यकत्री श्रीमती बृजबाला ऐसी हैं जिन्हें अप्रैल, 1965 से मार्च, 1970 तक की अवधि का वेतन निर्धारण के फलस्वरूप बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जा सका है ।

इसका कारण यह है कि इनके सेवा संबंधी अभिलेख अपूर्ण थे तथा उन्हें पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके पूर्ण होते ही अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया जायगा।

श्री कल्याण सिंह---

यह बड़ी दुखद स्थिति है कि अप्रैल, 1965 से मार्च, 1970 तक एक अल्पवेतन भोगी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया गया है । आप कहते हैं कि सेवा संबंधी अभिलेख अपूर्ण थे। मैं जानना चाहता हूं कि इन अभिलेखों की अपूर्णता का कारण क्या है ? क्या आपने पता लगाया है कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

इसके कारण यह है कि यह पहले सुल्तानपुर में थीं फिर ट्रांस्फर होकर बिजनौर आ गयीं उन्होंने फिर बढ़े वेतन की मांग की, तो अभिलेख अपूर्ण थे, उनको सुल्तानपुर भेजा गया कि इन की सेवा पुस्तिका के अभिलेखों को पूर्ण कर दिया जाय, वहां से उत्तर आने पर, अभिलेख पूर्ण हो जाने के बाद कहा गया है कि उनको तुरन्त पेमेंट कर दिया जाय ।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि एक महीने के अन्दर ही चूंकि इतनी पुरानी बकाया देनी है, शासन इस प्रकार का प्रबन्ध करेगा कि उन्हें एक महीने के अन्दर वेतन का बकाया मिल जाय ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

हमने आदेश दे दिये हैं कि शीघ्र से शीघ्र इनका पेमेंट कर दिया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या यह सही है कि नियमित रूप से सेवा अभिलेख तैयार नहीं होते हैं और जब तक कर्मचारी दूसरे जिले में ट्रांसफर हो जाता है तो उसके साथ भेजे नहीं जाते हैं ? अगर यह सही है तो उसके लिये कार्यवाही करेंगे कि नियमित रूप से अभिलेख तैयार किये जायं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

हां, इस संबंध में अवश्य कोशिश की जायगी कि जल्द से जल्द अभिलेख पूरे किये जाया करें ।

गन्ना ग्राम सेवकों का वेतन-क्रम

*6-श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1967 में गन्ना ग्राम सेवकों के वेतन-क्रम में सुधार के लिये तात्कालिक कृषि उत्पादन आयुक्त श्री राम सहाय की अध्यक्षता में कोई कमेटी

बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त कमेटी ने क्या निर्णय लिया और कमेटी के सुझाव के अनुसार गन्ना ग्राम सेवकों के वेतन-क्रम से सुधार के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

दिनांक 25 मार्च, 1969 को विधान सभा की बैठक में कृषि मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति में गन्ना ग्राम सेवकों की मांगों पर विचार करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन मई, 1969 में हुआ न कि 1967 में। इस समिति में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त वित्त सचिव द्वारा मनोनीति सदस्य भी सम्मिलित थे। गन्ना ग्राम सेवकों के वेतन मान में सुधार किये जाने के संबंध में इस समिति ने यह संस्तुति की कि उनका वेतनमान रु० 65-1-70 द० रो०-1-75-द० रो-1-83 द० रो०-2-90 से बढ़ाकर रु० 75-2-85-द०रो०-2-97-द० रो-3-115 कर दिया जाय। शासन ने समिति की संस्तुति पर विचार करके यह निर्णय लिया कि हाई स्कूल परीक्षा पास गन्ना ग्राम सेवकों का वेतन मान दिनांक 1-10-1970 से बढ़ाकर रु० 75-2-85-द० रो-2-97-द-रो-3-115 कर दिया जाय और हाई स्कूल परीक्षा पास से कम योग्यता वाले गन्ना ग्राम सेवकों का वेतनमान रु० 65-1-70-द० रो०-1-75-द० रो-1-80-द०रो०-2-90 ही रहने दिया जाय। तदनुसार, आदेश दिनांक 23 अक्तूबर, 1970 को जारी कर दिये गये।

*7--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समितियों तथा गन्ना विकास परिषद् के अधीनस्थ कार्य करने वाले गन्ना ग्राम सेवकों का वेतन-क्रम राजकीय गन्ना ग्राम सेवकों के वेतन-क्रम में अन्तर है? यदि हां, तो समान कार्य और समान वेतन के सिद्धांत मानकर वेतन बराबर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

जी हां। गन्ना सहकारी समितियां एवं गन्ना विकास परिषद् स्वायत्त शासी संस्थायें हैं। शासन द्वारा इनके अधीनस्थ गन्ना ग्राम सेवकों के लिये उपरोक्त वेतन-क्रम स्वीकार करना संभव नहीं है।

श्री रामकरन सिंह--

माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दो प्रकार का वेतन उस कमेटी ने रेकमेंड किया है, उसमें क्या बुनियादी आधार यह खत्म हो गया है कि समान काम करने वाले को समान वेतन दिया जाय ? वह सिद्धांत इससे प्रतिपादित नहीं होता है, एक ही प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति को दो प्रकार की तनख्वाह दी जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इसका निर्णय करते समय योग्यता का भी ध्यान रखा गया है।

श्री रामधारी शास्त्री--

ये जो विकास परिषदें तथा गन्ना समितियां है उनके ग्राम सेवकों की यह मांग थी कि पंचायत मंत्रियों की तरह उनको भी सरकारी नौकर मान लिया जाय, क्या सरकार इस संबंध में जल्दी घोषणा करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

यह तो नया प्रश्न है।

श्री रामधारी शास्त्री--

नया प्रश्न नहीं है । प्रश्न के आखिर में आप देखें वह इसी से जुड़ा हुआ है। विकास परिषदों तथा गन्ना समितियों के ग्राम सेवकों ने यह मांग की थी कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाय तो क्या माननीय मंत्री इस प्रकार की घोषणा करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इस पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है ।

*8--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

राजकीय आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सक संघ, उत्तर प्रदेश का प्रतिवेदन

*9--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें राजकीय आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सक संघ उ० प्र० का प्रतिवेदन जिसमें उनकी मांगों का उल्लेख है सन् ७१ के अंतिम दो माह में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

जी हां।

कुछ मांगों पर निर्णय ले लिया गया है और अन्य मांगों पर विचार किया जा रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं विरोध स्वरूप खड़ा नहीं हो रहा हूं ।

तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी के मलेरिया विभागीय कर्मचारियों का वेतन

*10--श्री इन्द्रलाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील के मलेरिया विभाग में कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों, जैसे स्वास्थ्य निरीक्षक आदि का वेतन गत कई मास से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

एक स्वास्थ्य निरीक्षक को दिन तथा एक बी० एच० डब्लू० को १० दिन ड्यूटी से अनुपस्थित पाने के कारण उन्हें उक्त अवधि के लिये बिना वेतन छुट्टी स्वीकृत की गई और फलतः उनका उन दिनों का वेतन काट लिया गया ।

एक बी० एच० डब्लू० के चिकित्सा अवकाश की अवधि का वेतन इस कारण नहीं दिया जा सका कि उनका चिकित्सा प्रमाण-पत्र अभी सिविल सर्जन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होकर नहीं प्राप्त हुआ है।

*11--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*12--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला परिषद्, बलिया में ओवरसियरों एवं अभियन्ताओं का साक्षात्कार

*१३—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद में जिला परिषद् के अन्तर्गत अक्तूबर व नवम्बर, १९७१ में कुछ अभियन्ता और ओवरसियरों की नयी नियुक्ति के लिये साक्षात्कार हुआ ? यदि हां, तो सरकार की किस शासनादेश के अन्तर्गत और उक्त पदों की भर्ती के लिये सूचना का प्रकाशन कब और किस समाचार पत्र में किया गया ? तथा इसकी सूचना स्थानीय सेवा नियोजन कार्यालय को कब दी गई और सेवा नियोजन कार्यालय ने किन-किन अभ्यर्थियों का नाम उक्त पदों के लिये भेजा था और उक्त साक्षात्कार में कौन-कौन व्यक्ति किस-किस योग्यता व अनुभव के आये और उनमें से किसका चुनाव किया गया?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

नहीं ।

*14--श्री शम्भूनाथ चौधरी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार इस बात की जानकारी भी करेगी कि उक्त नियुक्ति में जिस व्यक्ति को अभियंता के पद पर चयन किया गया है वह इसके पूर्व बलिया जिला परिषद् में ठेकेदारी का काम करता रहा है और उसको उसके काले कारनामे के कारण ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया था ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को उक्त पद पर चुनने का आधार क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न नहीं उठता ।

*15--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*16--श्री हुकुम सिंह परिहार--

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित]

ग्राम खानपुर, जिला बुलन्दशहर को नगरक्षेत्र घोषित किया जाना

*17--श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री जिला बुलन्दशहर के सबसे बड़े गांव, खानपुर को जिसकी जनसंख्या लगभग 10 हजार है शीघ्रातिशीघ्र नगर क्षेत्र घोषित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

खानपुर में टाउन एरिया बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

आगरा जिले में लाहा की फसल को माहू से हानि

*१८—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को मालूम है कि जिला आगरा में वर्तमान लाहा में कीड़ा लगने से लाही की फसल को भारी नुकसान हुआ है और किसानों की भारी मांग के बावजूद भी उनको कीड़ों को मारने की दवा प्राप्त नहीं हो पाई। यदि हां, तो इस लापरवाही के लिये उन अधिकारियों को दंड देगी जिनकी अकर्मण्यता के कारण फसल बरबाद हो गई और कोई सरकारी सहायता किसानों को उपलब्ध न हो सकी ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

आगरा जनपद में लाहा की फसल पर माहू (चेपा) कीट का प्रकोप हुआ था और समय से ही नियंत्रण कार्य प्रारम्भ कर दिये गये थे, जिससे कोई हानि नहीं होने पाई।

किसानों को उक्त कीड़े मारने की दवा प्राप्त न हो पाने की कोई शिकायत विभाग को नहीं मिली है।

जनपद में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक रसायन तथा यंत्र पहले से ही उपलब्ध थे और अन्य जिलों से अतिरिक्त यंत्र एवं कार्यकर्ता भी वहां भेजे गये थे। नियंत्रण कार्य के लिये प्रयोग होने वाले रसायन की जनपद में कभी कमी नहीं रही। चूंकि किसी की लापरवाही नहीं थी अतएव किसी को दंड दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*19—श्री सियाराम—

[5 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

म्युनिसिपल बोर्ड, बांदा का स्वास्थ्य निरीक्षक पद

*20— श्री श्यामलाल रावत (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा के अन्तर्गत म्युनिसिपल बोर्ड में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद का कार्य नरेनी ब्लाक के स्वास्थ्य निरीक्षक करते हैं, जब कि अतर्रा म्युनिसिपल बोर्ड महुआ ब्लाक में आता है और वहां सेनीटरी इन्सपेक्टर है। यदि हां, तो क्या सरकार वहां का चार्ज महुआ ब्लाक के सेनीटरी इन्सपेक्टर को देने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। अतर्रा म्युनिसिपल बोर्ड का कार्य महुआ ब्लाक के सेनेटरी इन्सपेक्टर को देना प्रशासनिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा क्योंकि अतर्रा महुआ ब्लाक से 14 मील दूर है जबकि नरैनी ब्लाक से वह केवल 10 मील ही दूर है।

*21—श्री सतीशचन्द्र—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत अधिकारियों की पदोन्नति

*22—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् 71–72 में कितने अधिकारियों की सहायक निर्देशक तथा विशेष अधिकारी पौष्टिक आहार योजना के पद पर पदोन्नति की गई है और उसमें कितने अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारी हैं तथा पदोन्नति करने का क्या आधार रक्खा गया है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सन् 1971–72 में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत सहायक निदेशक तथा विशेष अधिकारी के पद पर किसी अधिकारी की पदोन्नति नहीं की गई है। अतः पदोन्नति के आधार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामनिहोर राय—

सन् 1971–72 में विशेष अधिकारी जनजाति के पद पर श्री राम प्रसाद जाटव भूतपूर्व हरिजन कल्याण अधिकारी तथा श्रीमती शीला अग्रवाल नियुक्त किये गये हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामनिहोर राय--

यह सूचना कब तक मिल जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब आप प्रश्न करेंगे तक सूचना मिल जायगी ।

जिला परिषद् बहराइच के मालियों का वेतन

*23--श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला परिषद्, बहराइच में मालियों का वेतन नवम्बर, सन् 1967 तक मु0 70 रु0 प्रतिमाह नियमित बिल द्वारा दिया जाता था और फिर अकारण दिसम्बर, 67 से मु0 45 रु0 प्रति माह करके अस्थायी मजदूरों की भांति मस्टर रोल पर दिया जाने लगा और अब उसी अस्थायी मजदूरों की भांति मु0 60 रु0 माहवार दिया जा रहा है । यदि हां, तो क्या सरकार समय की मांग को देखते हुये उनकी सेवाओं को नियमित करके अन्य विभागों के उसी हैसियत के कर्मचारियों की भांति वेतन दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

(क) जी हां ।

(ख) ऐसा निर्णय जिला परिषद् बहराइच ने अपने प्रस्ताव दिनांक 30 अक्टूबर, 1967 द्वारा लिया है ।

जहां तक सेवाओं को नियमित करने का सम्बन्ध है यह जिला परिषद् के कार्य क्षेत्र की बात है और इसमें शासन द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पारसनाथ सिंह--

क्या सरकार 60 रुपया माहवार वेतन इस महंगाई के समय में एक परिवार के भरण-पोषण के लिये उचित समझती है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, जिला परिषद् की आय के जो साधन हैं उनको देखते हुये जिला परिषदें स्वयं अपना निर्णय करती हैं ।

श्री पारसनाथ सिंह--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह उनकी आय के साधन के आधार पर माना है । जिला परिषदों के अध्यापकों का वेतन क्रम समय-समय पर बढ़ाया जाता है तो क्या सरकार अनुदान के रूप में इन 60 रुपये पाने वालों के वेतन को बढ़ाकर अन्य उसी हैसियत के कर्मचारियों के समान वेतन बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, अगर जिला परिषद् द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव आयेगा तो अवश्य उस पर विचार कर लिया जायेगा।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 23 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*24—श्री पारसनाथ सिंह—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*25—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*26—श्री उपेंद्रनाथ दीक्षित, श्री रामकुमार दीक्षित —

[3रे गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*27—श्री भानु प्रताप सिंह—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

गोरखपुर के विकास क्षेत्र खोराबार में राजकीय एलोपैथिक अस्पताल

*28—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जांचकर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र खोराबार के अन्तर्गत आने वाले गांव राजी जगदीशपुर में कोई राजकीय एलोपैथिक अस्पताल खोलने से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र सन् 70–71 में प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो इस पर अब तक शासन ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ का यात्रा भत्ता

*29—श्री वीरेंद्र वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ जिला भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा 1969–70 में फरजी यात्रा भत्ता लेने की कोई शिकायत शासन को प्राप्त हुई है । यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

कृषि निदेशक द्वारा शिकायती-पत्र पर जांच की जा रही है।

*30—श्री चेतराम गंगवार

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बरेली का पत्र

*31—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली के जिला स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से दिनांक 28 जुलाई, 1971 तथा 29 जुलाई, 1971 के पत्र निदेशक स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो जिला परिषद् द्वारा संचालित तीन प्राइमरी चिकित्सा केंद्र नवाबगंज, बहेड़ी और फरीदपुर के प्रांतीयकरण पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ।

प्रदेश के पंचायत मंत्री

*32—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायत मंत्रियों को किस विभाग का कर्मचारी माना जाता है ? क्या सरकार उनको सरकारी सेवा में लेकर उनके स्थायीकरण पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पंचायत मंत्रियों को दिनांक 1 अक्टूबर, 1971 से सरकारी कर्मचारी घोषित किया जा चुका है । निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं । अभी यह पद अस्थायी है । अब उनकी सेवा शर्तें स्थायीकरण आदि, राज्य कर्मचारियों की तरह हैं ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के लेक्चरर एवं इक्जामिनर

*33—श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि 1970–71 की परीक्षा तक राजकीय आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ की बी0 ए0 एम0 एस0 एस0 कोर्स के एलोपैथिक (मेडिकल ऐंड सर्जरी) के लेक्चरर और इक्जामिनर दोनों एलोपैथिक डाक्टर तथा आयुर्वेद भाग (चिकित्सा एवं शल्य) के लेक्चरर व इक्जामिनर आयुर्वेदाचार्य हुआ करत थ ? यदि हां तो इस वर्ष उस स्कीम को बदलकर आयुर्वेदाचार्यों को ही दोनों भागों के इक्जामिनर नियुक्त करने का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

संबंधित प्रास्पेक्टस के प्राविधानों के अनुरक्षण में ऐसा किया गया है ।

*34—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*35—श्री राम सिंह खन्ना—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

कृषि मन्डी समितियों का चुनाव

*36—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि मन्डी समितियों के चुनाव कब सम्पन्न होने जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

गांव पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के बाद अविलम्ब मंडी समितियों के चुनाव कराये जायगे ।

*37—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*38–39—श्रीमती मसाली देवी—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर के ग्राम पंचायतों का विघटन

*40—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत क्रमशः गांव पंचायत कोड़ा, मलाकापुर तथा शाहजहांपुर खालसा क्या शासन द्वारा विघटित की जा चुकी हैं या ऐसा करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तथा किन विशेष परिस्थितियों वश ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील की गांव सभा कस्बा कोड़ा, मलाकापुर तथा शाहजहांपुर खालसा को मिलाकर कोड़ा जहानाबाद नामक टाउन एरिया बना दी गई है।

*41—श्री इन्द्रजीत—

[2रे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बहराइच जिले के प्रायमरी हेल्थ सेन्टर अथवा डिसपेन्सरियां

*42—श्री पारसनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में कैसरगंज, बहराइच तथा नानपारा तहसीलों में क्रमशः कितने-कितने प्रायमरी हेल्थ सेंटर अथवा डिसपेंसरियां हैं जिन पर एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर काम कर रहे हैं ? तथा विधान सभा क्षेत्र नानपारा में कितने हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' अगले पृष्ठ 955 पर)

कानपुर जिला परिषद् की सड़कों की मरम्मत

*43—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत जिला परिषद् की कौन-कौन सड़कें कहां से कहां तक हैं और उनके रख-रखाव तथा मरम्मत में प्रत्येक पर 1 जनवरी, 70 से 15 दिसम्बर, 71 तक कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि जिला परिषद् की ओर से इन सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव में लापरवाही और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यदि हां, तो क्या इन सड़कों को पी0 डब्लू0 डी0 को दे दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्न में बहुत अधिक ब्योरा है और उसका उत्तर लाभ की दृष्टि से इकट्ठा करना ठीक न होगा।

कानपुर में धनकुट्टी व सब्जी मण्डी के नाले की सफाई

*44—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर मुहल्ला धनकुटटी व सब्जी-मंडी के बड़े नाले की सफाई व देखभाल कई साल से न होने से इस मुहल्ले में बराबर गन्दा

पानी भरा रहता है जिससे तरह-तरह की बीमारी उत्पन्न होती है । यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में कोई कदम उठायेगी जिससे वहां की जनता तरह-तरह के रोग व परेशानियों से बच सके ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

धनकुट्टी, सब्जीमंडी के बड़े नाले की सफाई व देखभाल बदस्तूर होती रहती है । जिस प्रकार कानपुर में अन्य घनी आबादी के क्षेत्रों के सीवरों के मेन होलों में रुकावट के कारण कभी-कभी गन्दा पानी बाहर निकल आता है उसी प्रकार इस क्षेत्र में भी कभी-कभी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है । कानपुर नगर के सीवरों की सफाई, मरम्मत इत्यादि के लिये स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग की एक शाखा कानपुर में सृजन करन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

कानपुर शहर में कूड़े का ढेर

*45--श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले दो बरस से कानपुर जैसे शहर में बदबूदार कूड़े के ढेर बराबर शहर के मुख्य-मुख्य स्थान में पड़े रहते हैं जिनसे बीमारी बढ़ती है और नगर महापालिका उनको हटवाने का कोई प्रबन्ध नहीं करती । यदि हां, तो क्या सरकार कानपुर जैसे शहर की सफाई के लिये कोई उचित प्रबन्ध करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

यह सत्य है कि पिछले दो वर्षों में नगर महापालिक से संबंधित कर्मचारियों के असहयोग तथा आन्दोलनों के फलस्वरूप कूड़ा अड्डों पर असाधारण रूप से कूड़ा एकत्र हो जाता रहा है । परन्तु नगर महापालिका ने अधिक ट्रकों का प्रबन्ध करके, ओवरटाइम अलाउन्स देकर तथा ठेका देकर भी कूड़े के ढेरों को हटाने का भरसक प्रयास किया है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में रबी की फसल में उत्पादित होने वाले खाद्यान्न

1--श्री मुमताज मोहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान रबी की फसल से कितना गल्ला उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने का अन्दाजा है? और उस गल्ले की खरीद और स्टोरेज की सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम--

वर्तमान रबी की खाद्यान्न फसलों का अनुमानित उत्पादन एक से सवा करोड़, मैट्रिक टन के लगभग है ।

वर्ष 1972-73 में रबी फसल से गेहूं की खरीद का लक्ष्य 18 लाख टन रखा गया है जिसमें राज्य सरकार, भारतीय खाद्यान्न निगम और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ का लगभग बराबर का हिस्सा होगा । इस वर्ष तीनों एजेंसियों द्वारा किसानों से सीधी खरीद की जायेगी और खरीद और भुगतान का कार्य खरीदारी एजेंसी के स्टाफ द्वारा ही किया जायेगा, पर-चेजिंग एजेंट्स द्वारा नहीं । किसानों को मूल्य का भुगतान बैंकों और तहसीलदारों तथा

जहां ये सुविधा उपलब्ध नहीं है स्टाक द्वारा कराया जायेगा । तीनों एजेंसियों द्वारा खरीदे गये गेहूं को संग्रह करने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्यान्न निगम की होगी । इसके लिये निगम अधिकाधिक गोदाम किराये पर ले रहा है और अपने गोदाम भी बनवा रहा है । कवर्ड गोदामों के अतिरिक्त गेहूं का भंडारण खुले में भी आवश्यकतानुसार किया जायेगा । इसके अलावा शासन भी अतिरिक्त प्रबन्ध के रूप में गोदामों तथा खुले स्थान में भंडारण का प्रबन्ध कर रहा है ।

प्रदेश के डाक्टर रहित अस्पताल

2—श्री सुखपाल पांडेय, श्री रामकरन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे पुरुष तथा जनाना अस्पताल हैं जिसमें डाक्टर तथा लेडी डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं । उनकी सूची सदन के पटलपर रखनेकी कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश में 160 पुरुष व महिला चिकित्सालयों में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) एलोपैथिक पुरुष चिकित्सालय	..	..	48
(2) एलोपैथिक महिला चिकित्सालय	..	..	63
(3) इंटीग्रेटेड चिकित्सालय ..	..	..	45
(4) होम्योपैथिक चिकित्सालय	..	..	4
		योग ..	160

उपरोक्त रिक्त चिकित्सालयों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 956 पर)

3—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

नगर क्षेत्र समिति बहादुरगंज, जिला गाजीपुर की आय

4—श्री राम सिंह खन्ना—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र समिति बहादुरगंज जिला गाजीपुर में 1-8-71 से 24-2-72 तक सभी स्रोतों से कुल कितनी आय हुई ? और वह धन सरकारी कोषागार में कब कब जमा हुआ ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

टाउन एरिया कमेटी बहादुरगंज, जिला गाजीपुर को 1 अगस्त, 1971 से 24 फरवरी, 1972 तक सभी श्रोतों से कुल 9,792 रुपये 8 पैसे की आय हुई जो निम्नलिखित तिथियों

में सरकारी कोषागार में जमा की गयी है :—

दिनांक	कोषागार में जमा धन
	रु0 पैसे
7–8–71	167.25
12–8–71	139.38
1–9–71	53.75
8–9–71	1,059.26
11–9–71	75.00
21–9–71	100.00
16–11–71	4,053.99
17–2–72	1,561.03
3–3–72	2,582.42
योग ..	9,792–08

कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग फैजाबाद मन्डल में नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां

5—श्री रामदेव, श्री जयराम यादव, श्री गया प्रसाद, श्री राम किंकर, कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या कृषि मन्त्री को पता है कि 1968–70 से लेकर माह सितम्बर, 1971 तक कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग के फैजाबाद मन्डल की स्थायी सूची द्वारा सहायक लेखाकारों के पदों पर कितनी नियुक्तियां ऐसे व्यक्तियों की की गई है जिनका उक्त सूची में नाम नहीं है ? तथा कितने कनिष्ठ लिपिकों को सीधे सहायक लेखाकार के पद पर और कितने स्टाक के गबन से सम्बन्धित कनिष्ठ लिपिकों को उनके गबन काल में ही ज्येष्ठ लिपिकों के पदों पर पदोन्नतियां की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

भूमि संरक्षण अनुभाग फैजाबाद मन्डल में कुल 6 सहायक लेखाकारों को राजकीय हित में कृषि निदेशालय से सहायक लेखाकारों को विधिवत् नियुक्ति होने तक अस्थाई रूप से स्थानापन्न तदर्थ नियुक्तियां (स्टाप गैप या ऐडहाक) वर्ष 1969–70 से लेकर सितम्बर, 1971 तक की गई थीं। इनमें से दो की नियुक्ति ज्येष्ठ लिपिक के पद से सहायक लेखाकार के पद पर विभागीय पदोन्नति से की गई है। दो की नियुक्ति सेवा योजन के माध्यम से की गई है तथा शेष दो की नियुक्ति सेवा योजन के माध्यम से नहीं की गई है जो कि अनियमित है।

उपरोक्त में से एक सहायक लेखाकार को जिसकी सेवा योजन के माध्यम से नियुक्ति की गई थी को बीच में कनिष्ठ लिपिक बना दिया गया था। तदोपरान्त उसकी दोबारा विभागीय पदोन्नति सहायक लेखाकार के पद पर कर दी गई है। उप निदेशक (भूमि संरक्षण) फैजाबाद से स्थायी सूची से विधिवत नियुक्तियां करने के लिये आदेश दिये जा रहे हैं।

एक कनिष्ठ लिपिक को पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर ज्यष्ठ लिपिक के पद पर मई, 1970 में उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, फैजाबाद के आदेशानुसार की गई। इस कनिष्ठ लिपिक के पास भण्डार का प्रभार भी था। भण्डार के भौतिक सत्यापन के समय रुपये 662.60 पैसे के मूल्य की विभिन्न वस्तुएं कम पाई गईं जिसकी पूर्ति के लिये माह नवम्बर, 1971 से 25.00 रुपये प्रतिमास की दर से वसूली की जा रही है।

लतीफपुर, जिला इलाहाबाद में हड्डी पीसने का कारखाना

6—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जनपद के तहसील फूलपुर के लतीफपुर नामक स्थान पर स्थापित हड्डी पीसने के कारखाने को बन्द करने के लिये क्षेत्रीय जनता कई वर्ष से शासन स मांग कर रही है ? यदि हां, तो उक्त कारखाने को न बन्द किये जाने का क्या कारण है । ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश शीत गृह संघ के पर्चे को सदन के पिजन होल में रखने के सम्बन्ध में सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । अभी सदन में आने से पूर्व जैसे ही मैं अपनी सामग्री लेने के लिये अपने पिजन होल में गया तो मुझे उसमें एक पत्र उत्तर प्रदेश शीत गृह संघ की ओर से मिला जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है और उसकी एक प्रतिलिपि मुझे भी उसमें मिली । मेरा ख्याल है कि यह सभी माननीय सदस्यों को दी गई होगी । इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि कि क्या यह आपकी अनुमति से वहां पर रखा गया या आपके सचिवालय की ओर से रखा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसे दिखा दें । मुझे मालूम नहीं कि आपने क्या लिया है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

उसमें विशेष बात यह है कि यदि यह न तो आपकी अनुमति से और न आपके सचिवालय की अनुमति से वहां रखा गया है तो मैं मंत्री, उत्तर प्रदेश शीत गृह संघ के ऊपर सदन के अवमान का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दिखा दें ।

आश्वासन समिति का 38 वां प्रतिवेदन

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समिति के सभापति की हैसियत से समिति का 38 वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

पूर्व इसके कि प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालूं सर्वप्रथम मैं सदन का ध्यान ग्राम तोतलपुर तथा सोफीपुर, जिला आगरा कांड में दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से सम्बन्धित आश्वासन (संख्या 85/69) की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने 7 अगस्त, 1969 को यह आश्वासन दिया था कि दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही किये जाने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं, पीड़ित लोगों को सहायता दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। आश्वासन की पूर्ति के सम्बन्ध में गृह (पुलिस) विभाग ने 7 दिसम्बर, 1970 के पत्र द्वारा समिति को बतलाया कि पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध की गई वैभागिक कार्यवाही में उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुये। पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में जांच से ज्ञात हुआ कि उन्हें नगण्य क्षति पहुंची थी, अतः किसी को कोई सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता। इस विषय पर अग्रिम छानबीन करने पर समिति को ज्ञात हुआ कि जिलाधिकारी आगरा ने फरवरी, 1972 में शासन को सूचित किया है, जिसमें उन्होंने प्रभावित व्यक्तियों को क्षति के लिये 800 रु0 से लेकर 2000 रु0 तक देने की संस्तुति की है। उपरोक्त सभी सूचनायें परस्पर विरोधी हैं, जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि 7 दिसम्बर, 1970 को दी गई सूचना से समिति को पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया गया है।

इसी आश्वासन के सम्बन्ध में समिति ने डी० आई० जी०, आगरा रेंज तथा एस० एस0 पी0, आगरा से कुछ सूचनायें भेजने को कहा था। समिति को खेद है कि स्मरण कराने के उपरान्त भी उनसे वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। समिति के प्रति इस प्रकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार की ओर समिति शासन का ध्यान आकृष्ट करती है। चूंकि इस प्रकार का व्यवहार समिति का अवमान दर्शाता है, अतः समिति शासन से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने की मांग करती है। इस प्रतिवेदन के वर्ग--1 में वर्ष 1963 से 1969 की अवधि के उन 81 आश्वासनों को भी सूचीबद्ध किया गया है जो समिति के 36 वें प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करते समय अपूर्ण थे। इन आश्वासनों को सदन में दिये गये 3 से 9 वर्ष की अवधि हो चुकी है और सदस्य अपने प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित रह चुके हैं, अतः समिति ने इन आश्वासनों को जारी न रखने का निश्चय किया है। समिति इन्हें सदन के विवेक पर छोड़ती है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 1971 के सभी आश्वासनों की वर्तमान स्थिति भी अंकित की गई है। चूंकि समिति ने आश्वासन की पूर्ति हेतु साधारणतया 3 मास की अवधि निर्धारित की है, अतः इस अवधि के बीत जाने पर ही समिति ने इन पर विचार किया था। समिति को आश्चर्य है कि इस बीच केवल 40.49 प्रतिशत आश्वासन ही पूर्ण हो सके हैं। समिति की सम्मति है कि सचिवालय के विभागों को और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि आश्वासनों की अधिक से अधिक शीघ्र पूर्ति हो सके।

इन आश्वासनों पर विचार करते समय समिति ने अवलोकित किया कि जो विषय वित्त विभाग से संबंधित हैं अथवा उन्हें आदेश जारी करने मात्र के लिए भेजे गये, उनकी पूर्ति में आवश्यकता से अधिक समय लगा है। वर्ष 1971 में वित्त विभाग से संबंधित 10 आश्वासनों में केवल 3 अर्थात् 30 प्रतिशत की पूर्ति ही निर्धारित सीमा में हो सकी। न्याय तथा चिकित्सा विभागों से संबंधित इस अवधि के केवल दो आश्वासन (संख्या क्रमशः 108/71 तथा 28/71) वित्त विभाग को भेजे गये थे। समिति को खेद है कि उन पर विचार करने की तिथि तक इनकी पूर्ति नहीं हो सकी। समिति शासन से वित्त विभाग को ऐसे निर्देश जारी करने की संस्तुति करती है कि अन्य विभागों को जो पत्रावलियां उनके यहां आदेश प्रसारित करने हेतु प्राप्त हों, उनका निस्तारण अधिक से अधिक 3 मास में हो जाना चाहिये।

इन मामलों पर विचार करते समय समिति ने यह भी अवलोकित किया कि आश्वासन से संबंधित जो मामले सी0 आई0 डी0 को जांच के लिए सुपुर्द किये गये, उनमें से बहुतों में जांच अब भी जारी है। इनमें कुछ ऐसे मामले भी हैं जो 4 वर्ष पूर्व जांच हेतु सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द किये गये थे, परन्तु जांच अब भी समाप्त नहीं हो सकी है। समिति शासन से अपेक्षा करती है कि जांच के लिये कोई समय सीमा अवश्य ही निर्धारित की जाय। जांच में बिलम्ब से न्याय मिलने की आशा क्षीण हो जाती है। प्रतिवेदन के पैरा 3 के अन्तर्गत समिति ने इस संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला है। चूंकि यह विषय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अतः समिति शासन से अनुरोध करती है कि वह प्रसंगगत प्रश्न पर गंभीरता से विचार करे।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

अन्त में इस समिति से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहायता, तथा सहयोग के लिए धन्यवाद देकर इस प्रतिवेदन को समाप्त करता हूं।

एक बार पहले इस सदन में आप से मैं निवेदन कर चुका हूं। आप ही इस बात के लिए सक्षम हैं कि यह जो समितियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय आप देते हैं यह बिलकुल निरर्थक और व्यर्थ है अगर इन पर कभी विवाद नहीं होता। समिति के निर्माण का उद्देश्य तो यह है कि सरकार के कार्य पर नियंत्रण किया जाय और देखा जाय कि हमारे मंत्रिगण इस सदन में आ कर के केवल वैसे ही आश्वासन दे देते हैं जिसकी पूर्ति करते हैं, कौन सी गड़बड़ियां हैं, कैसे हम सदन का ध्यान आकर्षित करें। पिछले लगातार 3 सत्रों से मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि इन समितियों के प्रतिवेदन सामने आने चाहिए और इन पर विचार होना चाहिये। आपने कोई समय, मान्यवर, निर्धारित नहीं किया और हमारे संसदीय मंत्री तो इसका ध्यान ही नहीं करते हैं। वह समझते हैं कि उनकी बातों की ओर ध्यान दिलाया जायगा तो उनकी आलोचना होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप तो कम से कम विरोधी पक्ष के लिये अन्याय नहीं होने देंगे और अबकी मर्तबा निश्चित ही ऐसा समय निर्धारित करेंगे जब कि चाहे वह एस्टीमेट्स कमेटी का प्रतिवेदन हो चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का प्रतिवेदन हो या प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रतिवेदन हो, चाहे अश्योरेंस कमेटी का प्रतिवेदन हो, ये प्रश्न सदन के सामने आयें और निश्चित रूप से कम से कम एक दिन इन पर विचार हो वरना समितियों पर इतना पैसा खर्च करना, सदस्यों को बाहर भेजना और गरीब टैक्सपेयर का रुपया खर्च करना, इससे क्या लाभ है? आशा है कि इस पर विचार करेंगे और इस संबंध में समय निश्चित करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, माननीय सभापति आश्वासन समिति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्राक्कलन समिति के सभापति के हैसियत से नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आश्वासन समिति के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है प्राक्कलन समिति के चेयरमैन की हैसियत से नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आश्वासन समिति के सभापति को ही मैंने कहा है। आपको मालूम है कि सरकार का यह निश्चित रूप से मत रहा है प्रतिवेदन पर विवाद अवश्य होना चाहिये। बजट पर विवाद समाप्त होने के पश्चात् किसी दिन हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा कि माननीय माधव प्रसाद जी ने कहा मैं भी उससे सहमत था और सरकार भी सहमत है तो कार्य मंत्रणा समिति में इसके लिये समय निश्चित कर लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो उस समय असहमत होते हैं जब आप बल नहीं देते हैं और उनकी दाल गल जाती है। कुछ तो हया होगी जो उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने स्वयं आपकी बात का समर्थन किया था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपका समर्थन फले फूले तो सही ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसे मामले में जब सब सहमत हैं तो कार्य मंत्रणा समिति में समय तय करके विवाद करा दिया जायेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप आश्वासन दें तो समय भी निश्चित हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो कह दिया कि प्रतिपक्ष सहमत है, शासन दल सहमत है और मेरी तरफ से पूर्व सहमति है तो इस पर समय निकाल कर विवाद करा देंगे ।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

श्रीमन्, ऐसे प्रश्न बराबर होते रहते हैं लेकिन फिर भी अवहेलना होती रहती है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रश्नों के समय आप देखते हैं कि बराबर उत्तर मिलता है कि शीघ्र करा देंगे लेकिन इसकी कोई परिभाषा नहीं है । आश्वासन दे दिया जाता है और टाल दिया जाता है । इसलिये आप घोषणा करा दें कि इसी सत्र में इस पर विचार हो जायेगा ।

प्राक्कलन समिति का आठवां प्रतिवेदन

श्रीमती सिया दुलारी (जिला बांदा)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सभापति प्राक्कलन समिति की हैसियत से सांस्कृतिक कार्य तथा वैज्ञानिक अनुसंधान (1965-66), वन (1965-66), कारागार (1966-67), माध्यमिक शिक्षा (1962-64), उत्तराखंड मंडल (1962-64) चिकित्सा (1964-65), सामुदायिक विकास योजना (1964-65), राजकीय मुद्रणालय (1966-67), तथा प्रारम्भिक शिक्षा (1966-67), से संबंधित प्रतिवेदनों में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाहियों से संबंधित उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1971-72) का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

श्रीमन्, मुझे खेद है कि सरकारी विभाग प्रतिवेदनों में निहित संस्तुतियों की ओर शीघ्र एवं आवश्यक ध्यान नहीं देते हैं । इसका फल यह होता है कि संस्तुतियों का परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहने के कारण महत्व समाप्त हो जाता है । मैं आपके माध्यम से शासन के प्रत्येक सदस्य से आग्रह करना चाहती हूं कि वे कृपया देखें और इस बात को सुनिश्चित करें कि समितियों के प्रतिवेदनों में निहित संस्तुतियों का उनके विभागों द्वारा शीघ्र कार्यान्वयन हो अन्यथा समितियों के गठन का कोई महत्व नहीं रह जाता ।

प्राक्कलन समिति का नवम् प्रतिवेदन

श्रीमती सिया दुलारी (जिला बांदा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1971-72) का नवम् प्रतिवेदन जो उक्त विधान सभा की

[श्रीमती सिया दुलारी]

प्राक्कलन समिति (1969–70) के आय-व्ययक में सम्मिलित व्ययों के प्राक्कलनों को यथार्थिक (रियलिस्टिक) रूप देने से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन में संस्तुतियों के कार्यान्वयन के विषय में है, प्रस्तुत करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान समिति का गठन अक्टूबर, 1971 में हुआ था। अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए अपने अभिभाषण में इस बात पर जोर दिया था कि इस समिति को कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट तथा अनुपूरक अनुदानों में सम्मिलित नई मदों का अनपूरक बजट प्रस्तुत किये जाने के पूर्व परिनिरीक्षण करना चाहिये। इस प्रकार की प्रथा हरियाणा और पंजाब राज्यों में है। विधान मण्डलों का पूरा वित्तीय नियंत्रण तभी हो सकता है जब इस प्रकार की प्रथा अपने प्रदेश में भी अपनायी जाय। समिति ने इस दिशा में कुछ प्रयास भी किया। कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट के सम्बन्ध में समिति ने सिंचाई, सामुदायिक विभाग तथा उद्योग विभाग से कुछ अतिरिक्त सूचनाओं की मांग की परन्तु आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने में सम्बन्धित विभागों ने काफी बिलम्ब किया। अतः विवश हो कर समिति ने कुछ पुराने कार्यान्वयन प्रतिवेदनों का कार्य तथा राजस्व परिषद् और श्रम न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के प्राक्कलनों का कार्य हाथ में लिया और इतने कम समय में समिति दो कार्यान्वयन प्रतिवेदन तथा दो मूल प्रतिवेदन तैयार करने में सक्षम हो सकी है। आज जिस प्रतिवेदन को मैं प्रस्तुत कर रही हूं उसका सम्बन्ध सीधा वित्त विभाग से है। मुझे खेद है कि मूल प्रतिवेदन में संनिहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विभाग ने काफी शिथिलता बरती है। जैसा कि इस प्रतिवेदन के अध्ययन से विदित होगा, सम्बन्धित विभाग ने उस वक्त तक कोई कार्यवाही नहीं की जब तक कि समिति ने विभाग को यह सूचित नहीं किया कि वह वित्त विभाग के पदाधिकारियों से इस संबंध में विचार विमर्श करना चाहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक लेखा समिति ने लगभग अपने प्रत्येक प्रतिवेदन में इस बात को अनुचित बताया है कि पहले घाटे के आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाते हैं और अंत में वे बचत के बजट हो जाते हैं। जनता पर कर भार बढ़ते जाते हैं। इसे समाप्त करने के लिये समिति (1969–70) ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन में कुछ संस्तुतियां की थीं जिन्हें यदि विभाग पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर ले तो इस प्रकार की बचतों से बचा जा सकता था और कर भार से पीड़ित जनता को कुछ राहत मिल सकती थी। परन्तु खेद है कि सरकारी विभागों की उदासीनता समिति की संस्तुतियों के प्रति पूर्वता वर्तमान है। इसे समाप्त करने हेतु यह अब आवश्यक हो गया है कि यह सदन इस बात पर विचार करे और समिति के प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा के लिए कुछ समय निर्धारित करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि समितियों की संस्तुतियों पर सदन में विचार नहीं होता है और ये संस्तुतियां केवल रद्दी की टोकरी मात्र बन जाती हैं। अच्छा हो कि इन संस्तुतियों पर सदन में विचार हो जिससे कि सारी चीजें प्रकाश में आ सकें और शासन की शिथिलता दूर हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—

आश्वासन समिति के प्रतिवेदन पर जो आश्वासन दिया गया है वही आश्वासन इस प्रतिवेदन के ऊपर भी लागू होता है।

थाना दुधारा, जिला बस्ती की पुलिस द्वारा ग्राम बाघनगर, जिला बस्ती के करामत तथा उसकी पुत्रबधू तहरुन्निसा के साथ गिरफ्तारी के बाद कथित अत्याचार के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)—

दिनांक 11–2–1972 को थाना दुधारा, जिला बस्ती के दो कान्स्टेबुल ग्राम बाघनगर में सरकारी कार्य से जा रहे थे तो उन्हें बाजार बाघनगर में सूचना मिली कि बाघनगर में करामत

फकीर व उसके लड़के मजहर ने अपने घर पर गाय काटी है और उसका गोश्त बेंच रहे हैं। दोनों कान्स्टेबुल बाजार में उपस्थित दो व्यक्तियों को गवाह के रूप में साथ लेकर करामत के घर पहुंचे और करामत को गोश्त तोलते और उसकी पुत्र बधू को गोश्त के टुकड़े करते देखा। करामत के पुत्र मजहर को घर से गाय की ताजी कटी हुई गरदन लाकर अपनी पत्नी को देते हुये देखा गया। कान्स्टेबुलों आदि को देखते ही सब लोग भागने लगे। कान्स्टेबुलों ने करामत को मार कर पकड़ लिया। बाकी लोग भाग गये। घटनास्थल पर गाय का कुछ गोश्त उसकी खाल और गरदन का कटा हुआ हिस्सा आदि तथा तराजू बांट और छूरी आदि बरामद किये गये और गवाहों की उपस्थिति में फर्द बरामदगी बनाई गई। करामत को कुछ चोटें गिरफ्तारी के दौरान आई थीं। करामत को 12-2-72 को सुबह न्यायालय भेजा गया और वहां से जेल भेजा गया। करामत 20-2-71 को जमानत पर रिहा हुआ।

करामत की पुत्र-बधू तहरुन्निसा को थानाध्यक्ष ने 14-2-72 को गिरफ्तार किया और वह 15-2-72 को पूर्वाह्न में जेल भेजी गई। तहरुन्निसा जब गिरफ्तार हुई उस समय उसके पास कोई बच्चा नहीं था और पुलिस को बच्चे के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। जेल भेजे जाते समय तहरुन्निसा के पिता ने बस में उसे उसका बच्चा दे दिया था जो उसके साथ गया। तहरुन्निसा 20-2-72 को जमानत पर छूटी।

इस घटना के सम्बन्ध में 19-2-72 को श्री मुहम्मद नबी खां ने पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर तथा अन्य अधिकारियों को एक शिकायती पत्र भेजा। 20-2-72 तथा 22-2-72 को क्रमशः तहरुन्निसा और करामत ने भी पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर को शिकायती प्रार्थना-पत्र भेजे।

पुलिस महानिरीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार शिकायतों की जांच पुलिस विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई गई। जांच से आरोप निराधार पाये गये।

गोहत्या के मुकदमे के तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री मोहम्मद नबी खां (जिला बस्ती)--

19-2-72 को प्रश्नकर्त्ता की तरफ से और 20-2-72 को स्वयं तहरुन्निसा की तरफ से और 22-2-72 को श्री करामत की तरफ से दो शिकायती पत्र डी० आई० जी० पुलिस, गोरखपुर को दिये गये थे। अगर उसकी कापी माननीय मंत्री जी के पास हो तो उसे पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी--

उसकी कापी है। यदि आज्ञा हो तो उसे पढ़ दूं लेकिन केवल वक्तव्य के लिये निर्धारित किया गया था, यदि कहे तो उसे पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

असल में जो बात कही गयी है उसका स्पष्टीकरण जो आप चाहते हों वह प्रश्न कर लें लेकिन वह पूरा पढ़ने में बहुत समय लगेगा।

*श्री मोहम्मद नबी खां--

11-2-72 को श्री करामत को पुलिस ने पकड़ा और उनको सरे बाजार डंडों से मारा और उससे एक सौ रुपये रिश्वत के लिये। उसी वक्त दरोगा जी इत्तिफाक से पहुंच गये। उन्होंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहम्मद नबी खां]

भी मारा और थाने पर ले गये । वहां उसके मुंह में पेशाब करवाई और पेशाब डंडे से घुटवाई । 14-2-72 को तहरुन्निसा को पकड़ा और पकड़ कर बाजार में लाये और उसके जिस्म पर डंडे मारे गये और साइकिल के अगले डंडे पर बिठा कर एक सिपाही को कहा कि इसे तुम थाने ले जाओ । रात को वहां पुलिस वालों ने उससे जबर्दस्ती बलात्कार किया । तहरुन्निसा जब पकड़ कर ले जायी गयी तो उसका 9-10 महीने का बच्चा बिखलता रह गया और उसे साथ नहीं ले जाने दिया । दूसरे रोज जब उसका चालान वापस हुआ तब उसको बच्चा रास्ते में दे दिया गया । उस घटना के संबंध में पुलिस डी0 आई0 जी0 को 19-2-72 को मैंने रिपोर्ट दी और 20-2-72 को स्वयं तहरुन्निसा ने दूसरी रिपोर्ट दी थी कि इस घटना के सम्बन्ध में जांच करके मुकदमा कायम किया जाय । लेकिन न तो उसकी डाक्टरी जांच हुई और न पुलिस डी0 आई0 जी0 ने कोई मुकदमा कायम किया । दो कांस्टेबिलों को निलम्बित करने का आदेश तो दिया गया लेकिन दरोगा जी को निलम्बित नहीं किया गया । इसलिये उसका सदन में पढ़ना आवश्यक है तभी उसका राज खुल सकता है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसे सदन में पढ़वाने की कृपा करें ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि यह केस अदालत में जा चुका है, सबजुडिस है, जांच डी0 एस0 पी0 द्वारा इसकी करायी गयी थी जिसमें 2 को सस्पेंड किया गया और एक आफीसर को लाइन हाजिर किया गया । उसके बाद आगे की कार्यवाही की गयी है । अब यह केस अदालत में चला गया है । क्या इस पर विशेष प्रश्नों की इजाजत देना मुनासिब होगा ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, यह मामला बड़ा गंभीर है । यह मेरे जिले से संबंधित है । मैं इसको जानता हूं । यह थाना ऐसा है जिसके अगल बगल 10 मील तक मुसलमानों का एरिया है और इस एरिया में सैकड़ों गायें रोज कटती है । कोई दरोगा वहां कोई ऐक्शन ले नहीं सकता है और अगर कोई ऐक्शन लेता है तो वह रह नहीं पाता है । उस पर कोई न कोई लांछन लगा कर उसको वहां से हटवा दिया जाता है और उसको उसके एवज में कोई न कोई दंड भोगना ही पड़ता है । गोकशी को रोकने के लिये जब यह कार्यवाही की गयी तो हजारों आदमी कलेक्टरी के सामने गये और एक दिन भूख हड़ताल भी की । यह 8-10 रोज की बात है । अगर यही हाल रहा तो कहीं कोई भीषण दुर्घटना न हो जाय और फिर जनसंघ के ऊपर दोषारोपण किया जाय कि उन्होंने यह कर दिया । यह सभी लोग जानते हैं कि वहां पर सैकड़ों गाये रोजाना काटी जाती है और कोई भी दरोगा वहां पर जाने को तैयार नहीं होता है । गवर्नमेंट ने स्लाटर हाउसेज भी खुलवा दिये हैं जहां पर भैंसे और गायें बड़ी भारी मात्रा में मारे जाती हैं । नयी-नयी गायें काट दी जाती हैं । इसका शीघ्र ही कोई प्रबन्ध होना चाहिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्रीमन्, वहां पर पी0 ए0 सी0 पोस्ट कर दी गयी है यह प्रबन्ध विशेष सतर्कता की दृष्टि से ही किया गया है । किसी अव्यवस्था की वहां आशंका नहीं है । जहां तक सैकड़ों गायें रोज कटने की बात है, ऐसी कोई रिपोर्ट किसी के द्वारा नहीं की गयी । यह जो सज्जन जिनका चालान हुआ है, इन्हीं का चालान संभवतः एक बार और गोकशी में हो चुका है । इस बार इस बारे में पुलिस ने ऐक्शन लिया है । केस अदालत में भेज दिया गया है । कोई अव्यवस्था न होने पाये इसके लिये पी0 ए0 सी0 को पोस्ट कर दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष ---

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) यह प्रश्न अदालत के विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अदालत के पहलू को छोड़ कर ही स्पष्टीकरण करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि मुल्जिम औरतों को थाने में तलब करने से पहले उनसे जमानत मांगी जाती है और यह साधारण नियम है कि औरतों को थाने नहीं ले जाया जाता। कत्ल के मुकदमें में भी अगर कोई जमानत दे देता है तो जमानत पर उसको तुरन्त रिहा कर दिया जाता है। इस प्रकार के साधारण नियम के रहते हुए इस औरत को थाने क्यों ले जाया गया और जो ले गये, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इसकी जांच की गयी थी। डी० एस० पी० ने जांच की थी और उसके अनुसार ही उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

श्रीमन्, न्यायालय में तो यह विचाराधीन होगा ही कि इस औरत ने कोई जुर्म किया या नहीं, लेकिन पुलिस द्वारा जो इस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसकी तो जांच होनी चाहिये ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

जांच के बाद वे लोग निर्दोष पाये गये, इसलिये उनके विरुद्ध कोई ऐक्शन लेने का प्रश्न नहीं उठता। इसके पूर्व संदेह में दो व्यक्तियों को निलंबित किया गया और एक व्यक्ति को लाइन हाजिर किया गया था। अब किसी ऐक्शन की जरूरत नहीं मालूम पड़ती।

स्वदेशी काटन मिल्स व जे० के० काटन मिल्स, कानपुर के मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)---

कानपुर की दो सूती मिलों में चल रही हड़तालों को सही परिपक्ष में देखने के लिए कुछ परम आवश्यक तथ्य हैं जिनकी जानकारी देना आवश्यक है।

1---कानपुर में 10 सूती मिलें हैं जिनमें 50 श्रमिक संघ हैं।

2---पिछले 12 महीनों में सूती मिलों में 29 गैर कानूनी हड़तालें हो चुकी हैं जिन सभी का नेतृत्व बामपंथी कम्युनिस्टों ने किया है।

3---पूर्वगामी 29 हड़तालों के करने के पूर्व यूनियनों ने हड़ताल करने के पहले जो प्रक्रिया उनकी यूनियनों के विधान में लिखी है उनको नहीं अपनाया।

4---इन हड़तालों से लगभग 6 करोड़ रुपए के उत्पादन की क्षति, लगभग 50 लाख रुपये के श्रमिकों की मजदूरी की हानि और लगभग इतने ही रकम की राजस्व हानि हो चुकी है। इन हड़तालों के फलस्वरूप लगभग 4.5 लाख कार्य दिवसों की भी हानि हुई है।

5---सूती मिल मजदूर सभा जिसके नेतृत्व में यह सब हो रहा है उसकी सदस्य संख्या लगभग तीन हजार ही है और यह बामपंथी कम्युनिस्टों के नेतृत्व में है। इन नेताओं का विश्वास मजदूर अदालतों द्वारा अभिनिर्णय व पंचनिर्णय में कदापि नहीं है और वे हड़तालों द्वारा, चाहे

[श्री गणेशदत्त वाजपेयी]

वे गैर कानूनी भले ही हों, श्रमिकों की ओर से लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं। अन्य यूनियनें इतनी प्रभावकारी नहीं है।

बम्बई के सूती मिलों के श्रमिकों का वर्ष 1970 के बोनस भुगतान के लिए 8.33 प्रतिशत की मांग सितम्बर-अक्टूबर, 1971 में चल रही थी। इसी बीच भारत सरकार के श्रम मंत्री ने एक अपील जारी की और बम्बई के सूती मिलों और उनके श्रमिकों के बीच बोनस के झगड़े को तय करने के लिये एक फार्मूले का गठन किया। यह फार्मूला निम्न प्रकार है—

1—ऐसी इकाइयां जिनके ग्रास प्राफिट (सम्पूर्ण लाभ) इतने कम हैं कि उनसे नार्मल स्टेटुटरी डिप्रीसिएशन का पूर्ण प्राविधान नहीं किया जा सकता है वे 4 प्रतिशत न्यूनतम बोनस से 1 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस अग्रिम के रूप में देगी।

2—जिन इकाइयों में ग्रास प्राफिट (संपूर्ण लाभ) से नार्मल स्टेटुटरी डिप्रीसिएशन घटाने के बाद शेष वर्ष के पूरे वेतन के 1 प्रतिशत तक होगा वे न्यूनतम बोनस से 2 प्रतिशत अधिक बोनस अग्रिम के रूप में देंगी।

3—ऐसी इकाइयों जिनके ग्रास प्राफिट (संपूर्ण लाभ) नार्मल स्टेटुटरी डिप्रीसियेशन घटाने के बाद वर्ष के सम्पूर्ण वेतन के 2 प्रतिशत या उससे अधिक होगा वे 4.33 प्रतिशत न्यूनतम से अधिक बोनस अग्रिम के रूप में देंगी।

इसी फार्मूले के अनुसार मिल ओनर्स एसोसियेशन बम्बे तथा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ बाम्बे के मध्य दिनांक 14 अक्तूबर, 1971 को एक समझौता हुआ। इस फार्मूला को खाडिलकर फार्मूला के नाम से कहा जाने लगा। इसी के अनुसार दिनांक 17 अक्टूबर, 1971 तक बाम्बे में भुगतान होना था। उसमें यह भी प्राविधान था कि बोनस ऐक्ट के लिये एक समिति का गठन होगा और उस समिति की सिफारिश के बाद और उस संबंध में लिये गये निर्णय यदि वर्ष 1970 से लागू किये जायेंगे तो बढ़ा हुआ अतिरिक्त बोनस उससे समायोजित किया जायगा और यदि 8 महीने के अन्दर कोई निर्णय नहीं होगा तो दिया गया अग्रिम मजदूरों के आगे के वेतन से समयोजित किया जायगा।

जब उपरोक्त खाडिलकर फार्मूला के बारे में अखबारों में चर्चा हो रही थी उसी समय कानपुर की सूती मिलों के श्रमिक संघों ने भी वर्ष 1970 के लिए 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस की मांग रखी और साथ ही मांग पूरी न होने पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने की धमकी दी। 15 अक्टूबर, 1971 को दोनों पक्षों को श्रमायुक्त ने बुला कर इस सम्बन्ध में बात की। इस विषय पर यह पहिला असफल त्रिदलीय सम्मेलन रहा। सेवायोजक खाडिलकर फार्मूला के अधीन अतिरिक्त बोनस बतौर अग्रिम देने के लिये तैयार थे लेकिन श्रमिक नेता सभी मिलों में 8.33 प्रतिशत बोनस बटवाने पर दृढ़ थे और उन्हें खाडिलकर फार्मूला पूर्णतः अमान्य था। कोई समझौता नहीं हो पाया और 16 अक्टूबर, 1971 को इस विवाद को लेकर कानपुर की 10 सूती मिलों में से 7 में गैर-कानूनी हड़ताल रही। एलगिन मिल नं 0 2, विक्टोरिया और म्योर मिल में हड़ताल नहीं रही।

दिनांक 16 अक्टूबर, 1971 को राज्य श्रम मंत्री जी ने कानपुर स्थित सूती मिलों के सभी सेवायोजकों तथा श्रमिक नेताओं से बात की। सेवायोजकों की ओर से, बम्बई की मिलों से कानपुर की मिलों को कम सुविधा प्राप्त होते हुए भी, खाडिलकर फार्मूले के अनुसार जैसा कि बम्बई में समझौता हुआ था, वर्ष 1970 का बोनस देने का निश्चय किया गया। इस पर कानपुर के सूती मिलों से संबंधित श्रमिक संघों में भी यह आशा की गयी कि श्रमिक संघ अपनी संघर्षात्मक कार्यवाही को समाप्त कर देंगे और सेवायोजकों को अपनी मांग पूरी कराने के लिए सहयोग देंगे।

इस मामले में अहमदाबाद के सूती मिलों में भी कुछ संघर्ष हुआ था। दिनांक 8 अक्तूबर, 1971 को अहमदाबाद स्थिति इंडस्ट्रियल कोर्ट (गुजरात) के सम्मुख टैक्सटाइल लेबर एसोसियेशन, अहमदाबाद तथा अहमदाबाद काटन मैन्यूफैक्चरिंग तथा अन्य 44 सूती मिलों के बीच में आर्बीट्रेशन समझौता हुआ। उसमें निर्णय लिया गया कि वर्ष 1970 के लिए बोनस भुगतान अधिनियम के अनुसार ही बोनस दिया जायगा। बम्बई व अहमदाबाद में किये गये समझौते की नकलें श्रम विभाग द्वारा प्राप्त की गयी और उसके अनुसार कानपुर के सभी सूती मिलों की बैलेन्स शीटों को देखा गया कि प्रत्येक मिल का खाडिलकर फार्मूले के अनुसार कितना बोनस निकलता है। इसकी सूचना सभी मिलों को 25 अक्तूबर, 1971 को दी गयी। उनसे कहा गया कि यदि उसमें उनको कोई आपत्ति है तो दिनांक 26 अक्तूबर, 1971 तक आपत्ति प्रस्तुत करें। उपरोक्त पत्र के आधार पर श्रमिक संघों का यह कहना गलत है कि श्रम विभाग ने स्वदेशी मिल और जे0 के0 काटन मिल पर खाडिलकर फार्मूला के अनुसार 8.33 प्रतिशत निम्नतम बोनस निर्धारित ही कर दिया था। दिनांक 30 अक्तूबर, 1971 को राज्य श्रम मंत्री जी ने कानपुर में सूती मिल मालिकों की दूसरी बैठक बुलाई। उसमें खाडिलकर फार्मूले के अनुसार कानपुर की सूती मिलों द्वारा बोनस दिलाने के लिये निम्न शर्तों के साथ सहमति हुई।

1—सूती मिलों से संबंधित निम्नलिखित 6 श्रमिक संघ बम्बई में हुए समझौते के अनुसार समझौता कर लें—

1—सूती मिल मजदूर सभा।
2—सूती मिल मजदूर यूनियन।
3—कानपुर मजदूर सभा।
4—टैक्सटाइल लेबर एसोसियेशन।
5—राष्ट्रीय टैक्सटाइल मजदूर यूनियन।
6—सूती मिल मजदूर पंचायत।

2—कानपुर में स्थित पब्लिक सेक्टर की सूती मिलों को भी इस फार्मूले के अन्तर्गत लाया जावे और वे भी बम्बई की तरह अग्रिम बोनस का भुगतान करें।

3—इस अग्रिम बोनस की गणना उस प्रकार की जायगी जैसी कि पेमेन्ट आफ बोनस ऐक्ट के अन्तर्गत प्रत्येक मिल द्वारा पूर्व वर्षों में की जाती रही है अर्थात पूर्व अभ्यास के अनुसार।

4—श्रमिक संघों द्वारा समझौता करने के एक माह के अन्दर अग्रिम बोनस बांट दिया जायगा।

इस समझौते की सूचना क्षेत्रीय समाचार पत्रों में दी गयी। इस पर श्रमिकों की ओर से 1 नवम्बर, 1971 को कहा गया कि वे अपनी 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस की मांग दुहराते हैं और खाडिलकर फार्मूले के अनुसार बोनस दिये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। दिनांक 5 नवम्बर, 1971 को श्रमायुक्त ने अपने कार्यालय में सभी सेवायोजकों तथा उपरोक्त 6 श्रमिक संघों की बैठक बुलाई। श्रमिक संघ की ओर से किसी समझौते पर हस्ताक्षर तब तक न करने की मांग दुहराई गई जब तक कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस न दिया जाय। उनकी ओर से कहा गया कि मिल मालिक बिना समझौता किये ही अपने हिसाब से खाडिलकर फार्मूले के अनुसार बोनस ईद से पहले बांट दें और उसके बाद फिर न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस देने के प्रयत्न के लिये फिर त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जाय। इस प्रकार दूसरा त्रिदलीय सम्मेलन श्रमिकों के दुराग्रह से असफल रहा।

दिनांक 6 नवम्बर, 1971 को श्री ज्ञानेन्द्र मिश्र, मंत्री सूती मिल मजदूर यूनियन श्री रवि सिन्हा, मंत्री सूती मिल मजदूर सभा, श्री रामलखन सिंह गौड़, मन्त्री, ई0 एल0 ए0

[श्री गणेशदत्त वाजपेयी]

तथा श्री विजय बहादुर सिंह, मंत्री कानपुर मजदूर सभा द्वारा एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि श्रमायुक्त महोदय के अनुसार एलगिन मिल नं० 1 और 2, कानपुर टैक्सटाइल मिल, स्वदेशी काटन मिल तथा जे० के० काटन मिल में 8.33 प्रतिशत बोनस निकलता है और शेष में कम। इसका खण्डन श्रमायुक्त द्वारा किया गया कि जे० के० काटन मिल, कानपुर तथा स्वदेशी काटन मिल में खाडिलकर फार्मूले के अनुसार 8.33 प्रतिशत उनके सम्पूर्ण कम्पनी के सम्मिलित लेखा के अनुसार निकलता था। जे० के० काटन मिल के साथ जे० के० रेयान, कानपुर सम्मिलित हैं। स्वदेशी काटन मिल के साथ नैनी, मऊनाथ भंजन, उदयपुर तथा पांडचेरी की स्वदेशी काटन मिलें सम्मिलित हैं। सम्मिलित मिलों का एक ही बैलेन्सशीट बनता है। लेकिन बोनस प्रयोजन के लिये अलग-अलग बैलेन्सशीट बनता है। यह धारा 3, बोनस भुगतान अधिनियम के अनुसार उचित एवं मान्य है। जे० के० काटन की अलग तथा स्वदेशी काटन की अलग बैलेन्स शीट के आधार पर खाडिलकर फार्मूले के अनुसार केवल 5 प्रतिशत निकलता है। इसकी लिखित सूचना इन मिलों को दिनांक 11-11-1971 को दी गई।

दिनांक 22-11-1971 को कानपुर के 8 श्रमिक संघों ने कानपुर के सूती मिलों के प्रबंधकों को 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया था, जिसमें प्रमुख मांग श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत न्यूनतम-बोनस तत्काल बांटे जाने के संबंध में थी। यह भी मांग की गई थी कि जो बढ़ा हुआ बोनस दिया जाय इसको भविष्य में किसी प्रकार से भी समायोजन न किया जाय और वे इसमें खाडिलकर फार्मूला नहीं मानते थे। मांगों के पूरा न होने पर दिनांक 14-12-1971 से हड़ताल करने की नोटिस भी दी थी। यह हड़ताल भारत-पाक युद्ध छिड़ जाने के कारण कार्यान्वित नहीं हुई।

दिनांक 26 11-71 को कानपुर के सूती मिलों के सेवायोजकों तथा श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों की तीसरी त्रिदलीय बैठक खाडिलकर फार्मूला के अनुसार वर्ष 1970 के बोनस भुगतान करने के प्रयत्न करने के लिए बुलाई गयी। श्रमिक संघों की ओर से कहा गया कि वे समझौता 8.33 प्रतिशत पर ही करेंगे और इससे कम पर समझौता का कोई प्रश्न नहीं उठता। मालिकान चाहते थे कि समझौता जैसा भारतवर्ष में अन्यत्र सभी जगह हुआ है फार्मूला के अंतर्गत देय रकम यूनियनों से समझौता के उपरान्त ही बांटी जाय ताकि बाद में कोई विवाद न उठे। किन्तु श्रमिकों की ओर से कहा गया कि खाडिलकर फार्मूले में किसी समझौते की बात नहीं कही गई है। अतः बिना किसी समझौते के सेवायोजक अपने मिल के श्रमिक प्रतिनिधियों से बात चीत करके अतिरिक्त बोनस की धनराशि बांट दें। श्रमिक संघों का कहना था कि जे०के० काटन मिल, स्वदेशी काटन मिल के सम्मिलित लेखों के आधार पर होना चाहिए न कि अलग-अलग बैलेन्सशीट के आधार पर। उनकी ओर से कहा गया कि इस मिल में बोनस ऐक्ट लागू होने के पहले कभी अलग-अलग लेखे नहीं थे और सम्मिलित लेखों पर बोनस की गणना होती थी। सभी प्रयत्नों के बाद भी, गतिरोध बने रहने पर राज्य श्रम मन्त्री जी ने दिनांक 26-12-71 को कानपुर स्थित सूती मिलों के मालिकों की एक बैठक बुलाई। उसमें खाडिलकर फार्मूले के अनुसार सूती मिलों द्वारा वर्ष 1970 के बोनस भुगतान करने पर विचार किया गया। मिल मालिक खाडिलकर फार्मूले के अनुसार बोनस बांटने के लिए पहले ही तैयार थे। परन्तु उसके साथ शर्त थी कि श्रमिक संघ इसके लिए बम्बई में किये गये समझौते की तरह यहां भी समझौता करें। यह तीसरा त्रिदलीय सम्मेलन था जो श्रमिकों के दुराग्रह से असफल रहा। श्रमिक संघों की ओर से समझौता सम्भव न होने पर भी मिल मालिक बिना समझौते के ही निम्न शर्तों पर भुगतान करने पर श्रम मन्त्री के आग्रह पर सहमत हुए—

1—सभी कारखानों के मालिक 4 प्रतिशत न्यूनतम बोनस के अतिरिक्त एक प्रतिशत बोनस शीघ्र बांट दें।

2—जिन मिलों में एक प्रतिशत से अधिक बोनस की मांग खाडिलकर फार्मूले के अनुसार देनी है उनका मामला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाय जो दो मास में अपना निर्णय दे दें।

3—सरकार इस मामले में यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत उपरोक्त हेतु एक आदेश जारी करें। इस निश्चय के अनुसार सरकार ने दिनांक 15 फरवरी, 1972 को एक विज्ञप्ति जारी की। उसमें निर्देश दिया गया कि कानपुर स्थित सभी सूती मिलें अपने श्रमिकों को, खाडिलकर फार्मूले के अनुसार, निर्धारित बोनस 10 दिन के अन्दर भुगतान कर देवें और साथ-साथ एक दूसरे आदेश द्वारा एक-एक सदस्यीय समिति का गठन भी किया जिसके अध्यक्ष श्री बृजपाल सिंह सेठ, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (2), उत्तर प्रदेश, लखनऊ बनाये गये। उसमें कहा गया कि कानपुर की सूती मिलों में यदि, खाडिलकर फार्मूला के अधीन, 1 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त बोनस की मांग उठती है तो दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष इस विवाद को श्री सेठ के सामने उठा सकता है। श्री सेठ के लिए यह आदेश है कि वह अपनी अनुसंशासन को एक मास के अन्दर भेजेंगे।

दिनांक 21 फरवरी, 1972 को एलगिन मिल कं० मिल नं० 1 और 2 तथा कानपुर टेक्सटाइल मिल में मिल के श्रमिकों और मालिकों में आपसी समझौता हो गया और 8.33 बोनस देय माना गया जिसे श्रम विभाग ने निर्धारित किया था। जे० के० काटन मिल और स्वदेशी काटन मिल ने भी 1 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस देने के लिए नोटिस लगाई परन्तु श्रमिक संघों ने उसको स्वीकार नहीं किया। इस पर कोई हल न हो सका और श्रमिक संघों की ओर से इन दोनों मिलों द्वारा 8.33 बोनस न बांटे जाने पर दिनांक 28 मार्च, 1972 से हड़ताल की नोटिस दी गयी। राज्य श्रम मंत्री जी ने दिनांक 22 मार्च, 1972 को सेवायोजकों से तथा दिनांक 24 मार्च, 1972 को श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों से बातचीत की।

उपरोक्त वार्ता के आधार पर एक प्रेस विज्ञप्ति भी 25 मार्च, 1972 को श्रम विभाग की ओर से निकाली गयी। उसमें निम्न बातों का उल्लेख किया गया:—

1—माननीय श्रम मंत्री जी ने सेवायोजकों तथा श्रमिक नेताओं से प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में दिनांक 22 तथा 24 मार्च, 1972 को वार्ता की। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार को प्रसन्नता होगी यदि अतिरिक्त बोनस का दुखद प्रश्न द्विपक्षीय वार्ता से तय हो जाता है। उन्होंने आगे और स्पष्ट किया कि शासनादेश जिसमें सेवायोजकों को निर्देश दिये गये थे कि वे न्यूनतम 4 प्रतिशत में 1 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त बोनस दें, ऐसी आपसी बातचीत और समझौता में रुकावट नहीं पैदा करता है।

श्रमिक प्रतिनिधियों ने शासनादेश के अन्तर्गत नियुक्ति समिति के सामने बोनस का प्रश्न ले जाने में अपनी असमर्थता प्रकट की, और न वे किसी के द्वारा पंचनिर्णय स्वीकार करने के लिए तैयार थे जब तक कि उन्हें 8.33 बोनस बतौर अग्रिम के सर्वप्रथम नहीं दे दिया जाता है।

शासन, सदा की भांति, अपना प्रयास समझौता कराने के लिए जारी रखेगा जिससे कि उत्पादन की हानि न हो। उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रमिक नेताओं की यह शिकायत कि श्रम विभाग द्वारा द्विदलीय व त्रिदलीय वार्ता नहीं करायी गयी तथ्य से परे है।

यह भ्रान्ति पैदा की जा रही है कि श्रमिकों को श्री खाडिलकर द्वारा निर्णय मान्य था या है। श्रमिक नेताओं ने स्पष्ट कह दिया था कि वे किसी ऐडजुडिकेशन या आरबीट्रेशन को नहीं भेजेंगे जब तक 8.33 बोनस पेशगी नहीं दे दिया जाता है। 8.33 मिल जाने पर वे शासन द्वारा स्थापित कमेटी या किसी के समक्ष जा सकते हैं और उसके निर्णय को मान लेगा। शासन के सामने एक यह भी विचारणीय प्रश्न है कि इन दो मिलों ने बिना न्यायाधिकरण या पंचनिर्णय के अथवा घाटा-मुनाफा के लेखा-जोखा को देखें यदि 8.33 न्यूनतम बोनस दे दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश की शेष मिलों में अनिवार्यतः यही मांग उठेगी और तब उस मांग का विरोध करना दुष्कर हो जायगा। दूसरी बात यह है कि यदि श्रमिकों की यह अनुचित मांग गैर-कानूनी हड़ताल के दबाव में आकर मान ली जाती है तो शासन अपने संराधन, न्यायाधिकरण एवं पंचनिर्णय की सारी प्रक्रिया को स्वयं शिथिल बनाने का आरोप अपने ऊपर ले लेगा।

[श्री गणेशदत्त बाजपेयी]

वाम पंथी श्रमिक नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि 8.33 न्यूनतम बोनस पेशगी के रूप में देने के अलावा 'नो विक्टिमाइजेशन' अर्थात् किसी हड़ताली को किसी भी प्रकार दंडित न किया जाय इस शर्त की पूर्ति भी होनी चाहिए तब हड़ताल वापस ली जायगी। प्रश्न यह है कि कौन किसको विक्टिमाइज कर रहा है। शासन का मत है कि पिछले सात महीनों से शासन के खिलाफ लगातार प्रचार प्रतिदिन किया जा रहा है। देश के उत्पादन, मजदूरों के वेतन और राजस्व का ह्रास करके वामपंथी कम्यूनिस्ट नेता देश को, मजदूरों को और शासन को विकटिमाइज कर रहे हैं यदि 'नो विक्टिमाइजेशन' का अर्थ यही है कि कानून-शिकनी की जाय और उस पर कोई दंडित न किया जाय तो शासन के लिए यह मांग सिद्धांततः स्वीकार करना असंभव है। फिर भी यह बता देना आवश्यक है कि पिछले नौ महीनों में शासन ने किसी श्रमिक को किसी श्रम कानून के अंदर किसी श्रम कानून के उल्लंघन के लिए दंडित नहीं किया है।

वस्तुतः स्थिति यह है कि श्रमिक संघों ने खाडिलकर फार्मूला सिद्धांततः 3-3-72 की हड़ताल नोटिस देने के पूर्व स्वीकार ही नहीं किया है। श्रमिक प्रतिनिधि खाडिलकर फार्मूला के विपरीत यही मांग करते रहे हैं कि श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस दे दिया जाय जिससे कोई भविष्य में समायोजन न किया जाय। वे इस प्रश्न को अभिनिर्णय द्वारा अथवा किसी पंचनिर्णायक द्वारा तय कराने के लिय भी सहमत नहीं थे। 3-3-72 की हड़ताल नोटिस में खाडिलकर फार्मूले का प्रथम बार जिक्र है और वह भी इस शर्त के साथ कि पहले 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस श्रमिक को दे दिया जाय उसके बाद ही वे इस विवाद पर पंचनिर्णय स्वीकार कर सकते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस दुखद प्रश्न को सुलझाने के लिए अथक परिश्रम किया गया। लेकिन किन्हीं कारणों से श्रमिक नेता अपनी बात पर हठ कायम किये रहे। ऐसी अवस्था में हड़ताल पर जाने से रोकना कठिन हो गया। यह हड़ताल एक विशेष वर्ग के वाम-पंथी कम्युनिस्ट-श्रमिक नेताओं ने कराई है उनका उद्देश्य अशांति, अव्यवस्था और उत्पादन ह्रास पैदा करना है जिससे कि वे अपने को आगे ला सकें।

यहां यह ज्ञातव्य है कि इन दोनों (व्यवधान) मिलों में जो हड़ताल इस समय हो रही है वह अवैधानिक है क्योंकि इन दोनों मिलों के वर्ष 1968 के बोनस संबंधी औद्योगिक विवाद अभिनिर्णय में औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही है।

श्रमिकों की ओर से और कतिपय समाचार-पत्रों की ओर से इस बात का निराधार प्रयास किया गया है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार में इस प्रश्न पर पूर्ण मतैक्य नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से बराबर संपर्क में है और दोनों एक राय से ही कार्य कर रहे हैं। दुःख है कि कानपुर के हड़ताली नेताओं ने केन्द्रीय राज्य श्रम मंत्री जी की सलाह की भी पूर्ण अवज्ञा की है।

जहां तक ज्ञात हुआ है कोई भी हड़ताली मजदूर न मारा गया है और न धमकाया गया है एक दो साधारण मार-पीट की घटना हुई है मगर यह पता नहीं लग सका है कि मारने वाले कौन व्यक्ति थे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो अपने वक्तव्य में कहा है कि इसके पूर्व जे०के० काटन मिल और स्वदेशी काटन मिल अलग-अलग बैलेंश शीट के आधार पर बोनस देते रहे हैं, वह कैसे है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

पेमेंट आफ बोनस ऐक्ट में लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के चालू होने के 12 महीने पूर्व अगर मिल्स अलग-अलग बैलेंस शीट पर बोनस देते आये हैं, तो उनको यह हक होगा। यह धारा 3 के प्राविजो में है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिये।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

वह यह है कि जे०के० काटन मिल और स्वदेशी काटन मिल अलग-अलग व्यक्तिगत मिल के रूप में बैलेंसशीट पर 64 से देते आये हैं ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला-टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मंत्री जी ने दो बातें कहने की कोशिश की हैं । एक तो वहां के प्रमुख नेता खाडिलकर फार्मूले को नहीं मानते हैं और दूसरे इस हड़ताल का संचालन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है और चूंकि उनका तोड़-फोड़ का काम है, इसलिये ठीक नहीं है । तो क्या यह सही नहीं है कि जो सम्मिलित बैलेंशशीट प्रकाशित की है उसके अनुसार 8.33 प्रतिशत बोनस मिलना चाहिये और दूसरे क्या यह सही नहीं है कि इस हड़ताल का संचालन न केवल मार्क्सवादी पार्टी, बल्कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शोसलिस्ट पार्टी और नई कांग्रेस भी कर रही है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

पहला प्रश्न कौन सा है ?

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

क्या यह सही नहीं कि जो सम्मिलित बैलेंश शीट उनकी प्रकाशित की गई, उसके अनुसार 8.33 बोनस मिलना चाहिये?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मैं अपने वक्तव्य में कह चुका हूं कि सभी मिलों में हमारे विभाग ने इस्टीमेट लगाकर शो काज का नोटिस भेजा । कि आप 24 घंटे में जवाद दें कि खाडिलकर फार्मूले के अनुसार आप बोनस क्यों न दें। इस पर बी०आई० सी० के किसी यूनिट ने जवाब नहीं दिया । इन दो मिलों ने एतराज भेजा कि वह इंडीविजुअल बैलेंस शीट पर देंगे, कांसोलिडेटेड में निकलता है, जो कि बाम्बे प्रेक्टिस के खिलाफ है। एक चीज बाकी रह गई थी । मैं निवेदन कर चुका हूं कि कानपुर में जो सी०पी०आई० है उसका कोई प्रभाव ही नहीं है ।

श्री गोबिन्दसिंह नेगी--

आप सी०पी०एम० को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सोशलिस्ट पार्टी कर रही है।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

यह बात बिलकुल गलत है । हिन्द मजदूर सभा का नाम भी इस मामले में लेना गलत है । मैंने पता लगाया था कि क्या यह प्रस्ताव हिन्द मजदूर सभा ने पास किया है या सूती मिल यूनियन ने पास किया जिसके श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा सेक्रेटरी हैं । मैं अपने इस भाषण में कह चुका हूं कि कोई भी ऐसी बात नहीं है ।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सरकार के कार्यकाल में या इंदिरा जी की सरकार के कार्यकाल में कानपुर में कितनी हड़तालें हुयीं ? इन हड़तालों में यदि सरकार ने

[श्री मनोहर लाल]

किसी मिल से समझौता कराया हो तो ऐसे कितने मिल मालिक हैं, जिन्होंने इन समझौते को नहीं माना ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

इन 29 हड़तालों के अलावा 60 अन्य हड़तालें विगत वर्ष में हुईं ।

श्री मनोहर लाल—

आपके कार्यकाल में सबसे अधिक हड़तालें कानपुर में हुईं, यह प्रश्न है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

विगत 12 वर्षों में कानपुर में जितनी गैर-कानूनी हड़तालें हुयीं, जितना उत्पादन का ह्रास हुआ, उतना कानपुर में पिछले 100 वर्षों में नहीं हुआ और किसी भी प्रदेश में 12 महीनों में नहीं हुआ है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, इसमें समझौता हो गया था लेकिन कम्युनिस्ट नेता अपने स्वार्थवश इसे होने नहीं देते ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

वे कहते हैं कि अगर 8.33 को अगर 8.32 कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे, तो फिर इसका क्या इलाज है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्रमिकों को नुकसान हुआ है, उत्पादन का नुकसान हुआ है और शांति-व्यवस्था खतरे में पड़ गयी, तो क्या इन बातों को देखते हुये कोई आश्वासन देंगे कि विक्टीमाइजेशन नहीं होगा ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

विक्टीमाइजेशन का अर्थ है बेकसूर को सजा देना । विक्टीमाइजेशन तो उसमें शासन का और प्रदेश का हो रहा है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मजदूरों ने आर्बीट्रेशन मानने से इंकार कर दिया है । मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मजदूरों के नेताओं ने यह कहा है कि 8.33 बोनस दे दें फिर आर्बीट्रेशन के बाद कोई बात हो तो रिफंड कर लीजिये ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

इसमें ऐसा है कि फिर देकर वापस कौन लिया करता है ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिला । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि सरकार ने कोई समझौते करवाये, तो ऐसे कौन-कौन से मिल मालिक हैं । जिन्होंने उस समझौते को नहीं माना और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

यह 89 हड़तालों का प्रश्न है इसलिये बिना नोटिस के जवाब नहीं दे सकता ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । मंत्रीजी ने स्वयं कहा है कि शांति व्यवस्था को खतरा है । इस पर सदन में मान्यवर चर्चा करवायें । विक्टीमाइजेशन नहीं होना चाहिये लेकिन इनकी बातों से साफ है कि यह जरूर करायेंगे । इसलिये आप इस पर व्यवस्था दीजिये और ढाई घंटे की इस पर चर्चा करवा दीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये अब तक जितने प्रयास किये गये सभी विफल हो गये, तो क्या अब सरकार के पास इस मसले को हल करने के लिये कोई नया प्रस्ताव है ?

श्री गणेशदत्त वाजपेयी--

खाडिलकर फार्मूला के अन्तर्गत बोनस दिलवाने का कोई कानून नहीं है, वह दोनों के समझौते से ही दिया जा सकता है । दिल्ली में हमारे बुजुर्ग खाडिलकर भी प्रयत्न कर रहे हैं आप भी उसके लिये प्रयास करें । हम उसका स्वागत करेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैंने पूछा था कि क्या सरकार के पास अब कोई नयी बात और है जिससे इसको सुलझाया जा सके ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

कोई सुझाव आपके पास हो तो आप कृपया बतायें ? सरकार उस पर विचार करेगी । यह हमारे प्रयास से ही 8 परसेंट बोनस दिया गया जो कहीं भी नहीं दिया गया है। हमने उसका जी०ओ० निकाल कर दिलवाया फिर हमारे विभाग ने यह भी कहा कि आर्बीट्रेशन को सुपुर्द कर दो, हम एक माह में फैसला भी करवा देंगे । मगर उसको भी वे नहीं मानते कहते हैं पहले 8.33 हमें दे दो, उसके बाद आर्बीट्रेशन में दे दो, हमारी तो नीति ही यह रही है कि जब भी ऐसे झगड़े हों उन्हें सुलझाया जाय। आखिर कई मामले हमने सुलझाये । जे०के० रेयन का मामला भी सुलझाया । लेकिन कुछ लोग लेबर ट्रबुल क्रीएट ही करना चाहते हैं । अब कोई सुझाव यह सदन दे तो उस पर जरूर विचार किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल--

जे०के० रेयन के फैसले का अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया, उस फैसले को मिल मालिकों ने नहीं माना । सरकार जो भी फैसला करवाती है उसको मिल मालिक नहीं मानते, वे उस पर अमल नहीं करते । फिर अगर कोई मामला आर्बीट्रेशन को अगर दे दिया जाता है तो उसमें दो तीन वर्ष का समय लग जाता है । इसलिये मजदूरों को आज विश्वास नहीं रह गया है । यह समस्या सारे उत्तर प्रदेश में फैलने वाली है । मंत्री जी स्वयं एक श्रमिक नेता थे । वह अच्छी तरह से मजदूरों का समर्थन करते थे, किन्तु आज सरकार में आने के बाद पता नहीं क्यों वह मजदूरों को भूल गये । उन्होंने स्वयं कहा है इधर जितनी हड़तालें हुयी हैं उतनी कानपुर में कभी भी नहीं हुयी हैं । मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश भर में वक्तव्य दिये हैं और आपने इस संबंध में बिल लाने के लिये भी कहा है । लेकिन आज तक बिल नहीं आया, न कोई सुधार हुआ है । इसलिये इस तरह से कब तक मजदूरों के सामने वक्तव्य दिये जायेंगे । इस पर आप हम लोगों को चर्चा की अनुमति दें, जिससे हम लोग खुलकर, मिलकर गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार कर सकें । नहीं तो श्रम-जगत में एक बहुत बड़ा आन्दोलन छिड़ने वाला है जिसे सरकार संभाल नहीं पायेगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मैं सरकार की मजदूर विरोधी नीति के विरोध में इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी सदन त्यागकर चले गये ।)

(व्यवधान)

शाहजहांपुर में रामगंगा तथा बेगुल नदियों द्वारा हो रहे कटान के सम्बन्ध में वक्तव्य

सिंचाई उप-मंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)---

वर्ष 1971 की बाढ़ में शाहजहांपुर जिले की तिलहर तहसील के कुछ गांवों में रामगंगा तथा बेगुल नदियों द्वारा कटाव हुआ था । प्रदेश में नदियों के किनारों पर हजारों ऐसे गांव बसे हुये हैं जिनमें बाढ़ के समय अनेकों स्थानों पर कटाव हुआ ही करता है । स्थल की परिस्थितियों के अनुसार कटाव रोकने के यथासंभव प्रयत्न किये जाते हैं परन्तु हर स्थान पर ऐसे कटावों को रोक पाना तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं होता है ।

इस क्षेत्र की जांच व सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके उपरान्त ही वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सकेगा और तभी किसी प्रभावशाली कार्यवाही के विषय में विचार किया जा सकेगा

(वक्तव्य पढ़ते समय कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें मौका नहीं दे रहे हैं और सरकार मजदूरों का अहित कर रही है । हम इसके विरोध में इस सदन का 10 मिनट के लिये त्याग करते हैं ।

(श्री मनोहर लाल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री श्रीकृष्ण बाजपेई (जिला कानपुर)---

मैं भी सरकार की मजदूर विरोधी नीति से क्षुब्ध होकर इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

मैंने इस विषय पर नोटिस दिया था । मैंने खासकर दो गांवों की बात कही थी उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया इधर-उधर की बात उन्होंने कह दी है । सिंचाई मंत्री ने जो कहा है वह अनर्गल है । मैंने दो गांवों की बात कही थी, उसके बारे में वक्तव्य मे कुछ नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष---

इसके बारे में आप प्रश्न करें ।

श्री सुरेंद्र विक्रम---

नियम 51 में आप इसकी आज्ञा दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न करें और महत्व का समझा गया तो आपकी बात पर विचार किया जायेगा । इस समय मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता । आपने जब बार-बार कहा तो मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया और अब आप कहते हैं कि वह दूसरा वक्तव्य दें । अब आगे चलें ।

श्री सुरेंद्र विक्रम--

यह कैसे हो सकता है ? अच्छा मैं प्रश्न ही करता हूं । क्या मंत्री जी ने सरसवां और मरेनी नामक दो गांवों के बारे में जांच कराई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)--

इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। उसके बाद ही विचार होगा कि क्या कार्यवाही होगी ।

श्री सुरेंद्र विक्रम--

मैंने तो स्पेसफिक गांवों की बात बताई थी, उसी के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपने कैसे समझ लिया कि यह उसका जवाब नहीं है ? उसी का उत्तर दे रहे हैं कि सर्वेक्षण कहां-कहां होगा।

श्री राम लखन--

किसी नदी के कटान को रोकने की व्यवस्था करने के लिये एक ही स्थान पर सर्वेक्षण कार्य नहीं होगा । बल्कि 10-15 मील के एरिया का सर्वेक्षण करना होगा ।

श्री सुरेंद्र विक्रम--

उस गांव का हुआ है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

उस क्षेत्र का तो हुआ है। "परन्तु हर स्थान पर ऐसे कटावों को रोक पाना तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं होता है।" उत्तर तो है आपका। "इस क्षेत्र की जांच व सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके उपरान्त ही वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सकेगा और तभी किसी प्रभावशाली कार्यवाही के विषय में विचार किया जा सकेगा।"

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जिस गांव का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है इस गांव के कटाव की जानकारी सरकार को कब प्राप्त हुई और इस सिलसिले में सरकार ने इसका सर्वेक्षण कब किया ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो तफसीली सवाल हुआ ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इसकी नोटिस दी गयी । इसमें तफसील का क्या सवाल है ?

श्री उपाध्यक्ष--

कटाव का सिलसिला हो सकता है, दस साल, पांच साल . . .

श्री कल्पनाथ सिंह--

सारी बात आप कहेंगे । सरकार को कहने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता हूं आपके प्रश्न को, जो तफसील का सवाल है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने पूछा कि आपको जानकारी कब हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या जिला अधिकारी शाहजहांपुर ने शासन को लिखा है कि यदि गांव कट गया तो अनेक गांव और कट जायेंगे इसको बचाने का प्रयत्न किया जाय ।

श्री रामलखन—

माननीय सदस्य ने इससे पहले भी प्रश्न किया था पिछले सत्र में, जवाब दे दिया गया था कि कितने गांवों का कटाव हो रहा है । शासन को तो सूचना है कि कटाव हो रहा है और उसके लिये सर्वेक्षण कराया जा रहा है कि बचाव कैसे हो ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

मैंने जिला अधिकारी की बात पूछी थी उसका जवाब नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब तो दिया । जवाब आपके हिसाब से न हो तो बात दूसरी है। ऐसे तो यह विषय अल्पसूचित प्रश्न का था कि एक गांव या दो गांवों में कटाव कबसे हो रहा है या क्या हो रहा है । लेकिन आपने वक्तव्य के लिये कहा । मैंने कहा था कि अल्पसूचित प्रश्न करें । अल्पसूचित प्रश्न के द्वारा ज्यादा जानकारी मिल सकती थी । लेकिन जब आपने वक्तव्य के लिये कहा तो मैंने स्वीकार कर लिया । वक्तव्य दे दिया है। सर्वेक्षण हो जायगा ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

जिला अधिकारी ने कोई सूचना कटान के विषय में शासन को 15 दिन के अन्दर भेजी है ?

श्री रामलखन—

इसके लिये सूचना की जरूरत है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्दर कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । माननीय त्रिवेणी सहाय—राजकीय सूक्ष्म निर्माणशाला, लखनऊ में मजदूरों द्वारा हड़ताल । यह 11-4-72 को वक्तव्य के लिये स्वीकार हो चुका है। इनका भी नाम जोड़ दिया जाय।

माननीय सुरेंद्र विक्रम—लखनऊ के होटलों में उन पक्षियों का मांस पकाया जाना जिनका मारना शासन ने वर्जित कर रखा है। यह बहुत अस्पष्ट है । कहां हो रहा है, ऐसा नहीं है । इसलिये नहीं स्वीकार किया गया है ।

माननीय रामगोपाल संड—इलाहाबाद के जार्जटाउन मीरापुर में गुंडागर्दी । यह भी अस्पष्ट है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैंने अखबार की कटिंग लगायी है । शहर में एक पत्रकार अपनी पत्नी के साथ जा रहा था । दिन दहाड़े डकैतों ने लूट लिया वह नार्दर्न इंडिया पत्रिका में काम करता है ।

मैंने कटिंग लगायी है। शहर के अन्दर जब पत्रकारों को लूटा जायगा, तो कितनी हचलच. मची हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मामूली आदमी को लूटा जायगा तो बढ़ते-बढ़ते पत्रकार भी चपेट में आजायेंगे।

श्री रामगोपाल संड--

मीरापुर में एक मामूली आदमी को मार दिया गया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री जी से आपकी तरफ पीठ करके बात कर रहे हैं । आप इन लोगों से कहते नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस वक्त पीठ कहां है ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

आपको अगर कबूल है तो हमको कुछ नहीं कहना है । आप जैसा चाहें उनके साथ व्यवहार करें।

श्री रामगोपाल संड--

ऐसी घटनायें हो रही हैं अब जनता के अन्दर। इसलिए वक्तव्य दिलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

एक प्रस्ताव नियम 56 के अन्तर्गत सर्वश्री कल्पनाथ सिंह, बंशीधर पांडेय, सुरेंद्र विक्रम तथा रामविलास पांडे का है। यह पहले ही 10-4-71 को वक्तव्य के लिए स्वीकार हो चुका है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

7 तारीख से सारे रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं और वक्तव्य 10 को होगा हड़ताल होने के बाद ?

श्री उपाध्यक्ष--

पहले से ही यह वक्तव्य के लिए स्वीकृत हो चुका है । आपका नाम भी इसम जोड़ा जा सकता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मेरा नाम जोड़ा जाय या न जोड़ा जाय सिर्फ निवेदन यह है कि 7 तारीख से रोडवेज कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं और सारे प्रदेश का यातायात ठप्प हो जायगा । इसलिए आप चर्चा करा दीजिए किसी के नाम से भी ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य नियमों को दृष्टि में रख लें । हाल ही में कोई यह घटित घटना नहीं है । ऐसी हालत में इसे मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

कर्मचारियों ने सरकार को नोटिस दे दी है । निश्चित तारीख बतला दी । उसके बाद कौन सी बात होगी ? आप तो पुलिस जैसी बात कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं घटना को मानने की स्थिति में नहीं हूं ।

एक प्रस्ताव सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, चन्द्रभान शर्मा तथा मोहम्मद असरार अहमद का है । इस पर अल्पसूचित प्रश्न हो सकते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

इसमें अंग्रेजी का प्रथम पत्र बहुत त्रुटिपूर्ण तरीके से वितरित किया गया है.....

श्री उपाध्यक्ष---

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इसका सीधा संबंध है और सरकार इसमें सीधे नहीं आती । इस पर आप प्रश्न करें तो अच्छा रहेगा ।

एक प्रस्ताव सर्वश्री मोहनलाल कपूर, राम सागर तथा शंकर प्रसाद जायसवाल का है। इसमें स्थिति स्पेसिफिक तथा निश्चित नहीं है ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

मुरादाबाद में निरीक्षक मारे गये, बिजनौर में भी मार-पीट की गयी । और क्या प्रमाण चाहिए । सारे प्रांत में हाहाकार हो रहा है । सरकार निष्क्रिय रहती है और कोई सुरक्षा उनको प्रदान नहीं करती ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिए आप बजट पर बोल सकते हैं ।

श्री मोहनलाल कपूर---

मंत्री जी यों ही टाल देते हैं । मार-पीट अब हो रही है और बजट में 10 दिन बाद अवसर मिलेगा । नियम 51 में वक्तव्य ही दिलवा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

श्री मोहनलाल कपूर---

अल्पसूचित इसलिए नहीं होगा कि यह एक जिले से ही केवल संबंधित नहीं है बल्कि सारे प्रान्त में यही स्थिति है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें बाधा पड़ जायेगी ।

श्री मोहनलाल कपूर---

आप हमारी सुरक्षा का इंतजाम करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसे व्यापक आधार पर हमारे प्रदेश में यह घटनायें घटित होती रहें और इस समय परीक्षाएं चल रही हैं हो सकता है कि आगे इस पर वक्तव्य देने के लिए कहा जाय ।

श्री मोहनलाल कपूर---

मान्यवर, परीक्षाएं तो 7 या 8 तारीख को समाप्त हो रही हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

उसके बाद आप बोलें। इस पर आप को बजट में भी बोलने का अवसर मिलेगा। यदि उसमें भी बोलने का अवसर न मिला, परीक्षाएं समाप्त हो जाएं जिसके फलस्वरूप शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कटु से कटुतर हो गया हो तो उसे बाद में लेना ही ठीक होगा।

श्री मोहनलाल कपूर--

मान्यवर, यह बड़े आश्चर्य की बात है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यदि आप नाराज न हों तो मैं अपनी बात कहूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप न कहें, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

यह आक्षेप है।

प्रश्नोत्तर काल में श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री उपाध्यक्ष के बीच हुई बातचीत के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक हमारे माननीय सदस्य नित्यानंद जी हैं और हम समझते हैं कि इस सदन के एक बहुत ही प्रमुख और रोजमर्रा सदन की किसी न किसी कार्यवाही में भाग लेते हैं और सेवा करते हैं। जब आपने उनका नाम पुकारा तो वे बैठे रहे और खड़े नहीं हुए वजह यह थी कि जो प्रश्न चल रहा था उस समय उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी से सही जवाब मांगना चाहा.....

श्री उपाध्यक्ष--

जो तथ्य के अनुरूप बात है हमारे नियमों में उसी के अनुसार हमको चलना है। अगर आप इस प्रश्न को उठाना ही चाहते हैं तो हमको नियमों को देखना होगा। आप चाहते हैं कि नियमानुसार हम न चलें.....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैं तो चाहता हूं कि हम अच्छी तरह से नियमानुसार चलें किन्तु किसी के साथ बेइन्साफी न हो। उनकी शिकायत यह थी कि वे यह जानना चाहते थे कि संबंधित नगर पालिका के अध्यक्ष कौन हैं। शायद इसका जवाब उनको नहीं मिला और इस तरफ उन्होंने आपके द्वारा सरकार और मंत्री जी का ध्यान खींचा। मैं समझता हूं कि यह अनुकूल ही बात थी। उनको इसका जवाब नहीं मिला और उत्तर दिलाने के बजाय आपकी तरफ से कहा गया कि आप उनकी परवाह नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर चाहते हैं कि क्या कहा गया तो कार्यवाही पढ़ ली जाय.....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, किसी सदस्य के बारे में यह कहना कि आप उसकी परवाह नहीं करते हैं, कहां तक उचित है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष ---

इस पर मैं आपको बाद में व्यवस्था दूंगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के सम्बन्ध में जानकारी

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रहपूर्वक पूछना चाहता हूं कि 28 तारीख को बनारस में सभासदों की जो बेइज्जती कोतवाली के इन्सपेक्टरों द्वारा की गई, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई जिससे पूरे बनारस में दिनोंदिन असंतोष व्याप्त है । 28 तारीख को ही इस विषय में वक्तव्य के लिए कहा गया था किन्तु मान्यवर, आज 28 तारीख से लेकर 4 तारीख हो गई, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 8-10 दिन के अन्दर आ जाता है किन्तु उसके संबंध में वक्तव्य देने हेतु कोई आश्वासन मुझे नहीं मिला है कि वह वक्तव्य कब दिया जायेगा । मैंने परसों भी आपसे आग्रस किया था और आपने मुझे अपने कक्ष में मिलने हेतु बुलाया और मैं आपसे मिला भी । तो मान्यवर, मैं कौन सी ऐसी कार्यवाही करूं जिससे आपका इस सदन का तथा सरकार का ध्यान आकर्षित हो ।

दूसरी ओर, शासन की ओर से, वहां के अधिकारियों की ओर से इस प्रकार का दवाब इस पीरियड में डाला गया कि जो विधान सभा के अन्दर प्रस्तुत किया गया है, आग्रहपूर्वक यह कहा जा रहा था कि इसको न उठाया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि 10 दिन हो गये, सरकार ने वक्तव्य नहीं दिया, वह कौन सी व्यवस्था हम खड़ी कर दें जिससे सदन और आप महसूस करें कि वक्तव्य आना जरूरी था और नहीं आया ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं सदस्य का ध्यान नियम 43 की ओर दिलाना चाहता हूं, "अध्यक्ष से प्रश्न-अध्यक्ष से प्रश्न व्यक्तिगत सूचना द्वारा किये जायेंगे । ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से अथवा अध्यक्ष के निजी कमरे में दिया जा सकेगा ।"

(कुछ रुक कर) माननीय नेता विरोधी दल ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय माननीय नेता विरोधी दल कौन है ? कौनसा दल विरोधी दलों में ऐसा है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है ? इस वक्त माननीय गिरधारी लाल जी नेता विरोधी दल हैं या चौधरी चरण सिंह हैं या माधव प्रसाद त्रिपाठी जी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसको स्थगित करता हूं, बाद में निर्णय दूंगा ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

उसी नियम के अन्तर्गत में कल आपके कमरे में मिला था और आप से बातचीत की थी जिसके अंतर्गत आपने नियम की बात कही है । मैं जानना चाहता हूं कि 10 दिन के अन्दर वक्तव्य नहीं आया.....

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुए ।)

माननीय अध्यक्ष जी, 28 तारीख को.....।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आपको (नेता विरोधी दल से) बुला चुके हैं। उपाध्यक्ष जी ने बुला विया है। मैं रेकार्ड देखकर आपको बता दूंगा। आप कृपा करके बैठें, काम करने दीजिए।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

कृपा करके आप लोग ध्यान रखें कि सरकार से जो वक्तव्य समय पर आना चाहिए उस संबंध में आप भी आपने कर्तव्यों का पालन करन के लिए उत्तरदायी हैं...मैं भी हूं। आप केवल आज्ञा दे सकते हैं कि बैठ जाइए। आजतक 10 दिन हो गए, क्यों नहीं वक्तव्य दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

मैं फाइल देखकर जवाब दूंगा कि किस रोज वक्तव्य होगा और क्या होगा।

1972-73 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल।

चौधरी गिरधारी लाल--

अध्यक्ष महोदय मैं.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठकर बोल सकते हैं।

(चौधरी गिरधारी लाल बैठ गये।)

*चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)--

जो वित्त मन्त्री ने सदन के सामने हमारे उत्तर प्रदेश का अगले वर्ष का जो पूरा कार्यक्रम है उसके सिलसिले में जो लगभग साढ़े छः सौ करोड़ रुपये का एक बजट रखा है, और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया है और उनकी स्वीकृति मांगी है, उसके सिलसिले में मुझे कुछ विशेष बातें कहनी हैं।

पहली बात वित्त मन्त्री ने कही कि यह एक प्रोग्राम और परफार्मेंस ओरियेंटेड बजट है। यह बहुत ही अच्छा होता है कि इस प्रकार का बजट हमारे सूबे के अन्दर बनता--इन हालतों में जिस वक्त कि हमारे जितने भी साधन हैं, हमारे जितने भी पैसे हैं जो कि हम टैक्स के जरिये से, कर्ज के जरिये से वसूल करते हैं, उनमें से एक एक पैसे का ठीक-ठीक इस्तेमाल हो और उससे हमें वह लाभ मिले जिस लाभ और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तमाम वातावरण के अन्दर एक बात गूंजी हुई है कि हम को बेकारी दूर करनी है, हमको गरीबी दूर करनी है, हमको खुशहाली लानी है। प्रोग्राम और परफार्मेंस ओरिएंटेड बजट, जहां तक मैं समझता हूं, यह कहना चाहिये कि उपलब्धियों और कार्यक्रम का जो बजट होता है उसके अन्दर विशेष बात जो होनी चाहिये वह न तो किसी विशेष विभाग के कार्यक्रमों और न इस बजट से जाहिर होती है। जो बजट लिटरेचर हैं, जो बजट साहित्य है, उसमें पिछले वर्ष के खर्चों के विषय में कहा गया कि यहां पर इस प्रकार के कर्मचारी उपलब्ध नहीं हुए, इस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाये, इसलिये फलां-फलां नियुक्ति नहीं हो पाई, फलां प्रोजेक्ट नहीं बन सका और इसलिये खर्चा नहीं हो सका।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी गिरधारी लाल]

मैं कह रहा था कि यह प्रोग्राम ओरियेंटेड बजट है और परफार्मेंस के ऊपर निर्धारित है । इसमें दो खास चीजें होनी चाहिये । एक तो जितने विभाग हैं और जितने उनके काम हैं, उनका एक-एक आइटम इस मिनिस्ट्री में पूर्ण रूप से परीक्षण होना चाहिये था जो इसमें नहीं हुआ । यह तो ऐसा है कि लेखा-जोखा सारा इकट्ठा करके सदन के सामने रख दिया गया है । इसी तरह का यह बजट है और पहले भी ऐसा ही था । यह एक रुटीन बजट है । जो आइटम होते उनका तकनीकी दृष्टिकोण से, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से, उसका इन्वेस्टीगेशन, उसका सर्वे तथा उसका डिटेल्स एस्टीमेट पहले बनना चाहिये था और उस एस्टीमेट के हिसाब से वित्त विभाग को दखना था कि उसके पास इतने साधन हैं या नहीं । अगर दोनों को कोआर्डिनेशन से वह सदन के सामने आया होता तो इसका दूसरा ही रूप होता ।

इसमें आगे कहा गया है कि आगे के लिये जहां-जहां इस तरह के काम होंगे, उन पर हम खर्च नहीं कर सकेंगे और सर्वे करने के बाद, डिटेल्ड एस्टीमेट बनने के बाद खर्च करेंगे । इसमें कोई इत्मीनान नहीं है कि कितना खर्च हो सकेगा और कितना नहीं । हमारे सामने एक फिक्स्ड रकम रखी गई है और उसके मन्जूर करने के माने हैं कि इतनी रकम खर्च करनी है । अगर आपने कर्जा लिया है तो उसके ऊपर सूद चलता है और अगर बैंक से निकाला है तो आप सूद से वंचित रहते हैं । इसलिये सारे कामों का पहले से सर्वे कर लेना चाहिये था । इसलिये मैं समझता हूं कि आपका यह बजट बुनियादी तौर पर थोथा है ।

कहा जरूर गया और मैं उनके ख्याल की सराहना करता हूं और इसीलिये मुझे कहने का मौका मिला । माननीय नेता सदन इस पर ध्यान देंगे और इसको ठीक उसी लाइन पर लायें जिससे यह सच्चे माने में परफार्मेंस का बजट है । अगले साल से डिटेल्ड प्रोग्राम होने चाहिये और उसके बाद कितने साधन हैं और कितने आइटम्स हैं, उनके अन्दर प्रायोरिटी के हिसाब से अपने लक्ष्य को देखते हुए जिसका पहले हक आता हो उस तरह से बजट में समावेश करें तो इत्मीनान हो सकता है कि यह एक पिक्चर है जिसके ऊपर इस सूबे की 9 करोड़ जनता एक कदम उठा सकेगी ।

दूसरी बात यह है कि बजट बनाते समय उन बातों से प्रेरित होकर बहुत सी बातें रखी गई हैं । लेकिन जो आपका लक्ष्य है उसकी पूर्ति के विषय में कोई विशेष बात इसमें नहीं थी । जैसे आपके विभागों में वेस्टेज हो रहा है, रुपया बरबाद हो रहा है तो उस बरबादी को पहले बचाते, उस रुपये का इस्तेमाल करते और फिर अगला कदम उठाते । मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूंगा कि 600–700 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में खर्च होता है । इसके अतिरिक्त काफी एसेट्स वहां पर हैं । वहां पर जितनी बिजली पैदा होती है उसकी 1/3 लाइन लासेज में चली जाती है--25 प्रतिशत से कम तो कभी भी लासेज नहीं होते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस बात की जांच कराए और अपना दिमाग लगाए कि आखिर इतने लासेज क्यों हो रहे हैं । लाइन लासेज और भी मुल्कों में होते हैं और दूसरे सूबों में भी होते हैं । वहां पर 10 प्रतिशत से अधिक लासेज नहीं होते हैं । बहुत से मुल्कों में तो केवल 8 प्रतिशत ही लासेज होते हैं और 10–12 प्रतिशत से अधिक लासेज नहीं होते हैं ।

एक बात मैं कैश प्रोग्राम के बारे में कहना चाहता हूं जो कि बेकारी को दूर करने के विषय में है । हमारे सूबे के अन्दर पानी की कमी है । आपने इर्रिगेशन कमीशन बैठाया हुआ है । आप कोशिश कर रहे हैं कि 1 करोड़ 40 लाख या 1 करोड़ 30 लाख का पोटेन्शियल बढ़े । जो पानी आपके पास है उसका भी 24–25 प्रतिशत लाइन लासेज में निकल जाता है । इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है--इनपुट की जरूरत है । इसमें लागत लगाने की जरूरत है । आपके पास कच्ची नहरें हैं । उन कच्ची नहरों के ऊपर प्लास्टर कर सकते हैं और उनको पक्का कर सकते हैं । आप 24–25 प्रतिशत पानी को कंजर्व कर सकते हैं । पानी के स्टोरेज करने

से जो फसल की बरबादी होती है वह बचाई जा सकती है । आप ग्राउन्ड वाटर की तलाश को रहे हैं । बहुत अच्छा है–उससे एक नई पिक्चर हमारे सामने आएगी । पहाड़ों के पानी को आप सेलवेज कर लें और उसको कंजर्व कर लें । प्रदेश के अन्दर गरीबी और बेकारी है । बेकारी को आप तभी दूर कर सकते हैं जब आप एक-एक पैसे का ठीक से इस्तेमाल करें ।

अब एक बात मैं आपके सामने कोआपरेटिव विभाग की बाबत कहूंगा । मेरे पास फीगर्स नहीं हैं । कौन नहीं जानता है कि 100 करोड़ रुपया कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में फैला हुआ है । बहुत अच्छी बात है–रुपया तो फैलना ही चाहिये । बैंकों के अन्दर रुपया होता है जो संस्थाओं को मिलता है और जो प्रोडक्टिव खर्चे में लगाते हैं । जब रुपये को वापस करते हैं तो फिर वह दूसरे को मिलता है, तीसरे को मिलता है और इस तरह से रुपये का सर्कुलेशन होता है । सर्कुलेशन के लिये ही बैंक बने हुये हैं । आप इस बात को देखेंगे, आज से नहीं, मुद्दतों से ऐसा चल रहा है कि जिन पार्टियों के हाथ में वह रुपया है, हरफेर कर ट्रांजेक्शन के जरिये उन्हीं के पास रहता है और दूसरे, तीसरे व चौथे को उस रुपये का फायदा नहीं होता है । इसके बहुत से कारण हो सकते हैं । हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं उनमें मुझे मालूम होता है, जोश है और वे स्थिति को सुधारने की कोशिश भी करते हैं । अभी उन्होंने एक-आध दफा रेड कराया । कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ सुपरवाइजरों के खिलाफ उन्होंने कार्यवाही भी की है । लेकिन आप सोचिये कि 600 करोड़ रुपये का बजट है और इस तरह से 100 करोड़ रुपये डम्प हो गये । हमारे मुख्य मंत्री जी को मालूम है । एक दफा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एक प्रमुख व्यक्ति यहां पर आये थे और उन्होंने यह कहा कि कुछ समय के लिये हम उस रुपये को रोक देना चाहते हैं । तो उससे जाहिर हो जाता है वह रुपया कहां है। मान लीजिये 10 लाख रुपया एक व्यक्ति पर है । जैसा उसने कहीं का नहीं लगा दिया है । अगले वर्ष सुपरवाइजर से मिला और बीच में और पार्टी बैठी और हेरफेर हुआ और जो डिफरेंस सूद का हुआ वह दिया और फिर वापस । पैसा चाहे रिजर्व बैंक का हो या हमारी ट्रेजरी का हो या गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का हो लेकिन उसका लक्ष्य यह है कि उससे समाज लाभान्वित हो । जो हमारे गरीब लोग हैं वह समझते हैं कि सहकारिता के जरिये से एक चीज हमको प्राप्त हुई है । आज तो सहकारिता के नाम से लोग घबराते हैं । अव्वल तो कोई जानता नहीं है और अगर कोई जानता भी है तो जो सहकारिता उन्होंने पढ़ी और समझी है और जो हमारे प्रदेश में चल रही है उसमें बहुत फर्क है ।

मैंने दो एक बातें आपके सामने रखीं कि एकोनामिक इम्पैक्ट आपके इस पूरे बजट का ऐसा नहीं है कि जो वेस्टेज है उसको बचाया जाय । आपने इस बजट के अन्दर बहुत सी रकमों की वसूली का जिक्र किया है । बहुत अच्छी बात है चाहे वह पैसा सेल्स टैक्स में हो या रेवेन्यू में हो या इंडस्ट्री में हो जब तक सख्ती के साथ उसे वसूल नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा । लेकिन इससे भी ज्यादा एक बात और है । मुझको खुद इस बात का अनुभव है कि आपके कई विभाग ऐसे हैं जहां दस-दस साल से लोगों के क्लेम्स पड़े हुये हैं । हो गयी होगी कसी एक-आध जगह नाराजगी और वह क्लेम 2–4 हजार रुपये के नहीं हैं बल्कि 8–10 करोड़ से कम के नहीं होंगे । इतनी लिखा-पढ़ी होती है, आर्बीट्रेशन में मामला जाता है । आर्बीट्रेशन में सरकार हारती है तो अपील में चली जाती । अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वह पहले इसका हिसाब निकाल लेगा कि दस साल तक के लिये एक आदमी को नियुक्त करे जो विभाग में ऊपर से नीचे तक हर आदमी को लाभान्वित करे और अपने मामले को जल्दी से जल्दी निकाल लाये । इसके अलावा 2–4 परसेंट रिस्क को कवर करेगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि वह जो टेंडर बिड करेगा उसके अन्दर इस सबका हिसाब जोड़ लेगा । इससे सरकार घाटे में रहेगी ।

[चौधरी गिरधारी लाल]

तो जहा आप सूली का ध्यान रखते है वहां देनदारी का भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इसका पूरे बजट पर असर पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय की इजाजत से इस बजट के सिलसिले में एक आपत्ति का और जिक्र करना चाहता हूं। आपने 1971–72 में ऋण की व्यवस्था के लिये 5 करोड़ रुपया रखा था कि जो कर्जा हमारे ऊपर है उसका हम रिपेमेंट करेंगे चाहे वह केंद्रीय सरकार का हो या किसी का हो। सदन ने यह पास किया था और आपने उसकी मंजूरी ली थी। लेकिन आज मैं इस बजट के अन्दर बजाय उस 5 करोड़ के रिवाइज्ड के अन्दर करीब 40 करोड़ रुपया पाता हूं। ठीक है, उन्होंने उसको घाटे का बजट दिखाया हो और यह रेवेन्यू एकाउन्ट या ऐसे फंड में डाल दिया हो कि जो हमारा कैपिटल है इन्डेटेडनेस का उसकी अदायगी में उसको खर्च करेंगे। सचिव का जो मेमोरेंडम है उसके पृष्ठ 10–11 पर इसका उल्लेख है। यह भी एक आपत्ति की बात है। जहां आपने 5 करोड़ रुपया रखा है वहीं 39–40 करोड़ रुपया और बढ़ाया जा सकता था। मैंने मालूम किया तो पता लगा कि 5 करोड़ की बात तो बहुत दिनों से चली आती थी, उसके बाद 39–40 करोड़ कर दिया गया। लेकिन यह व्यवस्था के अनुरूप तो बात है नहीं। हमें खासतौर से इन बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

इस पूरे बज साहित्य को पढ़ कर माननीय वित्त मंत्री जी की भावनाओं का अन्दाजा होता है। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है बहुत सी चीजों की पूर्ति वे कर नहीं पायेंगे और अगर उन्होंने की भी तो उनकी ख्वाहिश और माननीय मुख्य मंत्री जी की ख्वाहिश के अनुसार नहीं हो पायेगी। मैं आपके इस बारे में विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं कि एकदम बहुत से कारपोरेशन्स को पैदा कर दिया गया है। अभी तक तो एक ही कारपोरेशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का था। वह कैसा है। मानों एक आरामगाह बना दिया हो। किसी वरिष्ठ सरकार अधिकारी को एकोमोटेड करना हाता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बैठा दिया जाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरे के सुपुर्द उसको कर दिया जाता है। आज की तो मुझे पता नहीं। आज के कुछ दिन पहले की मुझे मालूम है वहां पर मानों किसी का कंट्रोल ही नहीं था। जैसे एक फिश मार्केट होता है। वहां पर जो अध्यक्ष है, उसका किसी पर कोई कंट्रोल ही नहीं था।

जैसा कि मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स का हमारा एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। जो काम समाज और समाज के व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाते हैं, उसको गवर्नमेंट को अपने आप करना चाहिये और उसके साथ ही साथ प्राइसेज पर काबू पाने के लिये चीजों की मुनासिब कीमत रखनी होती है और दूसरों को एक रास्ता दिखाना होता है कि दूसरे भी उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। हमारे कर इस प्रकार के होने चाहिये कि दूसरे व्यक्ति समाज का शोषण न कर पायें। इन तमाम बातों के लिये इस बात की जरूरत है कि उनको व्यावसायिक ढंग से चलाया जाय। अगर हमने उनको व्यावसायिक ढंग से नहीं चलाया तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। जब हमने मिक्स्ड एकोनामी पब्लिक अन्डर टेकिंग्स को अपने हाथ में लिया तो हमें इन बातों पर अवश्य ही ध्यान देना होगा। लेकिन देखने में यह आता है कि ऊपर से नीचे तक लोग काम से शिर्कत करते हैं। तनख्वाह तो समय पर उनको मिल ही जाती है। खाली समय में लोवासिंग करते हैं और गांवों के लोगों के पास जो अनापशनाप बिल जाते हैं, उस बात को हममें से कौन नहीं जानता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, उसमें और भी बहुत सी बातों की कमी है इसीलिये मैं कहता हूं कि इस कारपोरेशन को आप ठीक कीजिये। जब तक उसमें आप किसी व्यवसायी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को वहां नहीं बैठायेंगे और जब तक यह व्यक्ति अपने

व्यक्तित्व को कारपोरेशन के व्यक्तित्व में मिला नहीं देगा, उसकी उन्नति को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना देगा, और जब तक आपके सचिवालय का पूरा सहयोग उसके साथ नहीं होगा, तब तक इस कार्य में आपको पूरी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती । नतीजा इसका यह होगा कि आपके जो उपभोक्ता हैं वह सफर करेंगे ।

बहुत अच्छी बात है इस तरह के कारपोरेशन आप बनायें लेकिन उससे पहले हम इस अपने एक कारपोरेशन को तो सफल बनालें । आप पर इसके लिये केंद्रीय सरकार का भी जोर पड़ा और आपने अपने यहां ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाया और बहुत से कारपोरेशन का इस भाषण में जिक्र जैसे इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन, विकास निगम और सीमेंट कारपोरेशन आदि । अभी तक तो एक ही आरामगाह है, आप इतने ज्यादा न बना दीजिये । एक में ही हम देख रहे हैं कि आज कितने में प्रति यूनिट बिजली एक व्यक्ति को मिलती है और पहले कितने में मिलती थी, कितने धक्के आज उपभोक्ता को खाने पड़ते हैं, उन के पास डाकखाने से बिल भेज दिया, अब वह धक्के खा रहा हूं कहां इन्सपेक्टर है, कहां मीटर रीडर कहां हेड आफिस है, चेक से रुपया लेना उनको पसन्द नहीं है, नकद पैसा हो ताकि उन का दूसरा हिसाब चल सके । इस तरह की चीजें हैं इसलिये जबतक आप एक कारपोरेशन को सफल नहीं बना लेते तबतक आप को इन नये कारपोरेशनों में भी सफलता मिलना कठिन है । जबतक आप इनमें ऐसे व्यक्ति रखेंगे तो जो हमारी पुरानी बैक ग्राउन्ड है और जो पुरानी आदतें हमारी सरकारी मशीनरी की है कि जब किसी छोटे काम में भी आते हैं तो देखते हैं कि बाहर की कोई आमदनी होगी या नहीं इसलिये इन हालात में जबतक मजबूती और एफीशियेंसी से काम नहीं चलाया जायगा उसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती ।

कुदरत का भी एक नियम है कि सम्पर्क मात्र से इंसान में मोह पैदा हो जाता है और सारी दुनिया इस तरह से चलती है, चाहे परिवार के लोग हों, दोस्त हों, सरकार के लोग हों या कोई भी हो यह चीजें चली हैं । इसलिये इस तरह की चीजें पैदा करना होंगी और एफीशियेंट परफार्मेंस के लिये हर स्टेज पर काम करना होगा । आधा वेतन दिया जाय और आधा परफार्मेंस पर काम लिया जाय तब शायद यह चीज ठीक से चल सकती है। हम चाहते हैं कि यह कारपोरेशन आपकी दलबन्दी से स्वतंत्र रहे। जब तक कि वह हर तरह से ऊपर से स्वतंत्र नहीं होंगे उनका हम भरोसा नहीं कर सकते । उनकी पूरी सहायता होना चाहिये । वित्त सचिव, उद्योग सचिव या विद्युत सचिव का भय उन को न रहे कि वह हमारा कैरेक्टर रोल रंग देंगे और भविष्य बरबाद कर देंगे तभी वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति और भलाई आपके सामने आ सकती है। लेकिन अगर मन में डर बना रहा कि रोल खराब न हो जाय या कुछ न हो जाय तो कार्य प्रणाली पर उनकी बुरा असर जरूर पड़ेगा। तो आपके इन कारपोरेशनों में इस बात को ध्यान रखने की खासतौर से बहुत जरूरत है।

आपका यह करीब 649 करोड़ रुपये का बजट है, देखने में तो बड़ी लम्बी चौड़ी चीज है और सब को इसकी बहुत खुशी है, बहुत बड़ा इसका हिसाब-किताब है और इसको देखकर लोगों के दिलों में एक उल्लास होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें केवल 80-करोड रुपया केपिटल एक्सपेंडिचर का रखा हुआ है और उसमें से भी दस करोड़ रुपये के करीब वह है जो नये आइटम्स के लिये है अन्य कार्यक्रम जो पुराने चल रहे हैं और जो कमिटेड आइटम्स हैं और पुराने चल रहे हैं वह हैं और नये कार्य क्रमों का खर्च केवल 8–10 करोड़ रुपयों का ही है और वह रुपया भी खर्च होगा या नहीं। हर चीज की सीमायें हैं, लिमिटेशन्स हैं, कहीं आपका डिटेल्ड प्रोग्राम नहीं है, कहीं आपका डिटेल्ड सर्वे नहीं है। पुरानी रिपोर्टें जो हैं, उससे मालूम हो जायगा कि ये-ये काम नहीं हो सके । वे सब बातें इन 8–10 करोड़ रुपये में भी आयेंगी । तो इस बजट में आगे के लिये कोई नयी चीजें आपके सूबे

[चौधरी गिरधारी लाल]

के अन्दर में नहीं होने वाली है । जब आप इन नयी भावनाओं को लेकर बैठे हैं तो आपको पूरी चीजों का सर्वे करना चाहिये । आपके सूबे के अन्दर फ्लड्, वाटर लागिंग होता है, उस पर आपने क्या सोचा है । इन 2 -25 वर्षों में पूरा भूगोल बदल गया, सड़कों से, पुलों से और नहरों से और जंगलात के कटने से ड्रेनेज सिस्टम बदल गया, नदियों का बहाव बदल गया और पहाड़ों से आकर पानी कहीं-कहीं बहने लगा । इसके लिये कितने रुपये की जरूरत है ? कम से कम 110 करोड़ रुपये का खर्चा है लेकिन जब ऊपर से आफत आती है जैसे छिद्दा रात को पड़ता है, जब उसे सर्दी लगती है तो कहता है कि सुबह को जरूर घोंसला बना लूंगा लेकिन जब रात गुजर जाती है वह फिर उसे भूल जाता है।

पिछले वर्ष बाढ़ आयी, सोचा गया कि इसका प्रबन्ध किया जाय और जल्दी से इसके अन्दर पैसा खर्च किया जाय । बाद में पूरे साल में चुप रहे । अब फिर मौसम आ रहा है, सुना है कि भैंसाकुंड में हमारे मुख्य मंत्री जो निरीक्षण या उद्घाट करने के लिये वहां गये। अब उन्हें इस बात का ख्याल हो गया है । जब तक हम इस काम को पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से, इंटेग्रेटेड तरीके से हाथ में नहीं लेंगे, पूरा सर्वे नहीं करेंगे, तब तक इसे हाथ में नहीं लेना चाहिये । यह तो मैंने एक उदाहरण के रूप में बतलाया है । इस प्रकार की कमियों को हमें खासतौर पर देखने की जरूरत है । आपने इसके अन्दर एटौमिक पावर स्टेशन की स्थापना का भी जिक्र किया है । मैं तो इस चीज का हामी बहुत दिनों से हूं । जब से हमारे देश और प्रदेश के अन्दर वेलफेयर स्टेट की स्थापना हुयी है, उस वक्त से देखना है कि हरएक विभाग के जो परसोनल हैं, जो कर्मचारी हैं उसे एक ही कैडर का नहीं होना है । आपके पास ला ऐंड आर्डर है, आपके पास सोशल वेलफेयर है, मेडिकल हेल्थ है, समाज कल्याण है, बेवा स्त्रियों के आश्रम हैं और इस वर्ष तो बूढ़ों के लिये भी एक स्थान बनारस में रखेंगे और कहां रखेंगे । इसी तरीके से वेलफेयर स्टेट के अन्दर और बहुत से कल्याणकारी कार्य रखे गये हैं । तो मैं आपसे कहता था कि इसी प्रकार से मेडिकल सर्विसेज में और कुछ व्यवसायिक किस्म के भी काम आपके हाथ में हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और चाहे प्रेसिजन इन्सट्रूमेंट फैक्टरी हो, ये इस प्रकार से बहुत से काम हैं । फाइनेंशियल मामले भी हैं, इन तमाम कामों के लिये और इसके लिये आपका योजना विभाग भी है । सो इसका तीन या चार रूप में मोटे तौर से विभाजन किया जा सकता है और उसी किस्म के कैलिबर के आदमी उसी दीक्षा और प्रदीक्षा के आदमी उसका संचालन नहीं करेंगे तो वह बात नहीं आ सकती है । वेलफेयर स्कीम के अन्दर मिशनरी स्प्रिट के आदमी इस पूरे ढांचे के अन्दर वे आदमी नहीं आ सकते, आजकल स्पेशलाइजेशन का समय है, इस काम में शिक्षा-दीक्षा काफी दी जाती है जो इस प्रकार के आदमी आते हैं तो इस बात की इसमें खासतौर पर जरूरत है।

मैं कहता था कि एकानामिक सर्विस की स्थापना एक अच्छी बात है, वह होनी चाहिये । इसके अलावा कैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मैटीरियल मैनेजमेंट और बिजिनेस ऐड मिनिस्ट्रेशन की भी ट्रेनिंग देंगे और इसका काडर बनायेंगे यह एक बहुत अच्छी चीज है । लकिन जैसा कि मैंने कहा सिर्फ काडर बनाकर और वही छाप उसमें लगाई जैसा कि एक वैद्य डाक्टर की नकल करता है, स्टेस्टेस्कोप रखता है, वही वेषभूषा उनकी है, जितने एकानामिस्ट होंगे, वे भी वही बातें करते हैं, उसी साहिबियत के अन्दर ब्यूरोक्रेट के पीछे और उन्हीं के पीछे सब नकल करने की कोशिश करेंगे । इस बात की खास तौर पर ख्याल रखनी चाहिये । इन्सेन्टिव स्पान्सर्ड संगठन होना चाहिये तो जितने काम हैं नान-इन्सेन्टिव किस्म के काम हैं उसकी वजह से निर्जीवता पैदा होती है । महीने में तनख्वाह मिल जायेगी । सुबस दस बजे जाओ और चार बजे वापिस आ जाओ । इन तमाम बातों को देखा जाय ।

एक और भी चीज है जिस पर खासतौर मे सोचने की बात है। हमारे सूबे अन्दर बैस्ट सेलेक्टेड क्लास है जो सरकारी नौकरियों के अन्दर आते हैं पढ़-लिख करके और हर तरीके से और यहां पर आकर अगर स्वतंत्र हुए होते और स्वतंत्र तौर पर और उनके जो इन्हैरेंट निहित जो गुण हैं उसका विकास अगर किया होता तो वह अच्छे साबित होते और उनका हम अच्छा फायदा ले सकते थे लेकिन बजाय यह होने के वे एक रूटीन के अन्दर बंधे हैं और उनकी मनोवृत्ति क्या है। सेवा का सवाल बाद में आता है। पहले तो उनका कैरेक्टर रोल ठीक करना चाहिये। उसके अन्दर कोई एडवर्स एंटरी नहीं होनी चाहिये और उसके लिये नीचे से ऊपर तक अपना तमाम हिसाब-किताब वह बैठाकर रखेंगे और कई तरीके से वह अपने को हर जगह हाजिरी देने में ठीक रखेगा। इसमें ही उसकी पूरी करीगरी की जरूरत है। जिस स्थान पर वह कहीं उनके पोस्टिंग व ट्रांसफर में भी विघ्न न पड़े यह भी देखने की जरूरत पड़ती है। वे सीनियारिटी के हिसाब से भी क्यू में खड़े हैं वह यह देखेगा कि उसका नम्बर आगे कहां आना चाहिये। इसी बात के अन्दर आज आपकी शक्ति चमक सकती थी। आप समाज को ऊपर उठाकर ले जा सकते थे, सरकार को भी उठा सकते थे। वह पूरे ढांचे के अन्दर ऐसा हो क्या कभी आपने इस तरह से सोचा है। केंद्रीय सरकार ने ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन जरूर बनाया था और उसकी कोशिश करते हैं पूर्ति की लेकिन जो ऊपर बैठे हैं, मैं अखबारों में देखता हूं, जब मौका आता है उनका सैबोटाज कर दिया जाता है। अभी तक वह नहीं हो पाया है। उसी तरह से सूबे के लेविल पर इस बात की जरूरत है। हम नये सिरे से सोचें कि आजादी के बाद, आजादी हासिल करते हुये हमारी क्या भावनायें थीं, पूरी पिक्चर हमारे मुख्य मंत्री ने भी जेलों में बैठकर वे अपने साथियों से सलाह मशिविरा करके सोचा करते थे कि हमारे देश का कर्मचारी ऐसा होगा, हमारी इस प्रकार की सरकार होगी। लेकिन यहां के वातावरण में सबकी सब चीजें भूल गये।

मैं याद दिलाता हूं कि आप उसी लाइन पर आ जाइये, उन बातों को सोचें कि किस प्रकार सरकार हमारे सूबे के अन्दर होनी चाहिये। उनके पास समय नहीं है। उनको विरोधियों से भी पूछना चाहिये। कैसा आप पुलिस का कान्स्टेबुल चाहते हैं, कैसा-कैसा चपरासी चाहते हैं, कैसा कलेक्टर चाहते हैं, कैसा आपका कप्तान हो, कैसा आपका वैलफेयर आफिसर हो और उनका गठन और संगठन सबकी सब चीजें इस तरह की नहीं होंगी आपका कोई इम्पैक्ट समाज पर नहीं पड़ सकता चाहे एक इंदिरा जी नहीं हजारों इंदिरा जी आ जायं। आपको बुरा लगता है। मैं कहता हूं कि भगवान भी आ जायं तो भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करता जो खुद अपने आप मदद करते हैं। 54 प्रतिशत वोट बंगला देश की आजादी के बाद विरोध में पड़े थे, आप क्या बात करते हैं। मैंने तो एक छोटी-सी बात कही थी कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा। आप एक दायरे में रहकर कि सिर्फ दो एक अधिकारियों का पोस्टिंग ट्रांसफर करवा लें, तो क्या इससे पूरे देश और समाज का ढांचा बदल जायेगा। मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही था कि जब तक आप सही तरीके से काम नहीं करें, तब तक कुछ काम नहीं होगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुये, हमको इस प्रश्न पर सोचना पड़ेगा और इस बात को भी देखना होगा कि जनता को जस्टिस मिले, न्याय मिले।

मान्यवर, एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज आपके सामने सवाल सेंटर और स्टेट का है। आप कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया मांगने जाते हैं और वहां जाने पर नहीं मिलता। नतीजा यह हुआ कि आज हमारा सूबा कितना पिछड़ गया जैसा मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि हिन्दुस्तान में तीसरे या चौथे स्थान पर हमारा सूबा था और राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि सूबे हमसे कोसों दूर थे। यह हमारे सूबे की भलमनसाहत थी कि हमने कहना माना और आपने भी इस बात को मंजूर किया कि हम

[चौधरी गिरधारी लाल]

डिसिप्लिन में चले और नतीजा यह हुआ कि हमारा डेवलपमट का काम जो सस्ते जमाने में हो सकता था पिछड़ गया और लोगों ने, हमने कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास इन्फास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिये हमारे यहां इंडस्ट्री नहीं लग सकती, इसलिये फलां बात नहीं हो सकती। तो मैंआपसे यह कहता हूं कि यह भलमनसाहत का नतीजा है कि हम पिछड़ गये मैं यह नहीं कहता कि इंडिसिपिलिन पैदा की जाय, लेकिन इस बात को साफ करना होगा कि हमारी जरूरियात क्या हैं जिनके करने से हम और हमारा सूबा आगे बढ़ सकता है। जैसा मैंने कहा कि हमारा सूबा पिछड़ा हुआ है, इस सूबे के अन्दर बहुत से लोगों ने इस बात की तरफ विचार किया, ध्यान दिया आफिशियल्स ने भी और कौंसिल आफ एप्लाइड रिसर्च इन्सटीट्यूट ने भी।

मैंने जैसे कि पहले कहा था कि उनकी यह शिफारिश थी और आफिशियल्स भी कहते थे कि साढ़े 7 हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। इंडिया की परकैपिटा इन्कम पर इसको लाने के लिये इसकी आवश्यकता है। हमारा सूबा अन्य सूबों से पीछे है। एप्लाइड रिसर्च इंसटीट्यूट ने कहा कि इसको आल इंडिया लेवल पर लाने के लिये 5,770 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। इसकी उसने शिफारिश की है। इतना रुपया इनडस्ट्री ट्रांसपोर्ट, शोशल सार्विसेज और कृषि पर लगाया जाय। जब तक यह नहीं लगाया जायगा उस समय तक हमारा सूबा आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे सूबे के अन्दर मैन पावर है, हमारे सूबे में यद्यपि बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं मिलते हैं फिर भी यहां पर बहुत सी आवश्यक चीजें मिलती हैं जैसे लाइम स्टोन आदि जो यहां पर बहुत ज्यादा मिलता है। सिली स्टोन हमारे सूबे में 80 परसेंट से ज्यादा मिलता है। इससे एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीज व अन्य दूसरी इन्डस्ट्रीज का मार्केट बहुत अच्छा हो सकता। हमारे सूबे में पास ही दिल्ली जैसे स्थान भी हैं जहां पर इसकी काफी खपत हो सकती है। इसलिये इस तरह के विकास की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये जो नहीं गया है। मुश्किल से अभी तक चारों प्लानों में 1,800, या 1,900 करोड़ रुपया हमारे सूबे में खर्च किया गया। इसलिये जब तक इतना धन अपने सूबे में नहीं व्यय करते हैं जिसमे ये सभी चीजें डेवलप हो सकें, हमारा विकास नहीं हो सकता है।

हमारे यहां बैंक डिपाजिट्स हर साल करीब 400 करोड़ रुपयों के होते हैं परन्तु यहां परमुश्किल से 110 करोड़ रुपया उस शेयर में दिया जाता है। एक तरफ हमारी सरकार के पास पैसा कम है और दूसरी तरह हमारे यहां का जमा हुआ धन महाराष्ट्र मैसूर या दूसरी स्टेट्स को चला जाता है। हमको वह तरीका अख्तियार करना है, उस तरफ सोचना है जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके ताकि हम भी उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकें जिस तरह से अन्य दूसरे स्टेट्स आगे बढ़े हैं। हमको उसी तरह का वातावरण उसी तरह का ढंग बनाना होगा जिससे कि गलत आदमी का सुधार हो सके। यह न हो कि जो ठीक आदमी हैं वे भी गलत हो जायं। यह भी देखना है कि वे लोग बिगड़ न जायं बल्कि हम उनको अपने काम से, रवैये से ठीक कर सकें। जिन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी है उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिये चाहे वे राजनैतिक हों या सरकारी आदमी हों उनको अपने सूबे का ख्याल रखकर कोई काम करना चाहिये। आप रेडकलिज्म की बात करते हैं मैं इसको अच्छा समझता हूं। इस समय बित्त मंत्री जी नहीं हैं, उन्होंने इसके अन्दर सेल्स बनाये हैं लेकिन क्या उन्होंने इस तरफ भी कोई विचार किया कि देहातों के अन्दर स्कूलों में चार बच्चे पढ़ते हैं उनमें ब्राह्मण का भी है, ठाकुर का भी है, भंगी और चमार का भी है। अगर ठाकुर का बच्चा किसी भंगी या चमार के बच्चे को कह देता है कि तुम भंगी हो या चमार हो तो उस बच्चे का मुंह कुम्हला जाता है। आखीर उसका इम्पैक्ट उस बच्चे पर और दूसरे बच्चों पर

क्या पड़ता है ? उसके ऊपर एक मायूसी का नशा छा जायगा । आपके सामने हिन्दू और मुसलमानों का प्रश्न उठा । यह एक प्रकार की विशेष बातें हैं ।

हम जिस तरफ जा रहे हैं वह सोशल रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं लेकिन इसको साइन्टिफिक ढंग से क्यों न करें । इसका नतीजा यह होगा कि जिन आदमियों के हाथ में शक्ति होगी वही रह जावेंगे और बाकी हिन्दुस्तान को तवारीख रिपीट होती रहेगी । तो वहां इस पर आप रिसर्च सेंटर क्यों नहीं खोलते हैं । हमारे सूबे के अन्दर हिन्दू मुसलमान और दूसरी जातियों के लोग किस प्रकार हैं और उनके कारण हमारी आर्थिक हालत पर क्या असर पड़ता है। हमारी सोचने की शक्ति पर और काम करने की शक्ति पर क्या असर पड़ता है । आज पूरा राज्य साम्प्रदायिकता की लाइन पर चल रहा है । तो आपने जहां प्लानिंग में विचार कुंज की स्थापना की है वहां यह कार्य भी कर सकते हैं । हमारे सिंचाई मंत्री बैठे हैं, उनकी बगल में दूसरे लोग बैठे हैं, वह भी सलाह दे सकते हैं जो आपके उपयोग में आये । ज्यादा से ज्यादा मुख्य मंत्री जी से सलाह ली जा सकती है । बात ठीक हो जावेगी । मैं एडवाथजर्स के खिलाफ नहीं हूं लेकिन आपको जरूरत है पी० आर०ए०आई० जैसी चीज की जो आदमियों पर रिसर्च करे और उनको देखे । भूमि पर रिसर्च हो रहा है, वह अच्छी बात है, क्योंकि उसके सहारे आगे चलना है ।

आजकल पूरे हिन्दुस्तान में, सिर्फ यू०पी० में ही नहीं, एक बात सन् 1967 से चल रही है कि जितने विकास के काम होते हैं उनका सब लाभ देहात में हुआ है और विदेश से कोई एक्सपर्ट आया और उसने कहा कि 1,600 अरब रुपया देहात में पहुंच गया है, इसको निकालना चाहिये यह बात आपके सलाहकारों के सामने और सभी के सामने एक प्रश्न सा बन गई है और कई बार सेमिनार्स और भाषणों में भी आई है । मैं पूरे हिन्दुस्तान के विषय में नहीं कहूंगा लेकिन यू० पी० के सिलसिले में कुछ बात कहूंगा । इस बात का इस सूबे के ही नहीं बल्कि पूरे देश के मुख्य मंत्रियों ने विरोध किया है लेकिन अब आइरन राड के सामने क्या राय होगी यह मालूम नहीं है । हमारे सूबे के अन्दर 85 प्रतिशत आदमी देहात में रहता है और 15 प्रतिशत आदमी शहर में रहता है। हमारे वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में पहले पिछली रिपोर्ट के हिसाब से 60 और 40 का अनुपात देहात और शहर की आमदनी का रखता था। हमारे सूबे की पूरी उत्पादित इन्कम 60 फीसदी देहात की और 40 फीसदी शहर की थी । अब आपका कहना है कि यह अनुपात बदल गया है, यानी 57 देहात की और 43 शहर की इंकम का हो गया है । यह है एग्रो इंकम और दूसरी इंकम का अनुपात जो कि 50 प्रतिशत होनी चाहिये तभी बैलेंस होगा । यह तभी हो सकता है जब वहां की आबादी कम हो । 15 प्रतिशत आदमी है जो 40 प्रतिशत आमदनी का शेयर होल्डर है । आप हिसाब लगाकर देखिये, 70 पैसा एक आदमी को मिलता है । करीब 190 रु० पर कैपिटा इनकम बैठती । यह मैंने हिसाब लगाकर बताया । इसे आप देख लीजिये । आबादी की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। प्लानिंग कमीशन का भी ध्यान इस ओर गया है । शहरों के अन्दर आबादी बढ़ती चली जा रही है । शहर के अन्दर भी समस्या हैं । उनके लिये पानी, एकोमोडेशन की समस्यायें हैं । हमारे सूबे के अन्दर 1,12,000 गांव हैं और 583 शहर हैं । शहरों के अन्दर 192 के लगभग गांव हैं । हिन्दुस्तान के हिसाब से पूरे हिन्दुस्तान में 85 गांव का एवरेज पर कस्बा पड़ता है । तो हम अपने शहरों को सब प्रकार सहूलियतें दें । वहां पर बिजली, ट्रांसपोर्ट और कम्युनीकेशन की सहूलियतें पैदा कीजिये । इस तरीके से अरबन एरिया की तादाद को बढ़ाकर देहात के लोगों के जबतक नजदीक नहीं कर देते तब तक देहात के जो रहने वाले हैं, और उनके ऊपर निर्भरता है, वह कम नहीं होगी । अब इसके बाद और तमाम समस्यायें हैं ।

जमींदारी ऐक्ट के अन्दर, अभी मैंने देखा, आप संशोधन करना चाहते हैं । हमारे त्रिपाठी जी और प्रधान मंत्री जी तो नहीं, प्रधान मंत्री के दादा जी थे, उस वक्त एग्रेरियन

[चौधरी गिरधारी लाल]

रिफार्म और लैन्डरिफार्म कमीशन के ऊपर सोचते थे और लैन्ड ऐक्ट के सबसे ज्यादा खिलाफ थे । आप लेबी तो लगा ही रहे हैं, और-और टैक्स तो लगा ही रहे हैं, लेकिन उस मन्सा से अगर यह आ रहे हैं तो मैं यह कहता हूं कि यह जो भी लिया जा रहा है, वह जो जमींदारी के ऊपर मुआवजा दिया था, उसके लिये जमींदारी राइट्स और थोड़े बहुत रहने दिया जाय । देहातों की तरफ और भी बहुत सी बातों के विषय में सोचने की बात है । आपके ही कहने के मुताबिक करीब 300 करोड़ का नुकसान फ्लड की वजह से हुआ । अप्रैल के महीने में बारिस हुई और खलिहानों में अनाज सड़कर खतम हो गया । यही नहीं, बंगला देश की समस्या भी हमारे सामने आई । उसका हमने और सारे देश ने सर्वसम्मत होकर सामना किया । करीब दो हजार करोड़ रुपये का खर्च हुआ है । चाहे देहात का आदमी हो, चाहे शहर का सबके ऊपर इसका असर पड़ता है । तो इस वर्ष देहातों की जो इनकम हुई है, इसमें 2/2 परसेंट ज्यादा दिखलाया है । उसका 2/1 साल बाद पता चल जायेगा । वह आखिर कहां से हुई । गन्ना आपका खराब हो गया, फसलें खराब हो गयीं । कोई वैसा करिश्मा हमारे सूबे के अन्दर नहीं । अगर होता भी तो, हमारा ध्यान और और बातों पर लगा हुआ था । तो इन बातों पर हमें विचार करना होगा ।

सन् 50 से लोग देहातों के अन्दर से शहरों की तरफ आ रहे थे । इसका क्या कारण है ? हमारे अध्यक्ष महोदय को उसका अनुभव होगा । इसलिये आ रहे थे कि लगानकी पूर्ति नहीं होती थी । और पीछा छुटाना मुश्किल होता था । अब 3–4 वर्ष से ऐसा हुआ कि देहात में भी पढ़ा-लिखा कुछ आदमी पहुंचा और उसने अपना ध्यान कृषि की ओर लगाया तथा नये-नये आधुनिक तरीकों को इस्तेमाल किया । उसका नतीजा यह हुआ कि और किसानों ने भी उसकी नकल करने की कोशिश की । किन्तु आपका यह ग्रीन रिवोल्यूशन अभी शैशव अवस्था में ही है । इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है । अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया तो वह दिन भी आ सकता है कि लोग फिर देहात छोड़कर दूसरे स्थानों पर भागने लगें, साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आपकी जो यह मनोवृत्ति बन गयी कि सारा का सारा पैसा देहात में चला गया है, इससे आप अपने दिमाग को बरी कर लीजिये । निर्णय तो आप अपनी शक्ति के बल पर लेंगे, मगर इस मनोवृत्ति से काम अगर आपने किया तो प्रदेश का भला नहीं होगा।

अब मैं हरिजनों की समस्याओं के ऊपर आता हूं । आचार्य जुगल किशोर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें माननीय वित्त मंत्री भी एक सदस्य थे, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा "यह भी बताया गया है कि इन धनराशियों का काफी दुरुपयोग भी हुआ है । अधिकतर अनुसूचित जाति के उन प्रतिनिधियों ने जिनसे समिति ने साक्षात्कार किया, सदैव यह शिकायत की कि अनुदान के स्वीकार करने तथा देने में बहुत बिलम्ब होता है और रुपया पाने के लिये अनेक प्रयास करने पड़ते हैं । इस प्रकार अनुदान पाना साधारण व्यक्तियों की शक्ति के परे हो गया है । अनुदान की, प्रथम किस्त के व्यय के बाउचरों के निरूपण की कार्य पद्धति की भी बहुत आलोचना की गयी है । यह बतलाया गया है कि यदि छोटे से खर्च का बाउचर भी नहीं मिल पाता तो अनुदान देने वाले अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि उस रुपये को पाने वाले व्यक्ति को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाये जिससे धनराशि के व्यय की सच्चाई प्रमाणित हो सके समिति को यह भी ज्ञात हुआ कि अनुदान स्वीकृति में पार्टी बन्दी के आधार पर राजनैतिक दबाव भी डाला गया है । ऐसे दृष्टांतों की भी कमी नहीं है जिनमें फरजी भुगतान किये गये हैं । इस स्थिति का मुख्य कारण योजनाओं की विकेंद्रित व्यवस्था को बताया है । लोगों का यह भी विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य व्यक्तियों का रुख समाज के इस निर्बल अंग की ओर अभी तक पूर्ण रूपेण सहानुभूति मय नहीं है । इसलिये इन योजनाओं को विकास खंड तथा ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रित नहीं करना चाहिये था ।

समिति को यह भी बताया गया कि 209.620 लाख रुपये की धनराशि अभी तक क्षेत्र समितियों के पास बिना उपभोग की हुई पड़ी । इससे यह स्पष्ट होता है कि इन योजनाओं के प्रजातंत्रिक विकेंद्रीकरण में योजनाओं के कार्यान्वयन की गति शिथिल हो रही है। इस बात की पुष्टि इस धनराशि के जिला तथा विकास खंड स्तर पर तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में उपभोग संबंधी दी गयी निम्न तालिका से भी होती है ।"

अध्यक्ष महोदय, आपने इस रुपये का प्रश्न रखा है । तो इसके लिए कोई आपकी योजना है ? आपने कोई सर्वे किया है, कि गांवों में इतनी जमीन मिलेगी, ऐसी कोई रिपोर्ट है । ऐसा हुआ कि जमीन किसी और की और उस पर मकान किसी और का बन गया, बाद में जो जमीन का मालिक था वह मकान का मालिक हो गया । जैसा मैंने पहले भी कहा था कि प्रोड्यूसिंग क्लास है, जो अपने पसीने के बल पर खाता और दुनिया को खिलाता है । वह दान-दक्षिणा के जरिये अपना जीवन-निर्वाह नहीं करता है । यह दान दक्षिणा, अनुदान ग्रांट, यह सहायता, दूसरी चीज उसे मिलती नहीं, मैंने बतलाया । दो-चार इस किस्म के लोग हैं, उनको भले मिल जाय लेकिन आमतौर पर जो इसके पात्र हैं उनको प्राप्त नहीं हो पाता । हो सकता है, पहले जिस ब्लाक के अन्दर इस काम को लेना चाहिये उसकी जमीन को सर्वे करें, वहां पर इतना जमीन है, उसका ले आउट तैयार करें, फिर जिन आदमियों को सहायता देनी है, उनको तय करें न कि यह कि न आपका प्लान है, न प्रोजेक्ट है, न सर्वे हुआ है, न जिले में किसी आदमी को खबर है और इतना रुपये जो रखा हुआ है यह प्रचार मात्र का है । अगले साल बजट के अन्दर यह फिर दोहरा दिया जायगा । हरिजनों के विषय में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । लेकिन इतना जरूर कहूंगा हमारी स्टेट का फर्ज है इसलिए नहीं कि हरिजनों पर अहसान करते हैं । सूबे का एक अंश भी कमजोर है तो आप की तामीर खत्म हो जायगी, भस्म हो जायगी । अगर आपका एक नागरिक भी कमजोर है तो नहीं चल सकेगा आगे को ।

समाज के अन्दर नागरिकता अधिकारों की सुरक्षा की जरूरत है । फिर भी जो चुनाव पश्चिम या पूर्व में हुये हैं, आपने सुना है, क्या-क्या तरीके अख्तियार किये गये हैं । हमने इस बारे में सोचा । हमारे बहुत से दूसरे भाई हैं, उनके ऊपर अलग असर पड़ता है । बनारस में एलेक्शन का मामला नहीं था । सिंचाई मंत्री ने किसी तरह से उसको ठीक-ठाक किया या नहीं किया, ले देकर के उसको शान्त किया । पीलीभीत का एक किस्सा मेरे सामने आया है । एक नौजवान लड़की घर में से भगाई जाती है । उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट होती है । लड़की वापस आती है, अदालत में पेश की जाती है । उसने बतलाया कि फलां-फलां आदमी जबरदस्ती पकड़ कर ले गये थे । मेरे साथ दुर्व्यवहार किया । जिन व्यक्तियों ने दुर्व्यवहार किया वह कोई खास आदमी थे । इसलिए वह दबाया जा रहा है, दबाने की कोशिश हो रही है । इसी तरह से जालौन का भी किस्सा है ।

शासन का मतलब यह होता है कि लोगों का मनोबल ऊंचा हो, वह स्वतंत्र रूप से विकसित हों जितनी शक्तियां हैं । जहां तक इस मुहकमे की बात है, मैं किसी मंत्री के विषय में नहीं कहता लेकिन वीकर सेक्शन का अधिकार है जो सबसे बड़ा व्यक्ति हो उससे उसको पूरी रक्षा मिले । और उस नाते से हमारे मुख्य मंत्री को चाहिए था कि इस विभाग को यदि अपने पास न रखते तो कम से कम उस विभाग के मसले से अपने को अवगत रखते, उसकी समस्या के बारे में मालूमात किये रहते कि उसमें क्या-क्या दिक्कतें हैं । उन्हें यह भी देखना चाहिये था कि जिस वर्ग के लिए यह विभाग चल रहा है, उसकी क्या समस्याएं हैं । किन्तु वह ऐसे ही चल रहा है । न उसकी कोई प्लानिंग है न उसका कोई ढंग है । किसी रिपोर्ट से आपको नहीं मालूम पड़ता जो कि यह पहले हरिजन विभाग था, फिर समाज कल्याण विभाग हुआ, फिर दोनों मिल गये यह क्या मामला है, किन्तु उसके कर्मचारी वही चल रहे हैं । उनकी नौकरियों का प्रश्न है । मैं समझता था कि इस वर्ष वह हमें बतलायेंगे कि हमने सूबे के अन्दर इस वर्ष इतने आदमी सरकारी नौकरियों में भर्ती कर लिये हैं । ट्रेनिंग सेन्टर भी खुले हैं । सबसे ज्यादा पुलिस की

[चौधरी गिरधारी लाल]

छोटी नौकरियों में और रेवेन्यु में उनकी जरूरत है। लेकिन जो पुराना जाल फैला हुआ है, वह उसी प्रकार चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लोग कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति मिलते नहीं हैं, लेकिन यदि यह नहीं भी मिलते हैं तो यह किसकी जिम्मेदारी है। जब हमने ठेका लिया है कि 10 या 20 सालों में सुरक्षित कोटा को पूरा कर लेंगे, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिये। आखिर यह स्टेट की जिम्मेदारी है। इसके लिये हिन्दुस्तान के वह लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ठेका इस बात का लिया है। मिलने चाहिए और यदि मिलते नहीं हैं। तो उन्हें अपना स्थान छोड़ देना चाहिये, नहीं तो पैदा करें।

आपने हरित-क्रान्ति का एक पहलू देखा, उसकी झलक हमारे सूबे, हिन्दुस्तान में दिखाई दी। हमारे सूबे में एक श्वेत-क्रान्ति का भी जिक्र किया गया है। लेकिन उसके लिये दो-एक स्थानों पर डेरी खोलने से कोई काम चलने वाला नहीं है। हमारे प्रान्त में 27 परसेंट मिल्क प्रड्यूज होता है और इसकी मोनोपाली भी सूबे में हो सकती है। देहात के लोगों को जिनके पास कोई काम नहीं है या केवल सीजनल काम है, उन्हें आप डेरी व्यवसाय द्वारा गेनफुल एम्प्लायमेंट दे सकते हैं। इसके लिए आप उन्हें जानवर—भैंस, गाय आदि दें, तो आपका सूबा दूध से बह जाए। डेरी और मिल्क सेन्टर दो-एक स्थानों पर खोलने से क्या फायदा। मैं तो कहता हूं, उसको स्थान-स्थान पर खोलना चाहिये।

आपने पेय-जल की बात की कि पीने के जल की हम सूबे भर में इंतजाम करेंगे। आप को मालूम होना चाहिए कि आपके सूबे में 29 हजार देहात ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी तक लोगों को नहीं मिला है। अध्यक्ष जी आप तो इन बातों से परिचित होंगे, अब वह समय आ रहा है कि जिस वक्त पीने के पानी का आकाल मचेगा। बुन्देलखंड और उधर इलाहाबाद के शंकरगढ़ से लेकर नीचे तक पानी की भारी किल्लत होगी, जहां पर लोगों को तांगे-घोड़ों पर दूर-दूर से पानी ले जाना पड़ता है। बड़ी-बड़ी दूर से लाकर बड़ी मुश्किलों से वहां के लोग अपने हल्क के नीचे पानी उतारते हैं। उन्हें अपने जानवरों को निकाल-निकाल कर बाहर भेजना पड़ता है, नहीं तो वे सभी बिना पानी मर जायं। यही पहाड़ों पर तथा अन्य तमाम गांवों की हालत है। आपने जो भी पैसा रखा है वह उस काम के लिए कोई मायने नहीं रखता है। जो मजदूर है, वह एक लोटा पानी के लिए यदि दो-दो घंटे बर्बाद कर देगा तो फिर वह मजदूरी करके अपना पेट कैसे भरेगा। इस समय में तो वह मजदूरी करता। दो घंटे उसके इस काम में लग गये। इससे गरीबी उसकी घटती नहीं बढ़ती ही है।

अखबारों में मैंने एक चीज और देखी। यहां पर वित्त मंत्री जी ने एक ब्यान निकाला। मुझे पता नहीं असली मंशा सरकार का क्या है ? एक्साइज का महकमा है। सरकार के हाथ में एक्साइज का महकमा इसलिये है कि इन चीजों का इस्तेमाल एक कंट्रोल तरीके से हो जिससे पिछड़ा वर्ग, बच्चे, औरतें ज्यादा से ज्यादा उससे बच सकें। ब्रिटिश सरकार के जमाने से हर साल एक आक्शन इसमें होता है। बिडर्स में कम्पीटीशन होता है और ऊंची से ऊंची बोली बोली जाती है। उस पैसे को वसूल करने के लिये कंज्यूमर्स को अट्रेक्ट किया जाता है। अगर कंज्यूमर्स की संख्या नहीं बढ़ेगी तो कैसे लाइसेंस, ड्यूटी आदि का खर्च निकल सकेगा। उसकी जगह ग्रेजुएटेड सरचार्ज सिस्टम है। जहां इल्लीगल डिस्टलरीज बहुत होती हैं उनके पास छोटी सी दूकान खोल दी जाय तो उससे काफी रेवन्यु हो सकती है लेकिन इसमें जो फारेन लिकर के लाइसेंसी हैं उनको भी आक्शन पर लाकर खड़ा किया जा रहा है। हाल यह हो गया है कि रिक्टीफाई स्प्रिट का कंजम्प्शन बढ़ गया है। कानपुर, दिल्ली आदि शहरों की रिपोर्ट्स इस सम्बन्ध में दबा दी जाती हैं। 24 करोड़ साल की आमदनी इससे है लेकिन जिस क्लास के उत्थान की बात कही जाती है उसका क्या भला हम कर पाते हैं ? सारे खर्चों को निकालने के बाद कन्ज्यूमर से 10 करोड़ से अधिक नहीं मिलता होगा जब कि हम विधान में कमिटेड हैं कि उस वर्ग का हमें उत्थान करना है, शोषण से हमें

उसकी रक्षा करनी है । लिहाजा इस ग्रेजुएटेड सरचार्ज सिस्टम पर ही न चला कर कोई ऐसी तरीका अख्तियार करना चाहिये जिससे इस पर कंट्रोल हो सके । अगर आपको रेवेन्यु की जरूरत है तो सूबे में जितनी डिस्टलरीज है शुगर फैक्टरीज का बाई प्रोडक्ट ही ये डिस्टलरीज हैं इनको आप क्यों नेशनलाइज नहीं करते ? आपके हाथ में पूरा कंट्रोल आ सकता है और काफी रेवेन्यु आपको मिलेगी ।

एक बात मैंने पहले भी कही थी और वह यह कि हमारा सूबा बहुत बड़ा सूबा है । हिन्दुस्तान में जितने सूबे है उनमें आबादी तथा रकबे के लिहाज से हर तरीके से हमारा सूबा बड़ा है । अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्सेज के लिहाज से भी यह प्रदेश सबसे आगे है किन्तु गरीबी यहां पर सबसे ज्यादा है और ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लेम दिनोंदिन इस कद्र बढ़ती जा रही है कि मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को भी कभी-कभी परेशानी हो जाती होगी। उनको पूजा-पाठ से भले ही कंसोलेशन मिल जाता हो, किन्तु यह परेशानी उनके ऊपर रहती ही होगी ।

अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी इलाकों से भी उनके विकास हेतु यहां पर सवाल उठते हैं और उनको शांत करने के लिये कहीं डेवलपमेंट बोर्ड कहीं फलानी चीज, कहीं फलानी चीज आप कायम भी करते हैं । इंगलैण्ड के अन्दर स्काटलैण्ड में इसी तरह के प्रश्न उठे थे फलस्वरूप वहां पर एक सेमी आटोनामस बाडी कायम हो गई । मैं इसे इस ख्याल से कह रहा हूं कि यह इतना बड़ा सूबा है, भले ही रेडियो या किसी अन्य प्रकार स आप कांट्रेक्ट बनाकर रखें किन्तु आप सही नियंत्रण नहीं रख सकते हैं । जैसे आपके बुन्देलखंड और पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जब तक आप इस प्रकार की सेमी आटोनामस बाडी कायम नहीं करेंगे तब तक वहां केला एण्ड आर्डर तथा विकास की चीजों के लिये कोई ग्रिप नहीं हो सकती है । भले ही थोड़े से आदमी हमें खबरें दे दें और वह काम हम कर दें । अध्यक्ष महोदय, इसका मुझे दुख है । अभी दो महीने पहले सेक्रेटेरियट के अन्दर एक फैसला लिया गया और उसमें कोई मंत्री या बोर्ड फिर कायम कर दिया किन्तु मैं भी उधर रहा हूं, मैंने देखा है कुछ चीजे ऐसी होती है जो कि लोगों को टालने के लिये हुआ करती हैं । तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा । इसकी प्रतिक्रिया लोगों और अवाम के ऊपर ठीक नहीं पड़ेगी ।

हमारा एक हेल्थ डिपार्टमेंट है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं, उन्हीं के जिले का किस्सा है । एक लड़का अपनी मां को लेकर, जो कि जल गई थी, कालेज में डाक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि इसको बचाओ और इसका इलाज कर दो । अनापसनाप जबाव देकर डाक्टर उस लड़के से दो सौ रुपये की मांग करता है । उस लड़के ने कहा कि इस वक्त तो मेरे पास नहीं है जब मेरे पिता जी आ जायेंगे तब दे दूंगा किन्तु इस समय इसको बचा दो । फलस्वरूप उस लड़के को अपनी मां को उस हालत में किसी दूसरे डाक्टर के पास ले जाना पड़ा । उसने वहां पर कोशिश की किन्तु उस वक्त तक उसकी मां खत्म हो चुकी थी । मैं वहां पर पर गया । मान्यवर, मैंने देखा उस परिवार की हालत खराब हो गई है और वह परिवार बर्बाद हो गया है । उसका एक प्रश्न यहां पर आया भी और उसके सम्बन्ध में यह कहा गया कि उसको फलां इन्जेक्शन और दवाई दी गई थी जब कि सिविल सर्जन की रिपोर्ट में कुछ नहीं था । मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान के एक नागरिक की आज ऐसी हालत हो रही है और यदि किसी दूसरे मुल्क के नागरिक की ऐसी हालत होती तो पहले उससे पीट-पीट कर कहीं फेक दिया गया होता और उसके बाद कानून की बात होती ।

इलाहाबाद मेडिकल कालेज की एक छात्रा मेरे पास आती है कि वह 4–5 साल से लगातार फेल हो रही है और फेल होती है केवल वाइवा-वोसी में । मैंने पूछा कि आखिर क्या बात है तो वह कहती है कि चूंकि मैं खूबसूरत नहीं हूं । सो खूबसूरती के लिये भी इन्दिरा गांधी एजूकेशन में रख लें और उसे कालेजों में खोल लें । यह बड़े शर्म और लानत की बात है ।

[चौधरी गिरधारी लाल]

एक दफे नहीं वह लड़की मेरे पास दो दफे आई। इसी लखनऊ के वे बासिन्दे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इन बातों की तरफ मुझे शिकायत नहीं है आपके नियंत्रण में कमी है उसकी फिजा खराब है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और है, हमारे सेन्ट्रल इम्प्लाई हैं उनके यहां रिऐम्बर्समेंट होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिये। यह हमारे यहां नहीं होता है। आपके जितने भी डाक्टर्स हैं उनके पास जिस वक्त सेंट्रल एम्प्लाईज पहुंचते हैं तो वह काम छोड़ करके आफिश्यल टाइम में, जिस वक्त हास्पिटल में पहुंचते हैं तो उनके काम में लग जाते है, क्योंकि 8 रुपया फीस मिलती है और बाद में रिऐम्बर्समेंट हो जाता है। इससे सरकारी कर्मचारी और पब्लिक के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर देखें और जो भी निराकरण हो सके वह किया जाय। वैसे तो उनका भी इलाज करना है जो कि केन्द्र के हैं लेकिन आफिशियल टाइम में जिस वक्त पूरी पब्लिक वहां पर जाती है और आपके सरकारी कर्मचारी भी जाते हैं और उसी वक्त उनको वहां प्रिफरेंसियल ट्रीटमेंट दिया जाय और डिस्क्रिमिनेशन हो तो उससे तकलीफ होती है, बुरा लगता है।

आपने बहुत अच्छा किया, आजकल की मंहगाई को देखते हुये जो कि आसमान को छूती चली जा रही है, कुछ केन्द्र से और कुछ सूबे से करके एक इंटेरिम रिलीफ के तौर पर दिया। लेकिन वह समाजवाद के सिद्धान्तों के अनुरूप तो नहीं मालूम होता। जो आदमी सबसे ज्यादा उसका जरूरत मंद है वह है जो कि निम्न श्रेणी का व्यक्ति है जिसको 110–120 रुपया मिलता है और फिर अहिस्ता अहिस्ता उसी ग्रेड से उसको चाहे ऊपर का कम कर दीजिये लेकिन यहां जैसा कि शायद 499 रुपये पाने वालों को 35 रुपया मिला——खैर उसकी मुझे शिकायत नहीं कि उनको 35 मिला——लेकिन जो नीचे वाला है उसको 5 रुपया मिला। तो आप सोचिये कि क्या उसका दिल कहेगा? तो यह बहुत उचित सी बात नहीं है जिसको कि मैं आपके सामने खसतौर पर कहना चाहता था।

मैं आपका इन तमाम किस्सों में ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, हमको अपने तमाम साधनों को, चाहे वह बैंक डिपाजिट्स हों या केन्द्र से साधन मिलते हों, उनको हमें बढ़ाना होगा और उसके लिये हमको इस बात की सफाई करनी होगी कि हमारा सूबा स्टैन्ड कहां करता है। यह सूबे की ओर से जो सरकार है एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है जैसा कि लोग दिन पर दिन बनाते चले जा रहे हैं कि जो कुछ ग्रांट की शकल में इसको मिल गया है। इससे तो ऐक्ट आफ 1938 में ज्यादा आटोनामी सूबे के अन्दर थी और अब वहां से और कुछ प्लानिंग कमीशन के जरिये से और कुछ और ढंग से बिलकुल आटोनामी खत्म हो गयी और अब उसका राजनीति पर यह असर हो गया है कि मुख्य मंत्री के हाथ-पैर बहुत बंध गये हैं। उनके साथ ही उनके चपरासी और जितने भी लोग हैं सबके सब—उनकी नियुक्ति केन्द्र से होगी। सरकारी कर्मचारियों की पालिसी केन्द्र से निर्धारित होगी। जितने काम होंगे उनकी प्रेरणा केन्द्र से मिलेगी। या तो केन्द्र के लोग इतने परिचित हों यहां की समस्याओं से या केन्द्र के लोगों को हर वक्त उनसे मिलना-जुलना हो, वरना हमारी भी एक नुमाइंदा सरकार है जो सूबे की सरकार है, वह ऐसे व्यक्ति तो नहीं हैं जिनको किसी बात का खयाल नहीं है। उनको भी अपने चुनाव का, लोकलाज का और परिवार के लोगों का पूरे तौर पर हर एक बात का खयाल है।

हमारे वित्त मंत्री जी इस वक्त नहीं हैं। उन्होंने पिछले वर्ष और इस वर्ष भी एक वही। उन्होंने कहा कि इनफ्लेशनरी युग के अन्दर जब कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और खर्चा भी बढ़ता है, उसको बढ़ाने के लिए चाहे वह कैपिटल एक्सपेंडीचर हों या कुछ हो तभी जा करके उसको काउंटर-ऐक्ट कर सकते हैं और उस नाते से हमारा खर्चा पहले जिस वक्त कि इनवेस्टमेंट का था उस वक्त हमारे यहां सूबे के अन्दर इनवेस्टमेंट नहीं हुआ और उन

तमाम बातों का नतीजा यह है कि सूबा पिछड़ गया। 1000 करोड़ रुपये का कर्जा देना है और 800 करोड़ ऐसा है जो फ्लोट कर रखा है किसानों को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, लोकल बाडीज में जहां जहां लगा हुआ है। तो हमारी एक संतोषजनक स्थिति है इस खयाल से कि कितना इंटरेस्ट हमारे पास आता है। लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चल सकेगा जब तक कि हम ट्रेंड तरीके से अपनी पर-कैपिटा आमदनी को, अपने सूबे की पूरी आमदनी को पूरे तौर पर न बढ़ावें। और इसके लिये जो स्थिति हो गई है वह यह है कि आपने देखा कि अन्य सूबों में 450 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट किया और उन्होंने अपने किसी आइटम को नहीं काटा। आपने इसका अपनी स्पीच में जिक्र किया है। लेकिन हमें इस बात की शिकायत है कि हम डिसिप्लिन में रहे और इधर ध्यान नहीं दिया गया। यह हो सकता है कि आपको शायद कुछ इनाम मिले। लेकिन इनाम ऐसी चीज नहीं होती है जो कमियों को पूरा कर सके। इस के लिये आपको सोचना होगा और आपको वह कमियां पूरी करनी होंगी। आज तीन हजार करोड़ रुपये के इनवेस्टमेंट को सूबे के अन्दर लाने की जरूरत है वरना बड़ी भयंकर हालत होगी।

एक बात और जैसा कि मैंने कहा कि वित्त मंत्री जी की स्पीच में आपकी पालिसी और प्रधान मंत्री जी का जिक्र हुआ। ठीक है। बहुत अच्छी बात है लेकिन उनके साथ और लोग भी थे और हमारे सूबे के जो नेता हैं वे ऐसे नहीं हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। सभी को प्रेरणा की बात होगी। बंगला देश को जो मान्यता दी है वह इंसानियत से ज्यादा मान्यता दे दी और इसको चुनाव के ऊपर रखा। फिर भी 54 परसेंट वोट आपके खिलाफ गये। इसका जिक्र करना गौरव की बात नहीं है। इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि निश्चय ही कुछ कदम ऐसे हैं जिनकी वास्तव में हमें तारीफ करनी चाहिये। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने 2–3 चीजें स्वीकार की हैं कि इस बजट में कुछ नई और अच्छी चीजें हैं जिनसे प्रदेश का भला हो सकता है और जो परम्परा रही है उससे हट कर नई चीजें दीं। जैसा उन्होंने स्वीकार किया कि वित्त मंत्री ने इस बजट में एक प्रोग्राम ओरियंटेड बजट की बात शुरू की और परफारमेंस बजट की बात शुरू की। जो आर्थिक सेवा है उसको उन्होंने स्वीकार किया और शुरू करने की बात की। इस तरह की चीजों का उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया है। यह अच्छी बात है। यद्यपि उन्होंने इन बातों को अपनी भावना से जोड़ दिया कि किस तरह से लागू होगी तब भी उन्होंने स्वीकार किया कि इस बजट में नई चीजें रखी गई हैं।

मान्यवर, मुझे याद है कि जब मैंने प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से एक चीज रखी थी और प्रतिवेदन में कहा गया था कि इस तरह की कमियां दूर होनी चाहिये। इस के संबंध में वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया है और जिसका जिक्र नेता विरोधी दल ने भी किया है कि डिपार्टमेंट्स में कोआर्डीनेशन की बात नहीं है और एस्टीमेट्स बनाने में अति बिलम्ब होता है और टेक्नीकल सेंक्शन न मिलने पर रुपया लैप्स हो जाता है और जो हमारी स्कीमें होती हैं वह कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। इससे बड़ा नुकसान होता है।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ संख्या 9 पर कहा है कि "भविष्य के लिये यह भी प्रस्ताव है कि प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिन सड़कों और पुलों के बनाये जाने की जरूरत है उनका डिटेल्ड एस्टीमेट विभाग द्वारा पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसिंह]

ही बना लिया जाय ताकि जो भी सड़क या पुल निर्माणार्थ स्वीकृत हो उनको टेक्नीकल सैंक्शन पहले हुई रहे तब प्रारम्भिक प्राक्कलन (प्रिलिमिनरी ऐस्टीमेट) की आवश्यकता ही न पड़े। तो यह बहुत अच्छी बात है कि जिस स्कीम को हम अगले वर्ष लागू करना चाहते हैं उसके डिटेल्ड एस्टीमेट्स पहले ही बन जाएं ताकि कार्यक्रम को लागू करने में अनावश्यक देर न हो और पैसा सही तरीके से खर्च हो। प्राक्कलन समिति की सिफारिश को मानते हुए एक कदम और उठाया गया है। इसी पृष्ठ पर दिया है :—

"प्रशासकीय स्वीकृति आदि निर्णयों में शीघ्रता लाने के लिये वित्त सचिव, निर्माण सचिव व संबंधित विभागीय निर्माण-कार्य से सम्बद्ध सचिव या उप सचिव तथा विभागाध्यक्षों की स्थायी समितियां बनायी जायेंगी जो प्रस्तावित निर्माण-कार्यों की पूरी सूची लेकर बैठकों में ही आपत्तियों पर विचार कर स्वीकृति दे दिया करेंगी। इस प्रणाली से जहां एक ओर प्रत्येक योजना पर अलग-अलग विचार हो सकेगा वहां पत्रावलियों के महीनों घूमने में प्रयुक्त समय की बचत भी होगी।"

ऐसा करने से मैं समझता हूं कि प्रगति का एक अच्छा रास्ता निकलेगा।

मेरे पास बजट के कुछ आंकड़े हैं। हमारी यह परम्परा है कि हम आम तौर से घाटे का बजट पेश करते हैं और बगैर टेक्स लगाये वर्ष के अन्त में उस घाटे की भी पूर्ति कर लेते हैं और हमारा बजट सरप्लस बच जाता है। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था पेश की जाए और अन्त में रुपया बच जाए। पैसा बचने का एक मात्र कारण यह है कि जो कार्यक्रम हम बजट में प्रस्तुत करते हैं उसको हम लागू नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कभी सैंक्शन नहीं मिलती है और कभी एस्टीमेट्स नहीं बन पाते हैं। यह स्थिति देश और प्रदेश की तरक्की के लिये अच्छी नहीं है। मैं पिछले 3–4 वर्षों के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सन् 1962-63 में 13.35 करोड़ रुपये का डेफिसिट था परन्तु वर्ष के अन्त में 1.33 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि घाटे का बजट प्रस्तुत करने के बाद 14.68 करोड़ रुपये की बचत वर्ष के अन्त में हुई। मैं सन् 1965–66 के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। 14.91 करोड़ रुपये का डेफिसिट था और वर्ष के अन्त में चलकर 4.29 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि 19.20 करोड़ रुपये साल भर खर्च करने के बाद बचे रहे। मेरे पास सन् 1969–70 के आंकड़े उपलब्ध हैं जिन्हें मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस वर्ष भी 25.59 करोड़ रुपये बच रहे। तो इस प्रकार से घाटे की अर्थ-व्यवस्था पेश करके वर्ष के अन्त में बजट का सरप्लस रहना कोई अच्छी बात नहीं है। यह हमारी इकानोमी के लिए बहुत नुकसान की बात है। हमें इसको दूर करना चाहिये। दूसरी प्रवृत्ति हमारे विभागों की धनराशि को वापस करने की है। आम तौर से वही विभाग धनराशि वापस करते हैं जो कि निर्माण-कार्य तथा जन-कल्याण कार्य से संबंधित हैं। ये विभाग आम तौर से पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी-कभी तो ये विभाग सप्लीमेंटरी ग्रान्ट भी पास करा लेते हैं। उद्योग विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, नियोजन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग आम तौर से पैसा इस्तेमाल नहीं करते हैं और इन विभागों में धन का प्राविधान स्वीकृत होने के पश्चात् भी रुपया बच जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और विचार करना चाहिये।

उदाहरण के लिए सन् 1969–70 के आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1962 से ले कर आज तक मैंने तमाम अध्ययन किया है। इन सबमें पैसा वापस होता है। 1969–70 में ग्राम सभाओं तथा पंचायतों के लिये बजट में 2 करोड़ का प्राविधान किया गया था लेकिन केवल 1.37 करोड़ रुपये का व्यय हुआ और 63 लाख रुपये की बचत हुई। यानी पूरे

विभाग के बजट का 31 प्रतिशत रुपया आपने खर्च नहीं किया। इसका मतलब यह है कि या तो आपने कोई ऐसी स्कीम्स रखीं जिनके डिटेल्ड एस्टीमेट्स नहीं थे या कोई कार्यक्रम नहीं था या टेक्निकल सैंक्शन नहीं मिला होगा।

इसी प्रकार कृषि सुधार से संबंधित कार्य के लिये 27.59 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया था और 15.72 करोड़ का प्राविधान उसी वर्ष में अनुपूरक बजट में किया गया था और अन्त में 4.87 करोड़ की बचत रही। अर्थात् पूरे बजट का 24 परसेंट रुपया खर्च नहीं कर पाये। चिकित्सा के सम्बन्ध में 17.93 करोड़ का प्राविधान था और और 15.74 करोड़ रुपया खर्च कर पाये। यानी पूरे बजट का 18 प्रतिशत खर्च नहीं कर पाये। योजना तथा समन्वय के अन्तर्गत 21.08 करोड़ का प्राविधान था। 14.33 करोड़ व्यय कर पाये। पूरे बजट का 32 प्रतिशत खर्च नहीं कर पाये। 32 प्रतिशत किसी बजट का खर्च न हो तो यह बहुत परेशानी की बात है। हरिजन कल्याण के बारे में 5.64 करोड़ का प्राविधान था और 5.26 करोड़ व्यय किया। पूरे बजट का 13 प्रतिशत आपने खर्च नहीं किया। तो यह जो प्रवृत्ति है कि हम किसी बात के लिये प्राविधान करें और उस पैसे को खर्च न करें और पैसा वापस कर दें यह अच्छी बात नहीं है। डेफिसिट फाइनैंसिंग की यह कमजोरी है कि हम घाटे की अर्थ व्यवस्था पेश करते हैं इस लालच से कि हम कुछ और संसाधन जुटा कर पैसा इकट्ठा करेंगे और अन्त में कोई साधन जुटाये नहीं और हमारा बजट सरप्लस हो जाता है। तो इस बात के ऊपर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि आपको बजट की कमजोरियों को देखना चाहिये। आपके एस्टीमेट्स बहुत पहले से बन जायं। उसके लिये एस्टीमेट्स कमीटी की एक सिफारिश आयी थी कि हमारे विभागों के अध्यक्षों की आपस में खींचतान रहती है।

एक स्कीम का आपने प्राविधान किया। वह सचिव के बाद प्रशासनिक सचिव के पास गयी। विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने उस स्कीम को विभाग के अध्यक्ष के पास भेजा। उन अध्यक्ष महोदय ने वह स्कीम जिले में भेजी। जिले के अन्दर जाने के बाद वह सब से छोटे कर्मचारी के पास गयी। इसमें कितना समय लगेगा। और फिर वह उसी रास्ते से लौट कर आयेगी। उस पर पहले तो प्रशासनिक अधिकारी एतराज लगायेंगे। फिर जांच होगी। और अगर उनका एतराज न लगा तो वित्त सचिव एतराज लगा देते हैं। फिर वह स्कीम नीचे तक जायेगी। फिर संशोधन होगा। तो साल भर से ज्यादा इस काम में लग जाता है। इस देरी को दूर करने के लिय एस्टीमट्स कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि जैसे मद्रास के सूबे में है कि एक स्कीम को पूरा करने के लिये, उसके एस्टीमेट्स को बनाने के लिये और फाइनल सैंक्शन करने के लिये उस विभाग के अध्यक्ष, सचिव, वित्त सचिव और नियोजन सचिव, चारों इकट्ठे बठकर उस पर विचार करते हैं और उस स्कीम को वहीं अन्तिम रूप दे देते हैं, इसी प्रकार अपने यहां भी किया जाय। यह तो बजट के सम्बन्ध में मैंने आपसे निवेदन किया।

दूसरी बात जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में किया है वह यह है कि वह पंचायतों का चुनाव करायेंगे। मैं समझता हूं पंचायतों के चुनाव कराये जाने से पूर्व उस ऐक्ट के अन्दर 2–3 संशोधन कर दिये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, आपको याद होगा कि बार बार इस बात की मांग की जाती रही है कि 18 वर्ष के नवयुवकों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाय। लेकिन आपने जो प्रधान की आयु रखी है वह तीस वर्ष रखी है। विधान मंडल के किसी भी सदस्य के लिये उसकी आयु 25 साल निर्धारित की गयी है। इस लिये मैं समझता हूं कि प्रधान की आयु भी बजाय 30 वर्ष के 25 वर्ष कर दी जाय। कोई भी ऐसा आदमी जिसने 46–47 में अपनी शिक्षा का आरम्भ किया हो, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो अथवा किसी और बिरादरी का हो उसको गांव समाज का प्रधान बनने से वंचित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। इसलिये प्रधान की आयु 30 वर्ष के बजाय 25 वर्ष कर दी जाय।

[श्री रामसिंह]

पंचायतों के सिलसिले में दूसरी बात यह है कि पंचायत सेक्रेटरी के अलावा एक विलेज लेविल वर्कर होता है, जिनको पंचायतों का काम दिया जाता है। मेरा विचार है कि या तो इन दोनों पदों का एकीकरण करके अथवा और किसी भी प्रकार से पंचायतों का काम करने वाला एक व्यक्ति पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिये। जो ग्राम सभा का पूरा रिकार्ड रख सके और उसके सब कार्यक्रमों में योग देगा। इससे उनके कामों में बहुत अच्छा असर पड़ेगा।

तीसरी बात यह है कि जिला परिषद् और क्षेत्र समिति के अन्तर्गत आपने कोआप्शन का सिलसिला रखा है। मैं उस काप्शन के फेवर में नहीं हूं। यह कोआप्शन उस समय होता है जब कि कमेटी बन जाती है। मान लीजिये किसी में 60 हरिजन आने चाहिये। उनमें से कुछ कम आ पाये। अब शेष का कोआप्शन होगा। अगर उनकी संख्या 10 कम है तो 10 का कोआप्शन होगा लेकिन जिस प्रकार से विधान सभाओं और लोकसभाओं में डबल मेम्बर कांस्टीट्युन्सी होती थीं, उसी प्रकार से यहां पर भी कर दिया जाय। जो मेम्बर चुन कर आता है उसमें कुछ जोर होता है और जो कोआप्ट हो कर आता है वह तो किसी दूसरे की कृपा से आता है। इसलिये इस कोआप्शन की प्रथा को समाप्त करके सीधे मतदान की प्रणाली से चुने जाने की बात की जानी चाहिये।

शिक्षा के संबंध में भी एक बात का जिक्र किया गया कि प्राइमरी और जूनियर क्लासेज की जो शिक्षा है, उसको सरकार अपने नियंत्रण में लेगी। यह बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन इसके साथ ही साथ 3–4 बातें और भी जरूरी हैं, उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, हरिजन समाज कल्याण विभाग के भी कुछ स्कूल हैं उनमें जो टीचर्स हैं, उनका ग्रेड कुछ कम है और जिला परिषद् तथा म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूल के अध्यापकों का ग्रेड अधिक है। इस लिये उनके ग्रेड को भी जिला परिषद् के अध्यापकों के बराबर कर दिया जाय। सब को समान वेतन दिया जाय। अगर उनका वेतन अच्छा होगा तो अच्छे अध्यापक आपको मिल सकेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पायेंगे।

तीसरी बात यह है कि आपको इन विशेष पद्धति वाले स्कूलों पर भी विचार करना होगा। आम तौर से यह दलील दी जाती है कि अगर हमने विशेष पद्धति के स्कूलों को अगर समाप्त कर दिया तो जो विशेष शिक्षा वहां मिलती है वह नहीं मिल पायगी और उसका नतीजा होगा कि बच्च कंपीटीशन में मेरिट पर नहीं आ पायेंगे। विशेष पद्धति पर ज्यादा रुपया खर्च करके आप उन बच्चों को मैरिट पर लाये तो उसमें आपकी क्या महानता है। थोड़े साधनों को जुटा कर आप अगर उनमें योग्यता पैदा कर सकें तभी तो आपकी बहादुरी है विशेष पद्धति के स्कूलों में ज्यादातर बड़े लोगों के लड़के, मिल मालिकों और उद्योगपतियों के लड़के ही उनमें शिक्षा पाते हैं। उनको भी समाप्त करने के लिये आपको विचार करना होगा। इससे शिक्षा में एक रूपता आ सकेगी और सब को उन्नति करने का समान अवसर प्राप्त हो सकेगा।

दूसरी बात यह है कि कुछ हमारे धार्मिक स्कूल भी हैं और जो ऐसे स्कूल है केवल धार्मिक स्कूल ही हैं उनमें पाठ्यक्रम पढ़ाने की आज्ञा नहीं होना चाहिये चाहे वे संस्कृत के स्कूल हों या अरबी के हों या गुरुद्वारों के स्कूल हों वे केवल धार्मिक शिक्षा ही दें लेकिन वहां पाठ्यक्रम के पढ़ाने के लिये आज्ञा नहीं दी जाना चाहिये। आपको इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिये। इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने का प्रबन्ध बाकी सामान्य प्रकार के स्कूलों में ही रहना चाहिये ताकि लोगों के मस्तिष्क में देश, समाज और व धर्मों के प्रति एक समान भावना पैदा हो और एक संतुलन बना रहे।

अभी नेता विरोधी दल ने हरिजन समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम जब कुर्सियां बदलते हैं तो हमारा दृष्टि-

कोण भी बदल जाता है। हमारे माननीय नेता विरोधी दल पिछले 21-22 वर्ष तक बराबर मंत्री रहे और यह हरिजन कल्याण विभाग भी उनके पास रहा। हमारी जानकारी है और हमारे पास आकड़े हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना तक हरिजन कल्याण विभाग के लिये जो रुपया दिया गया उस का हिसाब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से केवल 1.28 रुपया ही आता है। केवल इतना ही हमने उन पर व्यय किया है जब कि हरियाना की सरकार ने हरिजन कल्याण की योजनाओं पर प्रति व्यक्ति 27 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष व्यय किया है। कहा जा सकता है कि वह छोटा सूबा है और वहां यह मुमकिन हो सकता है लेकिन हमारे साधन तो उनसे कहीं ज्यादा है अगर हमारा सूबा उन से बड़ा है तो। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 22,51,00,462 रुपया का प्राविधान किया गया और सरकार ने जो तीसरी योजना के अन्त तक खर्च किया वह 17,54,00,831 रुपया यानी 5 करोड़ रुपया इस तरह से अप्रयोजित रहा और सरकार को वापस कर दिया गया। जब इतना रुपया विभाग वापस करगा तो उसमें क्या तरक्की हो सकती है। केवल 80 प्रतिशत, प्राविधान व्यय किया गया और 20 प्रतिशत वापस किया गया, क्या स्कीम चलेगी और क्या हरिजनों की उन्नति होगी।

इसके अतिरिक्त 67 के चुनाव के बाद जब संविद सरकार चौधरी चरण सिंह के मुख्य मंत्रितत्व में बनी तो मुझे जहां तक याद है श्री राम प्रकाश उन के उप मुख्य मंत्री बने और उनके पास ही यह हरिजन कल्याण विभाग था और उनके जमाने में उस वर्ष जो बजट आया उसमें इस विभाग की 33 प्रतिशत रुपए की स्कीम काट दी गई, कुछ स्कीम ही खत्म कर दीं और उनके लिये बजट का प्राविधान नहीं किया गया, उनकी गृह और उद्योग की ग्रान्ट समाप्त कर दीं और शिक्षा की ग्रान्ट में भी कमी कर दी गई। इस तरह से इधर सरकार में बैठने के बाद यह उन का कार्य रहा। एक बात जरूर अच्छी है कि आप ने कहा है कि हम प्रोमोशन्स में रिजर्वेशन उन को देंगे। इससे हरिजन अभ्यर्थियों को तरक्की करने का मौका मिलेगा। जो हरिजन अन्य कारणों से सेलेक्ट नहीं हो पाते थे इस रियायत से उनको भी मौका मिल जायगा और उनको सहूलियत होगी और लोग मिल पायेंगे।

आप अगर बजट के आंकड़े देखें तो प्रशासन और समाज कल्याण कारी योजनाओं के लिये सन् 72-73 में 81 लाख 26 हजार रुपया का प्राविधान किया गया है और उस में से जो कल्याणकारी योजनायें हैं उन पर केवल 24 लाख 72 हजार 400 रुपया व्यय किया गया है जो आप व्यय करेंगे। शेष 56 लाख 54 हजार आप प्रशासन पर व्यय करेंगे। जिसमें प्रशासन, बिलडिंग और भत्ते आदि का व्यय शामिल है। यह कितनी उपहासजनक बात है।

यह एक उपहास की बात है। किसी विभाग में कल्याणकारी कार्य में खर्च कम हो और प्रशासनिक कार्य में ज्यादा खर्च हो। 1958 में एक काल्का प्रसाद कमेटी बैठी थी। उसने 3 सिफारिशें की थी मुख्य रूप से यों तो उसकी बहुत सी सिफारिशें थीं। लेकिन उन्हें भी आज तक इस सरकार ने लागू नहीं किया। एक सिफारिश यह थी कि उत्तर प्रदेश में केन्द्र की तरह का एक परमानेन्ट कमीशन शैड्यूल्ड कास्टस का बने जो कि प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट शासन को दें कि स्कीम्स का इम्पलीमेंटेशन हुआ है या नहीं। दूसरी सिफारिश उनकी यह थी कि जिले का जो हरिजन कल्याण अधिकारी है, उसका स्तर ऊंचा किया जाय ताकि जिले के दूसरे अधिकारी उसकी बात मान सकें और वह जिले में रह कर कुछ कार्य कर सके। इसी प्रकार से 4-5 समितियां बैठी थीं। एक काल्का प्रसाद कमेटी, बल्देव सिंह आर्य की कमेटी, राधा कृष्णन कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी, आचार्य जुगुल किशोर के सभापतित्व में एक कमेटी बैठी। इन 5-6 समितियों की रिपोर्ट हमारे सामने है, इनकी जो सिफारिशें थीं, उनके कार्यान्वियन के सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त करने के लिये कि कितनी सिफारिशें रखीं और कितनी का रिटर्न मिला, कितना लाभ हुआ, यह कोई समिति या कमीशन आप बैठायें और फिर वह शेड्युल्ड कास्ट कमीशन या परमानेन्ट कमीशन बैठे और इस बात की जांच करे खासतौर से कि उनका कार्यान्वियन हमारे प्रदेश में हुआ है अथवा नहीं।

[श्री रामसिंह]

एक बात मुझे यह कहनी है कि हमारे यहां पर 4 तरह के उद्योगों को एड, ग्रान्ट या अनुदान दिया जाता है। उनमें, एक तो सिलाई की मशीनों के लिये, दूसरे मुर्गी पालन के लिये, तीसरे बकरी पालन के लिये और चौथे सुअर पालन के लिये। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वे अपने उत्तर दें, इस बात को स्पष्ट कर दें कि उन्हें बसेज खरीदने के लिए सिनेमा बनवाने के लिये, शराब की दुकाने खोलने के लिए भैंस पालने के लिए क्यों कर्जा नहीं दिया जाता है। उनका जो पैतृक पेशा रहा है, उन्हीं के लिए रखते हैं। जो शेष अनुदान दूसरे लोगों के लिए करने का है, उनमें आपने कोई प्राविधान क्यों नहीं किया है। जिन कार्यों में ज्यादा आमदनी हो सकती है, उन कामों को आरम्भ करने के लिए, विचार करके, उन्हें देना चाहिए।

एक बात माननीय नेता विरोधी दल ने कार्पोरेशन के सिलसिले में कही, उसके सम्बन्ध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण की लाइन पढ़ कर सुना देता हूं। उससे स्पष्ट हो जायगा कि कार्पोरेशन को हमने बनाया है या ये पहले के हैं। पृष्ठ 5 पर दिया हुआ है कि यद्यपि क्षेत्रीय निगमों के बनाने के निर्णय पहली सरकारों द्वारा लिये गये थे लेकिन उनको संगठित करने का उत्तर-दायित्व वर्तमान सरकार पर पड़ा।

इसका मतलब यह था कि कार्पोरेशन बनाने का निर्णय पहले का था। यह बात अवश्य है कि 2–3 कार्पोरेशन्स मौजूदा सरकार ने बनायी है लेकिन उन्होंने कार्पोरेशन्स बनाने की जो मुखालिफत की है, उनके बनाने की योजना उन्हीं की थी। केवल उनके कार्यान्वयन के लिए इस सरकार के ऊपर भार आया।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

*श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई कवि और कोई लेखक अपनी रचना के पूर्व एक वन्दना करता है, कवि अपने गुरु की और कभी अपने देवता की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बजट प्रस्तुत करने के पूर्व उन्होंने वन्दना करना उचित समझा और उन्होंने बार-बार हमारी बहिन, प्रधान मंत्री जी की वन्दना, उनके प्रगतिशील नेतृत्व और समाजवाद की बड़े जोरों से। सवाल यह है, श्रीमन्, यह जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है।

(इस समय 3 बज कर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

समाजवाद का और प्रगतिशील नेतृत्व का यह व्यवहार में सही है या गलत। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाथी के दांत की तरह दिखाने के दांत और खाने के दांत और। अभी जो कुछ हुआ है उससे मुझे ऐसा लगता है कि बात वह सही है।

श्रीमन् गरीबी मिटाओ और प्रिवीपर्स का मसला इस देश के अन्दर लाया गया और सवाल है क्यों लाया गया। इसकी जरूरत थी क्या प्रिवीपर्स के सिर्फ साढ़े चार करोड़ रुपया का मामला इन्वाल्व्ड था। साढ़े चार करोड़ रुपये का मसला इतना बड़ा मसला क्यों बना। यह मुल्क गरीब है इस देश के अन्दर गरीबी भीषण है। और आज इस देश का गरीब आदमी जो है वह हमेशा से जमींदारी के राजाओं के महाराजाओं के खिलाफ रहा है। एक ऐसी मनो-वृत्ति रही है और मनोवृत्ति का फायदा उठाने वाले ये प्रिवीपर्स का मसला लाया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं जानना चाहता हूं कि मार्च, सन् 1971 में इस देश के पूंजीपतियों पर 730 करोड़ रुपये टैक्स का बकाया था और वह 900 करोड़ रुपये के करीब मार्च, सन् 72 में हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी बहिन जी ने कौन सा वक्तव्य दिया उसे वसूल करने के लिये। क्या प्रयास किया। वह साढ़े चार करोड़ रुपया इम्पार्टेन्स रखता है या नौ सौ करोड़। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही समाजवाद है क्या इसी तरह से समाजवाद आयेगा। यह क्या बहकाने की बात नहीं है।

श्रीमन्, वायदा किया था उन्होंने इस देश के अन्दर उन पूंजीपतियों को उन उद्योगपतियों को फिर से लाइसेंस नहीं दिया जायेगा जिनको एक बार लाइसेंस दिया जा चुका है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 157 लाइसेंस छः महीने के अन्दर उन्हीं उद्योगपतियों को दिये गये जिनके पास पहले से लाइसेंस मौजूद थे। क्या इसी तरह से समाजवाद आयेगा। श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी बहिन जी श्री राज नारायण के खिलाफ थीं बहुत जोर शोर से और उसके लिये उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि जीतने न पायें। इसी प्रकार से एक समाजवाद उनकी पार्टी के अन्दर है। मैं नाम लेकर कहूंगा श्री अर्जुन अरोड़ा। जो बिरला और टाटा के खिलाफ थे वे उनको भी उसी प्रकार से विरोधी मानती थी जिस प्रकार से वे श्री राज नारायण जी को विरोधी मानती थीं। उन्होंने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया श्री अर्जुन अरोड़ा को टिकट नहीं मिला। बल्कि एक शराब बनाने वाले को टिकट दे दिया गया। यह समाजवाद आ रहा है श्रीमन् इतना ही नहीं। स्टेट बैंक में साठ लाख का एक मामला उठा साठ लाख रुपये निकल गये बिना अकाउन्ट के। नागरवाला, श्रीमन् उसकी मौत हो गई जेल के अन्दर। एक्सीडेन्ट हो गया एक डी० एस० पी० का उस मामले से वह सम्बन्धित था। श्रीमन् क्या दुनिया के इतिहास में कोई ऐसी मिसाल है जब चार दिन के अन्दर इस तरह के मामले को निपटाया गया। क्या यही समाजवाद है। क्या इसी तरह से समाजवाद आयेगा ?

मैं जानना चाहता हूं कि श्रीमन् इस उत्तर प्रदेश के अन्दर बड़ी बुरी तरह से दलबदल हुआ है। दुनिया के इतिहास में दल बदल इस उत्तर प्रदेश में जैसा हुआ, कहीं नहीं हुआ। इसका भी एक रिकार्ड उत्तर प्रदेश ने कायम किया। श्रीमन् वे लोग जो अपने को प्रगतिशील कहते थे जो उत्तर प्रदेश के अन्दर स्वच्छ प्रशासन, कुशल प्रशासन लाना चाहते थे उनको लिहाज नहीं आया कि जब उन के साथ गवर्नमेंट बनाने की बात थी तो होम मिनिस्टर बन गये, एजूकेशन मिनिस्टर बन गये तमाम डिप्टी मिनिस्टर बन गये क्यों, क्योंकि कुर्सी उनको पुकार रही थी। जब यह मामला गड़बड़ मालूम हुआ, उनको यह महसूस हुआ।

कि अब वह कुर्सी नजदीक नहीं है या मिलने वाली नहीं है, तो उन्होंने क्या किया ? प्रगतिशील नीतियों के नाम पर उसी गंगाजी में चल गये जहां सब जा रहे हैं। आज प्रश्न इस बात का है कि यह दल बदल क्यों कराया जा रहा है, इससे कौन सा समाजवाद आने वाला है। चरणसिंह को छोड़कर हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्रगतिशील नेतृत्व की घोषणा की थी और दो टुकड़े कांग्रेस के किये और आज वह सारे चेहरे बदल-बदल कर उधर चले जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं इससे कौन सा समाजवाद अब आयगा। वही व्यक्ति हैं लेकिन सूरतें सब बदल गई। जिन लोगों पर तरह-तरह के आरोप थे, आज वे लोग उस तरफ बैठकर उस सरकार को चला रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सब चीजें हमारी बहनजी को नहीं मालूम। लेकिन अगर उनमें समझ होती तो अच्छे प्रशासन के लिये, भ्रष्टाचार मिटाने के लिये वह इस विधान सभा को भंग कर देती। आप नये आदमी लाइये और इस सरकार को चलाइये। आज आप दल बदल कर सरकार चलानी चाहते हैं और इधर आप कह रहे हैं कि हम दल बदल पर एक विधेयक ला रहे हैं।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, हमारे साथी जिस तेजी से दल-बदल के बारे में बोल रहे हैं और सरकार को गाली दे रहे हैं, तो मुझे शंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे उनमें से हों जो यहां आने वाले हैं ?

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

मान्यवर, मैं उन दलबदलुओं को आगाह कर देना चाहता हूं कि आज वह इंदिराजी का पल्लू पकड़कर बैतरणी पार करने की कितनी ही कोशिश क्यों न करें, पार नहीं होंगे। बीच में ही डूब जायेंगे।

(शोर)

इस बात का जवाब जनता देगी। मैं चैलेंज देता हूं आप चुनाव में आइये। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि बहुतों को कांग्रेस से टिकट मिलने वाला नहीं है। अगर उन्हें टिकट न मिले तो इन्डिपेंडेंट खड़े हो जायें और अगर टिकट मिल जाय तो इंदिरा कांग्रेस के बल पर चुनाव लड़ते रहें। यह फैसला जनता की अदालत में होगा, जनता फैसला करेगी···

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

अभी आप 10 सीटों पर चुनाव देख चुके हैं। एक भी नहीं पायी।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

हमारे साथी जो कुछ बोल रहे हैं, बड़ी आवाज से बोल रहे हैं। ऐसा लगता है उनको बुरा लग रहा है। मैं तो चैलेंज करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि विधान सभा भंग कर दें, चुनाव करायें, यदि इतना दम है। मैदान में आवें और देखें कि किसको प्रतिनिधित्व मिलता है।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर विरोध पक्ष चाहे तो मैं इस हाउस को डिजोल्व करवा दूं उस समय सारा विरोध पक्ष बैठा हुआ था लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

आप मेरे चैलेंज को स्वीकार कीजिये और विधान सभा भंग कराइये। मान्यवर, इस तरह से समाजवाद नहीं आयेगा कि अपने लड़के को कारखाना खुलवा दें। मैं कहना चाहता हूं कि पंडित नेहरू जिन पैमाने पर चले थे, जिस आदर्श की नीतियों को, सिद्धांतों को लेकर चले थे, उसके खिलाफ आज कारखाना खुलवा दिया और वी० आर० मोहन को उसका चेयरमैन बना दिया जो अपना रुपया लगा रहा है। क्या इससे समाजवाद आ रहा है ? पंडित नेहरू ने जो कुछ किया उससे कहीं ज्यादा गलत काम करने के लिये आप तैयार हैं।

श्री त्रिवेणी राय—

पिछले एलेक्शन में आपने अपनी हालत को देख लिया। आप रिजाइन करिये और मैं भी रिजाइन करता हूं और लड़ कर देख लीजिये। आपकी जमानत न जब्त हो जाय तो कहियेगा।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

मैं चुनौती देता हूं कि आप लड़ कर देख लें।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, दोनों ही चैलेंजर हैं और लड़ने के लिये तैयार हैं । आप उनके इस्तीफे की घोषणा कर दीजिये ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी---

मैं रिजाइन करने के लिये तैयार हूं, आप लड़कर देख लीजिये ।

श्री त्रिवेणी राय---

आप तो आप, मैं आपके नेता चौधरी चरण सिंह को भी चुनौती देता हूं कि वह लड़ लें ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी---

आज हमारी बहन जी ने इस प्रकार की पावर्स ग्रहण कर ली हैं कि मुख्य मंत्री जी भी उनके इशारे पर नाच रहे हैं । बिहार में क्या हुआ ? एक पंडाल में मुख्य मंत्री बैठे थे, कई मंत्री ओथ ले चुके थे फिर उनको हटा दिया गया । क्या यह प्रजातंत्र है ?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य व्यक्तिगत आक्षेप न करें और बजट पर बोलें।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी---

अब प्रीवी पर्स समाप्त हो गया परन्तु मान्यवर, सन् 47 से लेकर आज तक एक ही परिवार की यह जागीरदारी चली आ रही है । वह कब खत्म होगी ? सन् 1965 में शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई लड़ी और वह विजयी हुये । ताशकन्द में जाकर पैक्ट हुआ । मुझे कुछ ऐसी खबरें मिली हैं कि ताशकन्द पैक्ट में शास्त्री जी के हस्ताक्षर ही नहीं हुये । वह महान नेता हस्ताक्षर किये बिना ही यदि हिन्दुस्तान लौट आता तो क्या उसको कोई प्रधान मंत्री के पद से हटा सकता था ? शास्त्री जी किसान के बेटे थे । वे किसान के हमदर्द थे । यह डिमान्ड की गई थी कि उनकी मृत्यु की जांच करने के लिये कमीशन बैठाया जाय । अब किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि इसके खिलाफ मुह खोल सके । हम सभी को यह कहना चाहिय और मैं मांग करता हूं कि उनकी मृत्यु की जांच के लिये एक कमीशन बैठाया जाय और इसका भी पता लगाया जाय कि ताशकन्द समझौते पर शास्त्री जी के हस्ताक्षर हुये थे या नहीं ।

मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है । अभी तीन माह पूर्व मिरानपुर, जिला शाहजहांपुर में एक राहजनी हुयी । एक अधिकारी की इस संबंध में तलाशी हुई जिनके पास 65 हजार रु० और एक बन्दूक भी बरामद हुई । उनको सस्पेंड भी नहीं किया गया । इसक क्या मतलब हैं ? सरकारी कार्यालयों में, थानों में और तहसीलों में किस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है जिसकी हद है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज कार्यालयों में लोग 11 बजे, 12 बजे आ रहे हैं । क्या हालत है ? श्रीमन्, आदमी जाता है अपने काम के लिये। उसको एक दो तीन महीने लौटाया जाता है । उससे कहा जाता है कि फाइल मिल नहीं रही है। आप जापान चले जाइये । ठीक 10 बजे आदमी आयेगा और ठीक 5 बजे जायेगा। पब्लिक का आदमी जायेगा तो 5 मिनट में उसकी फाइल का डिस्पोजल हो जावेगा। किसी आदमी को भी हिन्दुस्तान में काम का ध्यान नहीं है और आज यह सरकार भी ऐसे लोगों पर ही आधारित है ।

मैं कहना चाहूंगा कि देश में 95 प्रतिशत आदमी चाहे नेता हों या अधिकारी हों वह भ्रष्ट हैं और इन 95 प्रतिशत आदमियों की जब तक पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तब तक यह सरकार

[श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी]

चल नहीं सकती है । अगर उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाये तो लाखों आदमी उसका भाषण तो सुनने आवेगा लेकिन अन्दर अन्दर कहेगा, कि इस व्यक्ति की सरकार इस सूबे में न आवे । आज देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है । इसके पनपाने में 90,95 प्रतिशत व्यक्ति ज़िम्मेदार हैं । श्रीमन्, बहुत से उदाहरण मेरे पास मौजूद हैं । बहुत जगह पर सुरक्षा कोष का जो रुपया जमा हुआ था वह भी गबन हो गया है । अभी मैंने शाहजहांपुर में मीरानपुर कटरा टाउन एरिया की बात की । वहां के कर्मचारियों ने रुपया जमा किया लेकिन अभी तक वह पहुंचा नहीं है । सुरक्षा कोष तक का रुपया गबन हो रहा है । श्रीमन्, हरिजनों के लिये बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं । अभी नेता विरोधी दल ने पीलीभीत का जिक्र किया । एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया और वह भी भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद् के द्वारा । हमारा चरित्र कितना गिर गया है । मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, हमारे कानपुर जिले में पुखरायां एक स्थान है । उसमें कालेज के एक प्रिंसिपल ने एक लड़के को निकाल दिया, क्योंकि वह बड़ा उदंड था और हर तरह से कालेज में वातावरण अशांत करने की कोशिश कर रहा था । वह एक कांग्रेसी का लड़का था इसलिये उसकी हिम्मत हुई कि कालेज के अन्दर प्रिंसिपल को गाली गलौज दे और मार पीट की धमकी दी । जब रिपोर्ट लिखाई गई तो डी० एस० पी० तक ने उसकी पैरवी की । यह वातावरण कैसे चलेगा ? कितने शर्म की बात है कि कालेज का वातावरण इस तरह से खराब किया जा रहा है । श्रीमन्, भ्रष्टाचार के एक नहीं बहुत से उदाहरण मेरे पास हैं । अभी इलाहाबाद में श्रीमन्, एक छोटे से मुहल्ले में 10,12 घर जो हरिजनों के थे रातों-रात थानेदार ने जाकर एक बड़े आदमी के कहने से गिरवा दिये । यह उत्तर प्रदेश में शासन है । हालत बिगड़ती चली जा रही है । मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा क्योंकि लाल बत्ती बहुत देर से जल रही है । इनकी करनी और कथनी में बहुत अन्तर है । इसलिये बहुत दिन चलने वाला नहीं है । हवा आई है तो चली भी जावेगी । यह बात दूसरी है कि उस हवा के साथ कुछ लोग बह जायं लेकिन जो रहेंगे वह स्थिर होंगे । जिस आंधी तूफान ने आपको ऊंचा उठाया है वही नीचे भी गिरायेगा, जरूर गिरायेगा ।

श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि मुझे 1972–73 के आय-व्ययक पर बोलने का अवसर दिया है । मैंने अभी माननीय सदस्य के भाषण को बड़ी गौर से सुना और उनके भाषण में, जसा कि मैं आशा करता था, विरोधी पक्ष द्वारा कुछ रचनात्मक सुझाव और आपत्तियां इस बजट पर की जा सकती थीं या प्रदेश के विकास के लिये जो इसमें यदि कोई खामियां हों, उसकी ओर ध्यान दिलाया जाना चाहिये था, उसमें ऐसे वास्तविक सुझाव न पाकर मुझे उनके भाषण से बड़ी निराशा हुई । निराशा इस बात से हुयी कि उन्होंने सिर्फ चुनाव समाजवाद और भ्रष्टाचार की मोटी-मोटी बातें यहां दर्शा दीं । तो मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह जो 1972–73 का बजट बनाया गया है, वह एक समाजवादी और प्रगतिशील बजट है और इस प्रदेश के बारे में जो यह कहा जाता रहा है कि यह बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है, यहां परकैपिटा इनकम बहुत कम है, उद्योग नहीं है, शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ता है, इन सारी बातों की ओर पूर्ण ध्यान देते हुये माननीय वित्त मंत्री जी ने यह जो बजट प्रस्तुत किया है, जो प्रशंशनीय है । इसमें आर्थिक प्रगति की उन सारी बातों का दिग्दर्शन किया गया है । वित्त मंत्री जी ने इस प्रदेश के लिये प्लांनिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना का सुझाव दिया है जो प्लांनिंग बोर्ड की मदद के लिये विचारपुंज माननीय

विरोधी दल ने नेता ने जिसका जिक्र किया है कि इसमें बड़े-बड़े साइंटिस्ट, एक्सपर्ट एवं इकोनोमिस्ट रहेंगे जो आर्थिक उन्नति के बारे में अपने सुझाव देंगे और वे प्लानिंग कमीशन की राय से लिये जायेंगे । प्रदेश की उन्नति की योजनायें देंगे जिससे कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और इसकी उन्नति होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एकोनामिस्ट विशेषज्ञ, डा० बलजीत सिंह ने एक बार लिखा है कि हमारे प्रदेश में करीब 82 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हैं और उद्योगों की तरफ उनका कम रुझान है । उद्योगों के लिये जब कम आदमी आश्रित रहते हैं, तो प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है । इस प्रदेश में पब्लिक अंडरटेकिंग की कमी है । हमारे तकनीकी लोग जो हैं, उनका ठीक ढंग से औद्योगिक विकास में उपयोग नहीं कर रहे हैं और जो आर्थिक साधन हैं, उनका उचित प्रयोग नहीं हो रहा है । माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये उसमें लचीलापन दिया है। उन्होंने उद्योगों के लिये पैकेज आफ इनसेन्टिव प्रोग्राम की घोषणा करने की मंशा जाहिर की है । उत्तर प्रदेश में जो भी उद्योगकर्ता होंगे, उनको क्या सहायता उद्योगों के लिये मिल सकती है, कहां से मिल सकती है, आदि बातों के बारे में सरकार द्वारा उन्हें मदद मिलेगी। पिक-अप प्रोग्राम उनको गारन्टी देगा । हमारे बहुत से जिलों में उद्योग अधिकारी नहीं थे । वित्त मंत्री जी ने 19 उद्योग अधिकारियों की नियुक्ति की है । वित्त मंत्री जी ने जुडीशियरी को प्रोत्साहन देने के लिये 129 मुंसिफों के पद क्रियेट करने की मंशा जाहिर की है। सूचना विभाग में हमारे बहुत से जिलों में सरकार की नीति के प्रसार के लिये सूचना अधिकारी नहीं थे, उनकी भी पोस्टों को क्रिएट करने की घोषणा बजट में की है । हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है । कई शिक्षित स्नातक और इंजीनियर्स बिना काम के बैठे हैं । हमारे बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या पहले 4618 थी और अब 5027 हो गयी है। इस प्रकार जो पढ़े लिखे टेक्नीकल इंजीनियर्स आदि हैं, उनको भी काम मिल सके इसके लिये अनेकों ग्राम विकास की योजनायें बनायी गयी हैं । उससे ग्रामों के विकास के साथ-साथ इंजीनियरों को भी काम मिल सकेगा, इसलिये सरकार ने "बजट में रूरल इंजीनियरिंग संगठन" का प्राविधान किया है ।

इसी प्रकार बहुत सी सड़कों और मकान आदि के डिजाइन बनाने के लिये भी एक योजना सरकार ने बनायी है जिसके द्वारा भी काफी लोगों को काम मिल सकेगा । बजट को देखने से मालूम होगा कि इसमें अब काफी इंजीनियर्स लग जायेंगे ।

प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके तथा पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करके भी सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया था । अभी तक न तो शिक्षा का स्तर ही अच्छा था न अध्यापकों को वेतन ही मिल पाता था ।

लोक लेखा समिति ने अपनी कई रिपोर्टस में यह सुझाव दिये थे कि रोडवेज को व्यवसायिक ढंग से चलाया जाय और उसका एक निगम स्थापित किया जाय जिसे कुछ वित्तीय अधिकार भी दिये जायें । इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री जी ने एक ट्रांसपोर्ट निगम बनाने की भी घोषणा की है। इससे रोडवेज का विकास होगा और जनता की सहूलियतें भी बढ़ेंगी ।

इसी प्रकार मिर्जापुर, चुर्क तथा डल्ला में जो सीमेंट के कारखाने हैं, उनके लिये भी एक निगम बनाने की घोषणा की है । हमारे यहां चूना काफी मात्रा में मिलता है जिसका सीमेंट बनाया जा सकता है । इससे नये-नये उद्योग खोलने में सहायता मिलेगी ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार ने जितने निगम बनाने की घोषणा बजट में की है वह निश्चय ही एक प्रगतिशील कदम है और उससे जनता को राहत मिलेगी तथा प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सकेगा ।

[श्री गोपाल दत्त ओझा--]

साथ ही ग्रामीण विकास के लिये वित्त मंत्री जी ने एक ग्रामीण विकास शुल्क द्वारा 10 करोड़ रुपये हर साल "ग्रामीण विकास निधि" द्वारा धनराशि एकत्र करने की बात भी कही है। इससे ग्रामों में काफी उद्योग कायम किये जा सकेंगे और वहां पर विकास कार्य होंगे। उनकी तमाम समस्यायें दूर होंगी। इसके लिये उन्होंने एक समिति भी गठित करने के लिये कहा है। हाल में लखनऊ में एक ग्राम पंचायत सम्मेलन भी हुआ है। पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन करके एक नया विधेयक भी हमारे सामने आने वाला है। इस सब से ग्रामों का निश्चय ही विकास होगा।

यह कहा गया कि हरिजनों के लिये कुछ नहीं हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष सबसे बड़ा कदम यह उठाया गया है कि अब उनको मकान बनने के लिये 500 रुपये का कर्जा भी दिया जायेगा। पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। दूसरे, उनके लिये सर्विसेज में 18 परसेंट का रेजर्वेशन पूरा हो, लोक सेवा आयोग में एक इम्पलीमेंटेशन सेल कायम किया गया है। इसके अलावा विधान में भी संशोधन किया गया है। उसमें संशोधन करके उनके लिये व्यवस्था की गई है कि हरिजन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमीन एलाट करने में प्राथमिकता दी जाये। गरीबी दूर करने के लिये हमारी सरकार हरिजनों के कल्याण के लिये बड़े-बड़े काम कर रही है। वह एक प्रगति शील कार्य (डायनिज्म) कर रही है, आज एक नई दिशा पर चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे भारत देश का पाकिस्तान के साथ एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हमारे हजारों वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इन वीरगति प्राप्त सैनिकों का हमें सम्मान करना चाहिये और उनके हित में अधिक से अधिक कार्य करना चाहिये। हमारे इस प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे यहां के 2 सनिकों को महावीर चक्र मिला है और 26 को वीर-चक्र प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिये बहुत अच्छी योजना बनाई है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिल सकें। पुलिस ऐंड आर्म्ड पर्सन सहायता संस्थान के माध्यम से भी सरकार ने उन्हें लाखों रुपये की सहायता की है और तरह तरह से मदद की है। इस सदन में सबसे अच्छी घोषणा जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने की है, वह यह है कि सनिकों के लिये 60 लाख रुपये का बजट मंजूर किया गया है। ताकि इससे सैनिकों के लिये 100 शहरों में और 100 गावों में मकान बनाये जा सकें।

अब मैं पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां पर गत-वर्ष भीषण बाढ़ आई है, वहां पर बहुत सारे गांव बरबाद हुये हैं और सदा होते रहते हैं। वहां बरसा से बहुत सारे गांव तहस-नहस हुये हैं और जमीन कटने का अन्देशा हो गया है। यों तो 506 व्यक्ति सारे प्रदेश में मरे हैं, 250 करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हुयी है और काफी फसल नष्ट हुयी है। पहाड़ पर काफी गांव इससे धंस गये हैं और काफी गांवों के धंसने की संभावना है। सन् 54 में दे देहरादून विश्व वन कांग्रेस बैठी थी, उसने रिपोर्ट दी थी कि बांध बनाने से केवल इस समस्या का कोई निदान नहीं हो सकता है और हमारा जो निदान है वह यह है कि बंधिया बनानी पड़ेंगी, नदी के स्थान उद्गम में पेड़ लगाने पड़ेंगे और भुस्खलन रोकना पड़ेगा। मैदान में भी बड़ी-बड़ी बाढ़ आती हैं, जिनसे क्षेत्र में बरबादी हो जाती है। अभी लखनऊ में भी बाढ़ से काफी बरबादी हुयी थी। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बाढ की विभीषिका का अन्त करने के लिये आवश्यक है कि 1954 की उस बाढ़ जांच कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए और उसने जो रिपोर्ट दी थी कि यहां कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, वनों का बड़ी निर्ममता से उपयोग किया जाता है आदि तमाम बातों पर विचार करके उसे कार्य रूप में परिणित किया जावे। इस दृष्टि से काफी वहां के लिए अनुदान दिया जाए और पहाड़ों के गावों को बचाया जाए।

हमारे जिले पिथौरागढ़ को यह सौभाग्य प्राप्त कि वहां के 80 सिपाहियों ने देश की सेवा करते-करते वीरगति प्राप्त की है। अतः वहां के विकास के लिए सनिक परिवारों की एक विशेष अच्छी योजना चाहिए। जिन परिवारों के सैनिक युद्ध में काम आए हैं, उनके निराश्रित परिवार वालों को जमीन देने की योजना बननी चाहिये। तराई-भावर में 53 हजार आदमी 20 हजार एकड़ जमीन में अनधिकृत रूप से बैठे हुए हैं, उनसे जमीन ली जानी चाहिये। सभी बड़े बड़े आदमियों ने वहां बड़ी बड़ी जमीन हड़प कर ली है। श्री बोहरा, जो वह कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम काफी जमीन ऐलाट करा ली है, श्री रामरूप सिंह जो वह नैनीताल में डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने अपने परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ी जमीन एलाट कर दी है तथा श्री चूणामणि जो पंचायतराज विभाग में थे, उन्होंने भी अपने नाम से बहुत बड़ी जमीन हस्तगत कर रखी है। इतनी अधिक लूट होने पर भी जो वीरगति प्राप्त किये हैं उनके परिवारों वालों को जमीन न देना बड़े खेद की बात है। उनको भी अवश्य जमीन मिलनी चाहिये। उनके रहने के लिए मकान नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं निराश्रित परिवारों के लिए जमीन की व्यवस्था की जाये, उनको बसाया जाय और ज्यादा अनुदान दिया जाये, उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाये, सरकार ने उत्तराखण्ड विश्वद्यालय ऐक्ट बनाने का निश्चय कर लिया, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

पहाड़ में एक यूनिवर्सटी जुलाई से खोलने का भी निश्चय कर लिया है, मैं उसके लिए भी उन्हें बधाई देता हूं। पर्वतीय विकास निगम की घोषणा की गई, उसमें पर्वतीय क्षेत्र की जानकारी वाले अफसर रखे गये हैं और इस लिए मुझे विश्वास है कि इसके द्वारा हमारा आर्थिक विकास होगा, बड़े बड़े उद्योग खुलेंगे और वहां की गरीबी, बेकारी दूर होगी। हमारे यहां उत्तराखण्ड में चार ब्लाक्स हैं—भटियारी, धार-चूला, मुंशियारी, जोशीमठ—ये काफी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से काफी गरीब हैं—और तिब्बत और नैपाल से मिले हुए हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित किया जाये जिसमें वहां के हर निवासी को, चाहे वह किसी जाति का हो समान सुविधा मिल सके। वहां की गरीबी दूर हो सके। इन शब्दों के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सीमांत के वासी राष्ट्र के नाम पर बलि देने को तैयार हैं। उन्होंने 1962 में हर कुरबानी की। उन्होंने सामान ढोने और हर काम के लिए अपना समय दिया। वहां करीब 54 हजार सैनिक, व भूतपूर्व सैनिक हैं। वह राष्ट्र की मान के लिये सब कुछ करने को तैयार हैं। मैं चाहता हूं पहाड़ों के लिए अच्छे अफसर भेजे जाएं, जो अनुभवी हों, पहाड़ों में जाकर पहाड़ी भाषा समझें और पहाड़ की समस्याओं का समाधान करें ताकि हम समझें कि सरकार हमारी समस्याओं के प्रति जागरुक है, और हमारा मनोबल आगे बढ़ाता रहे इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं और यह कहता हूं कि हमारे सीमांत जिलों में अधिक से अधिक धन देने की कृपा की जाय।

श्री सियाराम (जिला एटा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में नेता विरोधी दल ने जो हैं, सुझाव दिये मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री ने 61.09 का जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया है यह बड़ा चिन्तनीय विषय है कहने के लिये कहते हैं, देहाती कहावत है—इतने पैर पसारिए जितनी लम्बी सौर। उतना कार्य करना चाहिए जितना हम कर सकें। हमारा प्रदेश बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ है। इस प्रदेश की जनता पर हम अनौपचारिक रुप से कर भार ज्यादा नहीं लाद दें बजट भाषण में 61.09 का जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया

[श्री सिया राम]

है उसमें वित्त मंत्री जी ने केवल 30 करोड़ की पूर्ति दिखा दी है। लेकिन शेष 31.09 का जो घाटा रह जाता है उसको किस प्रकार पूरा किया जायगा इसका उल्लेख नहीं किया गया है यह बड़ा चिन्ता का विषय है। कहीं इस प्रदेश की गरीब जनता पर ज्यादा करारोपण न हो जाय, यह सोचने की बात है।

आपके सामने जो सरकारी पक्ष से मा० सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने हरिजनों के वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। मैं उन आंकड़ों से सहमत हूं। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि जो आंकड़े उन्होंने ग्रांट के प्रस्तुत किये उसमें से कितनी ग्रांट अनयूटिलाइज्ड रह जाती हैं। सरकार केवल दिखावा मात्र के लिये, हरिजनों को बहकाने के लिये एक सालाना ढोंग रचती है। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में जो 121.19 लाख का प्राविधान किया था, इस वित्त वर्ष में 205 लाख का प्राविधान किया है जो हरिजनों के उद्धार के लिए रखा गया है। "सरकार ने इस वर्ष बेघर हरिजनों, आदिवासियों, खेतिहर मजदूरों व ग्रामीण कारीगरों को अपना घर बनाने के लिये भूमि आवंटन करने हेतु कानूनी अधिकार लिये, ताकि असिस्टेंट कलेक्टर किसी निश्चित श्रणी की भूमि को इस कार्य हेतु सुरक्षित कर सकें।" मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि यह जो इसमें प्राविधान किया गया है। क्या वास्तव में ग्रांट यूटिलाइज हो जायगी ? मैं कह रहा हूं, नहीं होगी। यह धोखा मात्र है। इस धोखे से हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता। यह सरकार उनके बल पर 25 वर्ष से शासन करती चली आ रही है और उस पक्ष में बैठी है। लेकिन हरिजनों के प्रति कोरी विडम्बना है।

आगे कहा है बजट भाषण में कि "सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। साधनों की कमी के कारण ज्यादा प्रभावी कदम नहीं उठाये जा सके हैं।" इसको वित्त मंत्री जी ने खुद कबूल किया है। और हम ऐसे साधन नहीं जुटा सके जो समाज की सुरक्षा कर सकें। जो सरकार समाज को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती उसको अधिकार नहीं है गद्दी पर बठने का। आगे उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिये परमिट प्रणाली को आसान बना रहे हैं। यह सुझाव सन् 67 में वर्मा जी ने भी रखा था। इस भ्रष्टाचार के युग में बड़े-बड़े पूंजीपतियों को लाइसेंस मिल जाते हैं। लेकिन गरीब ड्राइवर नहीं ले पाते। इसलिये ऐसा न हो कि यह सुविधा भी पूंजीपतियों को ही प्राप्त हो और गरीब इससे वंचित रह जाय। इसलिय एक सीमा निश्चित की जाय कि उनको ही परमिट दिये जांयगे जो ड्राइवर हैं, मोटर चलाना जानते हैं और जिनके पास मोटर नहीं है, उन्हीं को परमिट दिये जायंगे वर्ना यह समाज के सामने धोखा होगा।

बैंक नेशनलाइजेशन किया गया और गरीबों को ऋण देने की बात कही गई लेकिन पूंजीपति ही उसका उसका फायदा उठा रहे हैं। गरीब रिक्शावाला या पिछड़ा वर्ग उससे लाभ नहीं उठा पा रहा है, उसे कोई लोन नहीं मिल रहा है। उनको लोन देने का कोई प्राविधान नहीं है क्योंकि उनके पास गारंटी नहीं है। लिहाजा पूंजीपति टाटा, बिरला तथा डालमिया को हीं लोन मिल रहा है। इसी प्रकार दिखाने के लिये परमिट व्यवस्था कायम कर दी जाय लेकिन उसका लाभ सीधे सीधे पूंजीपतियों को ही मिलेगा।

बजट भाषण में यह भी कहा गया कि गन्ने की कीमत 10 और साढ़े 11 रुपया कुंतल रख दी जायगी। इस समय दो रुपये किलो शक्कर राशन में सरकार दे रही है और खुले बाजार में तीन व सवा तीन रुपये किलो बिक रही है। जब संविद सरकार थी उस समय डेढ़ रुपये किलो शक्कर बिकती थी और गन्ने का दाम किसानों को 15 रुपये कुंतल मिलता था लेकिन अब तीन रुपय किलो जब शक्कर बिक रही है तो किसानों को गन्ने का दाम 10 और 11 रुपये कुंतल मिलेगा यह बहुत कम दाम होगा।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि चिकित्सा में 69 पैसे प्रति व्यक्ति जो खर्च था वह अब 1 रुपया प्रति व्यक्ति कर दिया गया। 8,10 करोड़ की आबादी का यह सूबा है। क्या एक एक रुपये से मरीज का भला हो सकेगा ? यह नामुमकिन है और मरीजों को धोखा देना मात्र है।

बड़े जोरों से समाजवाद का नारा लगाया जाता है और इस नारे के भुलावे में आज जनता भी आ गयी है। नारे समय-समय पर बदलते भी रहते हैं। नेहरू जी ने नारा लगाया था आराम हराम है। समाजवाद लाने क लिये मनुष्य को मेहनत करनी चाहिये लेकिन मेहनत के लिए साधन भी उपलब्ध होने चाहिये लेकिन इसके लिये सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। दूसरा नारा शास्त्री जी ने दिया, जय किसान जय जवान। इससे किसान तथा जवान का उत्साह बढ़ा था। शास्त्री जी चल बसे तो इन्दिरा जी गद्दी पर आसीन हुई और बाद में उन्होंने लोक सभा भंग कर दी और उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ। यह नारा सारे देश में गूंज गया लेकिन गरीबी नहीं हटी। इन्दिरा जी को बहुमत मिला। बहुमत के आधार पर वह गरीबी हटा सकती थीं लेकिन उनके पुत्र संजीव गांधी ने रामलीला ग्राउन्ड में भाषण देते समय कहा कि उनकी ममी के पास कोई जादू का डंडा नहीं है कि एक दिन में गरीबी हट जाय। क्या यह सरकार नारों की नहीं है ? नारों के बल पर ही सरकार चल रही है और जब देखा कि यह नारा असफल हो गया तो दूसरा नारा दे दिया

उन्होंने नारा लगाया कि प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार के अनुसार होना चाहिए। दूसरे प्रदेशों में भी इन्दिरा जी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है और वहां पर उनका नारा सफल भी हुआ है। इसको मैं मानता हूं। इन्हीं समाजवाद के नारों से हमारे बहुत से विधायक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। यह कैसी बिम्बना है, कैसा लोकतंत्र है, कैसा समाजवाद है और कैसा शासन है। इन्दिरा जी कहती हैं कि मैं समाजवाद ले लाऊंगी। श्रीमन्, सभी जानते हैं कि वे एक सामान्य परिवार की महिला नहीं हैं, एक बहुत बड़े परिवार और व्यक्ति की बेटी हैं जिनकी शिक्षा-दीक्षा दूसरे देशों में हुई है। यह कैसे समाजवाद ला सकती हैं। "जा के पैर फटे न बिवांई वह क्या जाने पीर पराई" वाली कहावत चरितार्थ होती है। वह कसे गरीबी दूर कर सकती है? समाजवाद को किसान ला सकता है, मजदूर समाजवाद ला सकता है। जिस दिन हमारे प्रदेश का किसान और मजदूर गद्दी पर बैठेगा उस दिन समाजवाद आ सकता है। यदि इन्दिरा जी समाजवाद लाना चाहती ह तो उनको इन बातों पर अमल करना पड़ेगा और इन बातों को नोट करना पड़ेगा। इसके अलावा समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। जाति विहीन समाज की स्थापना करने के सम्बन्ध में डा० अम्बेदकर ने कहा था कि जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं। आज जाति-पांति और वर्ण भेद के आधार पर वे समाजवाद लाना चाहती हैं इलेशन्स में आज क्या हो रहा है ? जाति पांति के आधार पर ही सब हो रहा है। रिस्तेदारों को खड़ा किया जाता है और उनको वोट दिया और दिलाया जाता है। ऐसी स्थिति में समाजवाद नहीं आ सकता।

दूसरी बात यह है कि समान कार्य के लिये समान वेतन मजदूरों और सभी वर्गों को मिलना चाहिये। शिक्षा सभी के लिये बराबर होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि गरीब का बच्चा है उसके पास पढ़ने के लिये पैसा नहीं है वह स्कूल नहीं जा सकता है और दूसरी तरफ जो मालदार है, उनको शिक्षा सम्बन्धी सभी सुविधायें प्राप्त हों। सभी के लिये सभी सुविधायें समान होनी चाहिये।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत होनी चाहिये और उनमें नतिकता आनी चाहिये। बिना इसके किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है।

चौथी बात यह है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कड़े कदम उठाये जाने चाहिये। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने भ्रष्टाचार के साथ अपना समझौता कर लिया है। माननीय

[श्री सियाराम]

वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की एक बात भी नहीं कहीं। केवल दिखावे मात्र के लिये और कोरे भाषणों से काम चलने वाला नहीं है।

पांचवी बात यह है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिये। अभी जो राज्य सभा का चुनाव हुआ है उसमें यह देखा गया है कि किस तरह से लालच देकर और खुले आम रुपया बांट कर वोट लिये गये और चुनाव हुये। विधान सभा के सदस्यों के चुनावों में भी यही हाल होता है। वहां की भी पूरी तरह से रुपये पैसे का लेनदेन होता है। इसलिये वास्तविक समाजवाद लाने के लिये निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है।

मेरा छठा सुझाव यह है कि खेती के लिये सिंचाई, पानी, बिजली और खाद आदि की किसान को समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। श्रीमन्, हमारा किसान बहुत गरीब है उसके पास उत्तम खेती करने के न तो समुचित साधन ही हैं और न उसे कोई सुविधा ही सरकार द्वारा पर्याप्त दी जाती है। उसके अनाज को संरक्षण देने के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार यह व्यवस्था करे।

मेरा 7वां सुझाव यह है कि हमारे प्रदेश में कृषकों और कृषक मजदूरों की संख्या 80 प्रतिशत से भी अधिक है। खेती उन्हें केवल 6 महीने ही करनी पड़ती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इन बेकार 6 महीनों में किसान को कुछ काम दिया जाय। इस खाली समय में वह काफी काम कर सकता है और उससे वह खुशहाल भी हो सकता है। अतः खाली समय में उसके लिये किसी उद्योग की व्यवस्था होनी चाहिये।

8वां सुझाव मेरा यह है कि इस प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करके उनका विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और उनका राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये और उनका संचालन भी जनता के हाथ में ही होना चाहिये। कुकेटीर उद्योग जगह-जगह पर खोले जाने चाहिये।

मेरा 9 वां सुझाव यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में नदी, नालों, पुलों आदि का निर्माण होना चाहिये, सड़कों का निर्माण होना चाहिये। आज स्थिति यह है कि जो रजबहे हैं वे इतनी दूर है कि एक इस पार है और दूसरा उस पार। रजबाहों के दोनों ओर गांव है लेकिन पुल नहीं है। दोनों गांव की खेती दोनों ओर है ऐसी जगह पुल बनना आवश्यक है, लेकिन पुल नहीं है। तो यह जरूरी है कि नदी के पुलों और रजबाहों के पुलों का निर्माण करें। यातायात की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। देहात के लिये बहुत जरूरी है। ग्यारहवां है कि फसलों को सुरक्षित रखने के लिये शेडों की व्यवस्था होनी चाहिय। इसके बारे में कोई बात नहीं कही गयी है भाषण में

12 वां है बैंकों में खेती के लिये 30 फीसदी धन सुरक्षित रहना चाहिये और किसानों को दीर्घकालीन ऋण मिलना चाहिये।

13 वां है कि श्रम का दुरुपयोग न हो। समाजवाद का नारा आप लगा लें लेकिन श्रम का दुरुपयोग रोके बिना समाजवाद आ नहीं सकता। रिक्शा चलाने वालों को अगर किसी कारखाने में लगा दें... (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन, मुझे 10 मिनट और दे दिया जाय, 10 मिनट और बढ़ादें।

तो श्रम का दुरुपयोग हो रहा है अगर रिक्शा चलाने वाला किसी कारखाने में काम करे बजाय इसके कि 2–3 सवारी लेकर के श्रम को बेकार गंवाता है। उसके रोजगार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

सरकार हरिजनों की बहुत बड़ी हिमायती बनती है या सरकार और हमने हरिजनों की बड़ी उपेक्षा की है। एक जिलाधिकारी होता है जिले में, हरिजन अधिकारी को क्या सुविधा होती है कि 400 रुपया मिलता है हरिजन उत्थान के लिये जिसमें उसका टी० ए० डी० ए० और पेट्रोल का खर्चा सब आ जाता है। जिला अधिकारी हरिजन के लिये जीप की व्यवस्था अलग से होनी चाहिये जिससे समय पड़ने पर वह देहात में आ जा सके।

जिले में केवल दो सुपरवाइजर होते हैं—इतने बड़े जिले में जिसमें 5–7 लाख की आबादी है वह क्या काम कर सकते हैं ? उनकी संख्या बढ़ानी चाहिये।

हरिजनों के संरक्षण का जो हिसाब है 25 वर्ष के आपके शासन काल में आपने उनको 18 फीसदी का झांसा दे रखा है। क्या आपने आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में उनकी कोई पूर्ति करने की चेष्टा की है ? सरकार कहती है कि योग्य व्यक्ति हरिजनों में नहीं मिलते। यह तो सरकार की ही जिम्मेदारी है कि उनको योग्य बना कर दे। दूसरा प्रश्न यह है कि ठीक है, आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में नहीं मिलते, लेकिन क्या चपरासियों में भी योग्य व्यक्ति नहीं मिलते ? उनमें भी आपका 18 फीसदी का कोटा पूरा नहीं होता। साथ ही जिला तहसील, कलेक्टोरेट और सेक्रेटेरियट के लेविल पर भी उनका कोटा पूरा नहीं है। सरकार अनुदान देती है, किसके लिए देती है ? पशुपालन के लिये, मुरगी पालन के लिये, सुअर पालन के लिए। यानी उनको वैसे ही हरिजन बनाये रखना चाहती है. उनका आर्थिक विकास नहीं चाहती। मैं वित्त मंत्री जी, मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ढाई सौ रुपये से क्या उनका आर्थिक विकास हो सकता है ? जब तक आप अनुसूचित जातियों के लिये स्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता है। इस रुपये को तो वह खा-पीकर बराबर कर देता है, दलाल पीछे लग जाता है। मुश्किल से सौ पचास रुपया मिल गया तो इससे हरिजन समाज का भला होने वाला नहीं है अगर आर्थिक विकास सरकार चाहती है, आर्थिक उत्थान चाहती है तो कम से कम उनके लिये स्थायी अर्थ व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया जाय। उसको स्थायी काम मिलेगा तो दाम मिलेगा, दाम मिलेगा तो मकान मिलेगा, उसको बचत होगी, उसकी हालत सुधरेगी, शिक्षित होगी, योग्य होगा और उसके परिवार की हालत सुधरेगी। आपने जो 2 करोड़ 5 लाख रखा है, इसको आप 10 करोड़ कर दीजिये लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। सरकार जब तक अस्थायी उद्योग की व्यवस्था नहीं करती है तब तक हरिजनों की आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी।

भूमिहीन हरिजनों को भूमि देने की बात कही गयी। लेकिन एक परसेंट भी भूमि नहीं मिली। आपने जो रखा है कि हम मकान बनाने के लिये जमीन देंगे तो उसका वितरण तो हो चुका। जमीन कोई रबर तो है नहीं जो खिंच जाय। यह सब एक धोखा मात्र है।

हमारी सरकार ने टैक्स लगाया है मिट्टी के तेल पर और दूसरे अल्युमिनियम पर। मिट्टी का तेल तो केवल झोपड़ियों में जलता है, पूंजीपतियों के महलों में नहीं जलता, वहां तो बिजली जलती है और दूसरे साधन हैं। लेकिन यह टैक्स आपने लगा दिया। यह किस पर लादा जायगा ? गरीब पर ही लगेगा। अल्यूमिनियम भी गरीब ही इस्तेमाल करता है, बड़ा आदमी नहीं करता। तो कैसे यह सरकार गरीबों के उत्थान का दावा करती है ? यह केवल एक धोखा मात्र है।

मैं अपने जिले के कुछ प्रश्नों को माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। एटा जिले की स्थिति बहुत ही खराब है। कहते हैं कि पूरब के जिले बहुत पिछड़े हुये हैं लेकिन एटा बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यहां पर सड़कों का कोई विकास नहीं हुआ है। जो सड़क हैं भी वे कंकड़ की हैं। केवल यहां पर दो सड़कें हैं। एक शोरो एटा रोड है और दूसरी जी.टी. रोड है। इसके अलावा कच्ची सड़कें हैं उनमें ही से काश्तकारों को अपनी फसल ले जानी पड़ती है। इससे उनके बैल रास्ते में मर जाते हैं और गाड़ियां टूट जाती हैं। एटा बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस साल तो सड़कों का यहां के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यह सौतेला व्यवहार क्यों हमारे साथ बरता जा रहा है ?

सिंचाई की दृष्टि से भी यह जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहां पर वैसे लोअर गंगेज कैनल है लकिन उससे कोई सिंचाई नहीं होती है। नहर वाले 40 फीसदी रकबा दिखा देते हैं। लेकिन 60 फीसदी के लिये कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि एटा जिले का

[श्री सिया राम]

सर्वेक्षण कराया जाय और यहां पर ट्यूबवेलों की व्यवस्था की जाय। यहां पर कोई पुल भी नहीं है। मान्यवर, एटा में सावर रोड पर एक मुहार घाट है वहां पर पुल की अत्यन्त आवश्यकता है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

मैं एक बात मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर पर्सनल आफिसर का एप्वाइंटमेंट होना था। इसके लिये विज्ञापन निकाला गया और तीन आदमियों को सेलेक्ट किया गया। लेकिन यह मामला पड़ा रहा और किसी का भी एप्वाइंटमेंट नहीं हुआ। अब चुनाव के मौके पर अलग से आदमी रख लिया गया। वह श्री बी० एन० पाठक हैं यह वहां के बाअसर आदमी व इनका रिश्तेदार है यानी उनका दामाद है, इनको खुश करने के लिये उनको रख लिया गया। अभी इन की नियुक्ति ही हुई है, उसको अभी सुधारा जा सकता है। इसलिये सरकार को इसकी जांच करानी चाहिये अगर ऐसी ही नीति रहेगी तो सरकारी काम किस तरह से चलेगा और प्रदेश का भला कैसे हो सकता है? इसलिये जरूरत है कि सरकार अपनी आंखें खोले। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री राजमंगल पांडेय का नाम पुकारे जाने के पश्चात्) इससे पूर्व कि माननीय राजमंगल पांडेय अपना भाषण प्रारम्भ करें मैं नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें आई हैं, उनको लिये लेता हूं। इसके बाद आप बोलें।

एक सूचना माननीय त्रिवेणी सहाय जी की है कि गोंडा जिले में त्वरित योजना के अन्तर्गत बनाने वाली सड़कों के लिये शासन के आदेश के विपरीत गरीब एवं हरिजनों की जमीनों का लिया जाना। इसके लिये जो मुआवजा होता है, वह दिया जाता है। लेकिन वक्तव्य के लिये कैसे इसे स्वीकार करें। जो सड़क बनी हैं हो सकता है कि उसमें कुछ लोगों की जमीनें पड़ी हों। इसके लिये एक कमेटी होती है जिले में जो सड़क वह लेती है उसको लिया जाता है। इस पर वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी सूचना श्री सूबेदार प्रसाद जी की है कि मिर्जापुर जिले में पुलिस की गुटबन्दी के कारण अपराधों में वृद्धि। यह शासन को भेज दिया गया है। अगर वहां पर गुटबन्दी होगी तो सरकार देखेगी।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

श्रीमन्, वहां पर जिलाधिकारी और सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने गुटबन्दी कर रखी है और जनता की सुरक्षा के लिये खतरे में पड़ गई है। इस पर वक्तव्य दिला दिया जाय। केवल वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर पुलिस के अन्दर गुटबन्दी है, जैसा कि आपने लिखा है, तो आपकी सूचना को सरकार के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकृत नहीं किया जाता है। आप कटौती का प्रस्ताव दे सकते हैं। वह अवसर भी आपको है।

माननीय रूपनाथ सिंह यादव व माननीय मोती लाल देहलवी को ग्राम फरीदपुर, जिला इलाहाबाद में बेगार न करने पर हरिजन का मकान जलाये जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी है। यह बहुत अस्पष्ट है। कटौती के प्रस्ताव के अन्तर्गत आप इस घटना को ला सकते हैं।

माननीय रूप नाथ सिंह यादव की मौजा देवरख, थाना नैनी, इलाहाबाद में हरिजनों को कुएं से पानी न भरने देने के संबंध में सूचना है । यह वक्तव्य के लिये स्वीकृत नहीं की जाती है । इस पर अल्प सूचित प्रश्न किया जा सकता है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)

इस युग में भी ऐसा हो रहा है । यह गांधी जी का देश है और इस सरकार का समाजवाद का नारा है । संविधान की धारा 17 व 23 का हनन हो रहा है । अनटचेबिलिटी और बेगार लेना जुर्म करार दिया गया है । हरिजनों को मारा गया है और उनकी औरतों को मारा गया है । उनको लाठी, डंडे व फर्से से मारा गया है । पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है । हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुआ है । यह सब कब तक बर्दाश्त होगा । न आप सुनेंगे और न सरकार सुनेगी तो फिर जनता के साथ क्या न्याय होगा ? मुख्य मंत्री ने इस तरफ ख्याल नहीं किया है । आपका हृदय तो हरिजनों के लिये बड़ा ही उदार था जब आप हमारी पार्टी में थे । अब आपका हृदय शून्य हो रहा है । इसे केवल वक्तव्य के लिये मंजूर कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा रोग तो है इस देश में । हरिजनों के प्रति जो व्यवहार होता है वह दुर्भाग्यवश उनके लिये तकलीफदेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है । इसको आप कटौती के प्रस्ताव के अन्तर्गत ले सकते हैं । हम और शासन न भी सुनें तो भी माननीय रूपनाथ सिंह जैसे लोगों के पास गांधी जी के बताये हुये रास्ते, सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते-इस सामाजिक परिवर्तन और क्रांति के युग में मौजूद हैं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अब बहुत हो गया है पच्चीस साल हो गये हैं । बहुत अत्याचार हो रहा है । यह कब तक बरदाश्त होगा । इसको तो जरूर ले लेना चाहिये ।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

इसको जरूर ले लेना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य से ही आप क्यों सन्तुष्ट हो रहे हैं ? इसको कटौती के प्रस्ताव के अन्तर्गत क्यों नहीं रखते हैं ?

श्री शिवकुमार पांडेय—

वक्तव्य होगा तो सरकार का ध्यान तो जायेगा ही ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, सरकारी पक्ष के लोग भी कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

हरिजनों के ऊपर अत्याचार के विषय में जब-जब चर्चा मांगी गई है तब-तब चर्चा का अवसर दिया गया है लेकिन उस वक्त जब 2–5 घटनायें हो जायें । अगर आप और घटना की सूचनायें देंगे तो उस पर चर्चा के लिये समय दे देंगे ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हरिजनों की रोज पिटाई हो रही है और बड़े अत्याचार हो रहे हैं । आपने जो निर्णय दिया है उसको रिमूव कर लें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी भावना का आदर करता हूं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हमारी भावना का आदर कब होगा ? 30 तारीख का यह वाकया हो गया है। थानेदार, पुलिस और सब लोग मिले हुये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसी इलाहाबाद की घटना है अगर वैसी ही किसी दूसरी घटना को आप सदन में रख देंगे तो 1 दिन की चर्चा का समय दे देंगे ।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

मैंने भी नियम 51 दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय देशमुख बोल रहे हैं, अगर इस तरह से सब बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

20 तारीख को मैंने एक नियम 51 की सूचना दी थी। एक बाहर के आदमी ने जेल में जा कर एक हरिजन को पीटा था और उसके लड़के को पीटा । आपने कहा था कि मैंने मंत्री जी को भेज दिया है लेकिन आज तक उसकी कोई सूचना नहीं आयी । आपके सामने ऐसे और कई मोशन आयेंगे । आज अखबार में आपने पढ़ा होगा कि हमारे स्टेट मिनिस्टर अलीगढ़ गये । वहां उन्होंने रिश्वत लेते हुये पकड़ा ।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय रूपनाथ सिंह यादव ने जो विषय रखा आपने बड़ी ही सूझबूझ के साथ कह दिया कि कटौती प्रस्ताव या बजट भाषण में इस चीज को रख दें। मैं व्यक्तिगत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और हमारे माननीय सदस्य भी और अब तो अन्य दलों के नेता लोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि कट मोशन द्वारा बजट में भी बातें हम रखते हैं उस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है । मैं आपके माध्यम से संकेत करता हूं । यादव जी का यह कहना था कि वहां हरिजनों को पानी लेने दिया जा रहा है। यह बात ठीक है कि हम बजट पर बोल सकते हैं । अभी हमारे पूर्व सियारामजी ने जो बात कही मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि राजकीय सीमेंट फैक्टरी डल्ला, मिर्जापुर में एक पर्सनल आफिसर की जगह खाली थी । सन् 69 में उसके लिये एक चयन कमेटी बनी । उसका विज्ञापन हुआ । उस चयन समिति ने तीन उम्मीदारों को योग्यता के आधार पर चुना । लेकिन जब हमारे मुख्य मंत्री के लड़के लोकपति जी वहां से चुनाव लड़ने के लिये गये तो वहां के भूतपूर्व विधायक, श्री रामनाथ पाठक बहुत नाराज थे क्योंकि वह भी टिकट चाहते थे । उनको मनाने के बहुत प्रयत्न किये गये । जो आरोप सियाराम जी ने लगाये वह कितने सत्य लगाये . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से कैसे होगा ? आप सुन लें । पहले एक सवाल उठा है । उसको हम सुन रहे हैं । अब आप उसको फैला रहे हैं इतनी अनर्गल बातों को ला कर। एक प्रश्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने किया है और बातें तो उन्होंने नहीं लिखी हैं कि कुंयें से पानी नहीं भरने दिया गया और बेगार में ज्यादती की गई । मेरा यह कहना है कि इसी तरह की ज्यादती प्रायः सर्वत्र है । ऐसा मैं सोचता हूं कि अगर प्रदेश व्यापी....

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

जब मैं बोलने लगता हूं तो अनर्गल । मैं उस कुर्सी की इज्जत करता हूं क्योंकि वह स्पीकर की कुर्सी है । लेकिन श्री बासुदेव जी का जहां तक सवाल है वह अनर्गल बात करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि बासुदेव जी वहां पर अनर्गल भाषण करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप क्या कर रहे हैं, आप स्वयं सोचिये अगर इस तरह से गरम बात करेंगे । आपका तो सवाल नहीं है । आपको तो बोलने के लिये खड़ा नहीं होना चाहिये । आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप हरिजनों के शुभचिन्तक हैं, उनके समर्थक हैं जबकि आपने एक भी सवाल हरिजनों के बारे में नहीं किया । इस तरह से आप क्यों खड़े हुये ?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

मैं उस स्पीकर की कुर्सी को नतमस्तक होते हुये कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

आपने इजाजत दी थी उपाध्यक्ष जी ।

श्री उपाध्यक्ष--

हर चीज कहने के लिये नहीं कहा था ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

आपने सुबह के भाषण में माननीय सदस्य, स्वामी जी को कह दिया कि मैं आपकी परवाह नहीं करता । आप किसी सदस्य के लिये कह दें कि आप अनर्गल बातें करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा करके आसन ग्रहण करें । आपके मन में कोई इज्जत की भावना नहीं है, केवल मुंह से कहते हैं । यह इज्जत करने का ढंग नहीं है । आपको स्पीकर का भी कोई आदर नहीं है और न अपनी जबान पर ही नियंत्रण है ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

आपके कहने से कुर्सी के प्रति जो मेरी निष्ठा है, वह चली नहीं जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनको स्वयं लज्जा आनी चाहिये ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

आपको भी इस प्रकार का अनुभव करना चाहिये कि आप किस प्रकार की बातें कहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायं । जो व्यक्ति इधर-उधर की बात कह कर मुझे अपने कर्त्तव्य से हटाने की कोशिश करेगा तो मैं बिलकुल साफ कहे देता हूं कि मैं अपने रास्ते पर अडिग रहूंगा । आपके इस सब कथन का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आप हर बात के लिये कह देते हैं कि उसको बजट भाषण में कह देना।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी कोई बात लिखी नहीं जायगी। आपको बिना इजाजत बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या आपको इसमें ज्यादा अधिकार है कि आप कड़वी बात करें ?

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)

मैं यह कह रहा था कि आये दिन इस प्रकार का ज्यादतियां हो रही हैं इसलिये मैं कह रहा था कि इस वाकये पर जोर देना चाहिये और हरिजनों पर जो ज्यादतियां हो रही हैं, सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य को याद दिला दूं कि मैंने यही कहा था कि यह इलाहाबाद का ही प्रश्न नहीं है, यह समस्या सर्वत्र है। गरीब वर्ग इस स्थिति में सर्वत्र उखड़ हुआ है। हमको इस प्रश्न को महत्व देना चाहिये। जैसा कि माननीय देशमुख जी ने कहा कि यही हालत हमारे यहां भी है। जब ऐसी स्थिति है तो मैं स्वयं यह कह रहा हूं कि जो भी लोग हरिजनों की मुसीबतों को दूर करना चाहते हैं गांधी जी की विचारधारा के अनुसार सवर्णों में हरिजनों के प्रति सहानुभूति की भावना है, लेकिन जो व्यवहार उनके साथ होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। इसके लिये हम भी दोषी हैं और आप भी दोषी हैं। हमारे देश में यह रोग है। सचमुच अगर कहा जाय तो यह रोग है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप संविधान की धारा 17 और 23 को देखें उनमें कुयें से पानी भरने को मना करना और बेगार को अपराध माना गया है जब संविधान की धाराओं की ही रक्षा नहीं होगी तो फिर यह सरकार क्या करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ गलत बात नहीं है। आपको स्मरण रखना चाहिए कि आपके सवाल को ही व्यापकत्व देने के लिए मेरा प्रयास था, आपकी नजर उस ओर जा ही नहीं रही है। मैं इस समय इसको स्थगित किये देता हूं, अगर माननीय सदस्यों को इस विषय में और कुछ कहना होगा तो कहेंगे और अगर आवश्यक हुआ तो इसको स्वीकार करूंगा।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

आपने जो हरिजनों के लिये एक दिन रखा, उसका मैं आभारी हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता द्वारा तो हरिजनों पर अत्याचार हो ही रहा है लेकिन अभी उत्तर काशी से मेरे पास एक चिट्ठी आई है कि एक हरिजन के साथ क्या हुआ। उसका मकान 6 हजार फीट की ऊंचाई पर है, उसको 5 हजार फीट पर पम्पिंग सेट दिया गया। उसको पता नहीं। पानी कहां से ले। लेकिन वसूली उससे हो रही है। उसको जेल में भेज दिया गया। कुछ सरकार के लोग ऐसे हैं जो हरिजनों को इस ढंग से तंग कर रहे हैं। इसलिये इसके लिये आप एक दिन जरूर रख दें।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सुरेन्द्र विक्रम का एक प्रश्न है कि शाहजहांपुर में जल की सप्लाई बन्द है। यह भी स्वीकार नहीं किया गया है। इसको भी वहां कह सकते हैं।

एक और श्री राम सागर और श्री सूबेदार प्रसाद का--जिला पीलीभीत, ग्राम भरतपुर के श्री हरपाल जाटव की नाबालिग कन्या का गुन्डों द्वारा अपहरण। इसमें भी पहले वे अल्प-सूचित प्रश्न कर लें।

श्री राम सागर (जिला जौनपुर)--

जितने भी लोक महत्व के प्रश्न हैं उनका सम्बन्ध हरिजनों से है। यह कितनी बड़ी बात है कि हरिजनों की एक लड़की को 3-3 महीने तक घर में रखा, और फिर पैसे के प्रभाव से उसके केस को भी ट्रांसफर करा लिया और धमकी दे रहे हैं कि पैसे के बल पर हमारा कुछ न होगा। इस प्रकार गरीबों पर इतना आतंक पैदा किया जा रहा है। इससे महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है, इसको आप कृपया स्वीकार करें या कम से कम सरकार के पास कार्यवाही के लिये ही भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, मैं कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

एक यह श्री रामगोपाल सण्ड व श्री मोहन लाल कपूर का है कि लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, वार्ड ब्वाय आदि हड़ताल पर हैं। यह भी मैंने स्वीकार नहीं किया है....।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, आप समझ सकते हैं कि अगर वार्ड ब्वाय वगैरा सब काम पर नहीं आते हैं तो फिर वहां मरीजों का इलाज क्या हो सकता है? मरीजों को कोई देखने वाला नहीं है और रोगियों को बहुत कष्ट है...

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न इसके लिये चाहें तो कर लें। हम इसे भी उचित कार्यवाही के लिये भेजे दे रहे हैं।

एक यह श्री शम्भूनाथ चौधरी का--बलिया जनपद के मौजा नगवागायी की कृषि योग्य बंजर भूमि को ग्राम सभापति द्वारा अवैध रूप से बड़े काश्तकारों के नाम पट्टे करने के बारे में आया है। इसके लिये वह प्रश्न कर सकते हैं। इस पर वक्तव्य क्या हो।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

गांव के सभापति ने तमाम अवैध पट्टे किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

एस० डी० ओ० के यहां आपत्ति हो सकती है और पट्टे खारिज हो सकते हैं इसके लिये वैधानिक उपचार है, वक्तव्य की जरूरत नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

500 बीघा गांव समाज की जमीन है और नये चुनाव की जब से घोषणा हुई है तो एक तरफ तो गांव सभा के लोग सौ-सौ रुपया लेकर पट्टे कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्य मन्त्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रिश्तेदार दीक्षित जी वहां बैठे हैं, वह भी सौ रुपया लेकर एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं। इस तरह से सीलिंग और चुनाव के पहले ही सारी जमीन गड़बड़ की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य के लिये स्वीकार करते हैं तो उसमें सारे तथ्य नहीं आते हैं इसलिये अच्छा है कि आप अल्पसूचित प्रश्न पहले कर लें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष जी, अभी श्री राम सागर जी ने हरिजन लड़की के सम्बन्ध में एक सवाल उठाया जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपने उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया, वह मैं सुन नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष--

उसे स्वीकार नहीं किया है।

मैंने बताया कि इस तरह के जितने हैं हरिजनों पर ज्यादती के विषय के, बहुत से ऐसे मामले हैं जैसे श्री देशमुख का है, एक बारगी सबके बारे में पूछ लिया जाय। एकाकी घटना पर अलग-अलग वक्तव्य न हों और इस तरह से सब मामले एक साथ आ जायं, इसलिए इसको स्थगित कर दिया है।

श्री रूपनाथसिंह यादव--

श्रीमन्, यहां हरिजनों का प्रश्न उठा, कुएं से उनको पानी न लेने-देने का प्रश्न उठा, उनके घर जलाने की भी विशेष घटना हुई ऐसे मामलों के लिये यह कह देना कि कटौती के प्रस्ताव के समय चर्चा कर ली जाय या अन्य विषय के सिलसिले में जिक्र कर लिया जाय, इस से काम नहीं चलता...

श्री उपाध्यक्ष--

हमारे हरिजन भाई जो दबे हुये हैं, उनके साथ ज्यादती होती है उनको बन्द करने की बात है, इस तरह की बहुत सी घटनायें उनके विषय में आती हैं जैसे एकाकी किसी गांव में उनको पानी कुओं से न भरने देना। मैं चाहता हूं कि इन सबको एक साथ ले लिया जाय।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष जी, मुझे केवल एक बात कहना है कि जैसे श्री रूपनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि हरिजनों के साथ यह ज्यादती है या पीलीभीत में एक नाबालिग लड़की को ले जाया गया, जिसके पर्चे भी बटे हैं, इस सबसे जाहिर है कि एक नहीं बल्कि ऐसी दस-पांच घटनायें सूबे में बराबर हो रही हैं। आपने कहा कि यह बातें कटौती के प्रस्ताव में कह ली जायं। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 13 साल में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चलते हो और सदन में तीन-तीन बार कोरम न हो। केवल पहली बार इस वर्ष मैंने देखा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान 3-3 बार कोरम नहीं रहा। कारण सीधा सा है। हम लोगों का विश्वास उठ गया है कि जो अभिभाषण के सम्बन्ध में बहस करते हैं, उसमें या जनरल डिस्कशन में जो कहा जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। तो इस प्रकार जो यहां पर सवाल लये जायं आप उन्हें भाषण के लिये स्वीकार करें। जब तक ऐसा न होगा तो सरकार का ध्यान नहीं जायेगा और समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे और हरिजनों के अधिकार का संरक्षण करें।

श्री उपाध्यक्ष--

जिस वक्तव्य को दिलाने की आपको अपेक्षा है, वही तो हम पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसको एकाकी घटना के रूप में लिया जाय या व्यापक रूप में।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इसके लिए तो हम आपके आभारी हैं कि आपने इसको व्यापक रूप में लिया है। मैंने राम सागर जी को कह दिया है, वे इसे नियम 52 में दे देंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

एक आदमी की झोपड़ी जला दी गयी, एक लड़की का शील भंग किया गया और हरिजनों को पानी नहीं लेने दिया जाता है। यह बड़े लोक महत्व का प्रश्न है। आप इस पर 1 घंटे की चर्चा की आज्ञा दे दें। सहारनपुर और मेरठ के भी आदमी हैं। हमारी समस्याओं के बारे में श्रीमन, आप समय नहीं देते हैं। 5 बज जायेंगे और समय चला जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सब लगा रहता है। आज के दिन में भी अगर बोलने वालों की संख्या देखी जाय तो पश्चिमी जिलों को कोई घाटा नहीं रहा है। आप हर बात में आरोप लगाते हैं। हर चीज की नीयत में जाते हैं तो यह तो ठीक नहीं है। इससे कैसे काम चल सकता है?

अब एक माननीय भगवती सिंह जी का प्रश्न है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

जब मैंने कुछ कहा तो आपने दूसरी बात सुना दी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मेरा भी एक छोटा सा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष--

मुजफ्फरनगर और मेरठ का यह सवाल भी व्यापक है। मेरठ जिले के नव-निर्वाचित सदस्य हैं, उन्होंने भी दिया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

श्रीमन्, आप मुझको मौका नहीं देते हैं। मुझे भी तो बोलने का अवसर दें?

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। यह प्रश्न कैराना की ओर यमुना नदी के कटाव से सम्बन्धित है। ऐसी ही एक सूचना मुझे मेरठ जिले के नव-निर्वाचित सदस्य द्वारा मिली है। इन दोनों को जो कटाव से सम्बन्धित है, किसी दूसरे दिन लिया जायगा। आज इसे स्थगित कर रहा हूं।

श्री जगवीर सिंह--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा का पालन माननीय रियासत साहब भी नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

जब कोई मानता ही नहीं तो माननीय रियासत साहब से कैसे कह सकता हूं।

रेस्टोरेन्ट की व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायत

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेस्टोरेन्ट की जो व्यवस्था है, उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पिछली जो व्यवस्था थी कुछ माननीय सदस्यों की दिक्कतों के कारण बदल कर नई व्यवस्था की गई लेकिन इस व्यवस्था में भी यह देखने में आया है कि 20-20 मिनट बैठने पर 1-1 प्याली चाय आती है। हमें यहां पर 12 मई, तक बैठना है और

[श्री रियासत हुसेन]

स्टफ जो वे देते हैं, वह थर्ड क्लास का होता है, और वह भी शहर का बचा हुआ होता है जो यहां पर लाकर बेचा जाता है। तो आप उसके मालिक को बुलाकर ऐसी व्यवस्था करें कि सदस्यों को 1-1 घंटे न बैठना पड़े।

उत्तर प्रदेश शीत-गृह संघ के पर्चे को सदन के पिजन होल में रखने के सम्बन्ध में सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना—(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय भगवती सिंह विशारद ने सुबह एक प्रश्न उठाया था कि एक साइक्लोस्टाइल्ड कागज उनके पिजन होल में मिला। यह न तो हमारी ओर से और न इस सचिवालय की ओर से रखा गया था। उस स्थिति के बारे में सफाई यह है कि संलग्न पत्र की प्रतिलिपियों को आज, दिनांक 4 अप्रैल 1972 को माननीय सदस्यों के पिजन होल में पाये जाने के विषय में पूंछताछ करने पर ज्ञात हुआ है कि कल दिनांक 3 अप्रैल, 1972 को श्री ईश्वरदयाल त्यागी (सदस्य) ने सायंकाल श्री मुकर्जी से इसे पिजन होल्स द्वारा वितरित कराने के विषय में कहा था। श्री मुकर्जी ने उनसे कह दिया कि इस प्रकार का कोई भी "प्राइवेट" साहित्य कार्यालय द्वारा बांटे जाने के आदेश नहीं हैं। अतः यह पिजन होल्स द्वारा नहीं बांटा जा सकता। आप सचिव से इसकी आज्ञा ले लें।

सचिव से आज्ञा नहीं ली और वह वहां निकला। इसकी पूरी जांच-पड़ताल हम नहीं कर सके हैं। लेकिन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस तरह से वे अनधिकृत पार्टी का साइकोस्टाइल साहित्य न रखें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप कहियेगा नहीं, हम लोगों को सुना दीजियेगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, वहां उनके पास कोई कायदा नहीं है। आप हुकुम देते रहेंगे और वे गलती करते रहेंगे।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, जलपान के और शादी के निमन्त्रण के पत्र भी ये रूलिंग पार्टी वहां बंटवा देती है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, इस पर आप कब निर्णय लेंगे? माननीय भगवती सिंह विशारद उसी समय सदन के अवमान का प्रश्न आपके सन्मुख रक्खे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे यहां से तो नहीं हुआ। उसकी जांच कराके पता लगायेंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, जो उन्होंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया यह सवाल श्रीमन्, उसी वक्त पता हो गया। इसलिये आपका भी यह फर्ज हो जाता है कि आप इस सदन के अवमान की नोटिस या माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार के नोटिस है, यह तो आप स्वतः भी ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो पता नहीं किसने रक्खा है। जितना हमें मालूम हुआ इस स्टेज तक उतना बता दिया। किसने रक्खा? जांच पड़ताल या पूछ-तांछ अभी हुई नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, यह तो प्राइमा फेसी सदन के अवमान का सवाल बन ही जाता है। यही सवाल विशेषाधिकार समिति का है कि वह जांच करे, अन्वेषण करे और अपना प्रतिवेदन दें।

श्री उपाध्यक्ष---

किसने रक्खा, अभी यह रिपोर्ट नहीं है। प्राग्दर्शन में बनेगा तभी होगा। जब उस अपराध से सम्बद्ध कोई आदमी या सदस्य पाया जाय तभी न। वह जुर्म तो है पर वह अमूर्त्त है। उसको सम्बद्ध करने पर ही बनेगा।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, सम्बद्ध हो ही गया। उस पर विशेषाधिकार का सवाल उठ सकता है। वह एड्रेस्ड है माननीय सदस्य के नाम जिस व्यक्ति ने उस पर दस्तखत किये हैं उसके विरुद्ध वह बन गया विशेषाधिकार।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आप सदस्य की हैसियत से कहने के लिये तैयार हैं? जिसके दस्तखत हैं उसी ने रक्खा। क्या उसी के दस्तखत हैं वे? जब तक कि जानकारी नहीं हो तब तक आप कैसे कह सकते हैं अच्छी तरह से? मैं नहीं जानता कि बोलने की लालसा इतनी प्रबल होती है कि सत्यासत्य का बिना निरूपण किये माननीय सदस्य कह देते हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

मान्यवर, दीवार तो रखने को आई नहीं। हम तो इधर हैं ही। हमको तो कोई मतलब है नहीं, लूट खसोट में हम हैं नहीं। वहीं पर कोल्ड स्टोरेज की मीटिंग हुई...

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसे स्वीकार करता हूं। क्या आप कहने के लिये तैयार हैं कि सदन के सन्मुख कि उन्होंने किया है। क्या सदन के सम्मुख आप यह कहने के लिये तैयार हैं कि फलां व्यक्ति ने ऐसा किया है और मैं इसका सबूत देने के लिये तैयार हूं और मुझे इसकी जानकारी है?

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

किसी इन्सान ने ही वहां रखा होगा। चांद और सूरज तो वहां रख नहीं दिये होंगे। यह तय करना तो...

श्री उपाध्यक्ष---

इसका क्या मतलब हुआ कि चांद ने रखा होगा, सूरज ने रखा होगा, जानवर ने न रखा होगा और वह इन्सान होगा। वह व्यक्ति कौन है क्या आप इस बात के लिये कह सकते हैं? ऐसा नहीं है। कल इस पर भाषण हो जायेगा।

कल श्री राज मंगल पान्डेय भाषण देंगे।

अब हम कल 11 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 1 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
4 अप्रैल, 1972

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 863 पर)

राजपत्रित अधिकारियों की सूची जिनकी सेवाओं का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन नहीं कराया गया

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री आदित्यनारायण सिंह	आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र
2	श्री के०एस० श्रोती	" "
3	श्री एस० एस० चौहान	" "
4	श्री दलवीर सिंह	" "
5	श्री डी० वी० के० त्रिपाठी	" "
6	श्री शिव चरन लाल	" "
7	श्री डी० एन० वैष्णव	" "
8	श्री राम गोपाल सिंह	" "
9	श्री राजनाथ सिंह	" "
10	श्री जगन्नाथ सिंह	" "
11	श्री पारस नाथ सिंह	" "
12	श्री सुमेर सिंह भदौरिया	" "
13	श्री आदित्य नारायण सिंह	सहायक विकास आयुक्त (प्रशिक्षण)
14	श्री एस० एन० श्रीवास्तव	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी
15	श्री एस० पी० सिंह	" "
16	श्री हीरा सिंह	" "
17	श्री प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव	" "
18	श्री दयाशंकर उपाध्याय	" "
19	श्री कालका बख्श सिंह	" "
20	श्री केशव सिंह	" "
21	श्री सी० पी० शुक्ला	" "
22	श्री सुग्रीव सिंह तिवारी	" "
23	श्री शिवकुमार पाण्डेय	" "
24	श्री राम सिंह चौहान	" "
25	श्री जसवन्त सिंह	" "
26	श्री रतन सिंह	" "
27	श्री जी० डी० सचान	" "
28	श्री नागेश्वर सिंह	" "
29	श्री सोरन सिंह	" "
30	श्री पी० के सिंह चौहान	" "
31	श्री हरे राम राय	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी
32	श्री भारत सिंह	" "
33	श्री रामसनेही कटियार	" "
34	श्री आर० सी० मेहरोत्रा	" "
35	श्री सुधाकर द्विवेदी	(पशुपालन)
36	श्री आर० एस० रघुवंशी	" "
37	श्री अनिरुद्ध सिंह	" "

विधान सभा

क्रम-संख्या	अधिकारी का नाम	पद
38—श्री रविराज सिंह	,,	पशुपालन
39—श्री दिलबहादुर सिंह	,,	,,
40—श्री भारत सिन्हा	,,	,,
41—श्री एम० एस० भटनागर	,,	,,
42—श्री जी० पी० सिंह	,,	,,
43—श्री अहमद हुसैन	,,	,,
44—श्री परमेश्वर चरन सिंह	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी	
45—श्री जगन्नाथ मल्ल	,,	,,
46—श्री श्रीपाल सिंह चौहान	,,	,,
47—श्री शेर बहादुर सिंह	,,	,,
48—श्री नारायण मल्ल	,,	,,
49—श्री श्याम मनोहर लाल अस्थाना	,,	,,
50—श्री प्रमकृष्ण श्रीवास्तव	,,	,,
51—श्री सी० डी० डोबियाल	,,	,,
52—श्री देवपाल सिंह	,,	,,
53—श्रीमती उर्मिला देवी	,,	,,
54—श्री शिव प्रसाद पाण्डेय	,,	,,
55—श्री शिव प्रसाद जोशी	,,	,,
56—श्री त्रिवेणी शकर सिंह	,,	,,
57—श्री बलवीर सिंह तोमर	,,	,,
58—श्री बलवीर सिंह	,,	,,
59—श्री सरदार सिंह	,,	,,
1—श्री बी० एन० पी० सिंह	जिला नियोजन अधिकारी	
2—श्री त्रिवणी चन्द्र पांडे	,,	,,
3—श्री वाई० पी० उपाध्याय	,,	,,
4—श्री अमर नाथ सिंह	,,	,,
5—श्री सुशील चन्द्र सिन्हा	,,	,,
6—श्री अर्जुन राय	,,	,,
7—श्री शंकर राम	,,	,,
8—श्री हरिशचन्द्र सेठ	,,	,,
9—श्री वी० एम० पाण्डे	,,	,,
10—श्री के० एस० पांगते	,,	,,
11—श्री लक्ष्मी नारायण	,,	,,
12—श्री खजान चन्द्र पाण्डेय	,,	,,
13—श्री आर० एस० यादव	,,	,,

श्री आई० डब्लू० सिसिल—सहायक समादृष्टा (शारीरिक संवर्धन)

श्रीमती कृष्ण सिंह—सहायक निदेशिका, महिला, पौष्टिक अहार।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्डों में 31 जनवरी, 1972 को साधारण वेतन-क्रम के निम्नलिखित खंड विकास अधिकारी थे, जिनको अपने पद पर कार्य करते हुए एक वर्ष से अधिक हो गया था और लोक सेवा आयोग द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कराया गया था।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद
1	सर्वश्री श्याम करन मिश्र	स्थानापन्न खंड विकास अधिकारी
2	श्री राम अधार सिंह	,, ,,
3	श्री राम कलप त्रिपाठी	,, ,,
4	श्री राजाराम यादव	,, ,,
5	श्री छांगुर सिंह	,, ,,
6	श्री भोलानाथ त्रिपाठी	,, ,,
7	श्री छोटे लाल वर्मा	,, ,,
8	श्री जगतराम आनन्द	,, ,,
9	श्री फूलकुमार सिंह	,, ,,
10	श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा	,, ,,
11	श्री बाबूराम दिवदी	,, ,,
12	श्री के० सी० उप्रेती	,, ,,
13	श्री शिवकार सिंह विष्ट	,, ,,
14	श्री हरीदत्त भट्ट	,, ,,
15	श्री सुरेन्द्र सिंह गोंसाई	,, ,,
16	श्री रघुबर दयाल वर्मा	,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 884 पर)

बहराइच जनपद में तहसील कैसरगंज, बहराइच तथा नानपारा में 18 ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनके लिये एम० बी०, बी० एस० डाक्टरों के पद स्वीकृत है। इन 18 डिस्पेंसरी व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 13 में एम० बी०, बी०एस० डाक्टर इस समय कार्यरत हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1—कैसरगंज तहसील में ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी व 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इन तीनों स्थानों पर एम० बी०, बी० एस० डाक्टर तैनात हैं।

2—बहराइच तहसील में 3 ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी तथा 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इन 8 स्थानों में से 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 3 डिस्पेंसरी में एम० बी०, बी० एस० डाक्टर तनात है। शेष दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिक्त हैं।

3—नानपारा तहसील में 4 ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी तथा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इन 7 स्थानों में से 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा 1 डिस्पेंसरी में एम० बी०, बी० एस० डाक्टर तैनात हैं। 3 स्थान रिक्त हैं।

नानपारा विधान सभा क्षेत्र में दो ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी (एक पुरुष तथा एक महिला) हैं। इन दो में से एक में एम० बी०, बी० एस० महिला डाक्टर कार्यरत है और पुरुष चिकित्सालय जो जिला परिषद् का है, रिक्त है।

———

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 886 पर)

प्रदेश के ड़ाक्टरों से रिक्त चिकित्सालयों की सूची

ऐलोपैथिक पुरुष चिकित्सालय

1—स्कूल डिस्पेंसरी	आगरा
2—बिजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	अलीगढ़
3—चलेतर डिस्पेंसरी	अलीगढ़
4—भेसिया छाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	अल्मोड़ा
5—सरस्वतीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	इलाहाबाद
6—लेप्रोसी कन्ट्रोल यूनिट	इलाहाबाद
7—स्कूल डिस्पेंसरी	इलाहाबाद
8—हलदौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बिजनौर
9—कीरतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बिजनौर
10—जूनावाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बदायूं
11—हलुवा डिस्पेंसरी	बस्ती
12—हरिहरपुर रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बहराइच
13—सिरसिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बहराइच
14—चरदा प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र	बहराइच
15—जटा बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	बाराबंकी
16—स्कूल डिस्पेंसरी	देहरादून
17—सलावत नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	एटा
18—राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	इटावा
19—उमरदहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	फतेहगढ़
20—भंवरकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	गाजीपुर
21—शिवपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	गोंडा
22—लेप्रोसी कन्ट्रोल यूनिट	गोंडा
23—बरकईसन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	पौड़ी गढ़वाल
24—रथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	पौड़ी गढ़वाल
25—सुमेरसुत डिस्पेंसरी	पौड़ी गढ़वाल
26—टोडरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	हरदोई
27—स्कूल डिस्पेंसरी	झांसी
28—झकौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	झांसी
29—रेयुना डिस्पेंसरी	कानपुर
30—सहपऊ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	मथुरा
31—सरधना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	मेरठ
32—स्कूल डिस्पेंसरी	मेरठ
33—जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	मिर्जापुर
34—राजगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	मिर्जापुर
35—कोटाबाग डिस्पेंसरी	नैनीताल
36—पटवाडांगर डिस्पेंसरी	नैनीताल
37—लालगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्रतापगढ़
38—पूरनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	पीलीभीत
39—गंगोलीहाट डिस्पेंसरी	पिथौरागढ़
40—लप्रोसी कन्ट्रोल यूनिट, बलवाकोट	पिथौरागढ़
41—इन्हौंना डिस्पेंसरी	रायबरेली
42—बहताकला डिस्पेंसरी	रायबरेली
43—स्कूल डिस्पेंसरी	सहारनपुर
44—मिलंगाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	टेहरी गढ़वाल
45—जौनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	टेहरी गढ़वाल

46--लेप्रोसी कन्ट्रोल यूनिट, बारकोट — उत्तरकाशी
47--मकुर डिस्पेंसरी — उन्नाव
48--गौरीकुन्ड डिस्पेंसरी — चमोली

महिला चिकित्सालय

1--कैरा .. इलाहाबाद
2--अमिला .. आजमगढ़
3--भटरोज खान, 4--बागेश्वर .. अल्मोड़ा
5--मसौली .. बाराबंकी
6--बहेरी .. बरेली
7--बांसी, 8--डोमरियागंज .. बस्ती
9--बिसौली, 10--दातागंज, 11--इसलामनगर, 12--पहेसू, 13--भानपुर .. बदायूं
14--चकिया .. बुलन्दशहर
15--बैरिया, 16--नवानगर .. वाराणसी
17--हल्दौर .. बलिया
18--बरहज .. बिजनौर
19--जलेसार, 20--अलीगंज .. देवरिया
21--सैदपुर, 22--जमनिया .. एटा
23--श्रीनगर .. गाजीपुर
24--शाहाबाद, 25--बिलग्राम, 26--पिहानी .. पौड़ी गढ़वाल
27--शाहगंज .. हरदोई
28--जालौन, 29--कालपी .. जौनपुर
30--सम्पूरनानगर .. उरई
31--गोसाईगंज .. खीरी
32--बड़ौत, 33--भराना .. लखनऊ
34--जनसठ, 35--कैराना .. मेरठ
36--बेहजोई, 37--कांठ, 38--नवगांव सादत .. मुजफ्फरनगर
39--मचुरिया .. मुरादाबाद
40--सिरसागंज .. मनपुरी
41--फतेहपुर .. सहारनपुर
42--तनकपुर, 43--रामनगर .. नैनीताल
44--बेहटा कलां, 45--जायस .. रायबरेली
46--बिसवां .. सितापुर
47--तिलहर .. शाहजहांपुर
48--टेहरी, 49--नरेन्द्रनगर .. टेहरी गढ़वाल
50--फूलपुर, 51--सिरसा .. इलाहाबाद
52--औरा, 53--बिरौन .. वाराणसी
54--मिसरिख .. सीतापुर
55--बाबूरी .. मुजफ्फरनगर
56--पाहो, 57--हिलोई .. रायबरेली
58--चन्दपा .. अलीगढ़
59--अकबरपुर .. फैजाबाद
60--देहुवा .. रायबरेली
61--गौरीगंज .. सुल्तानपुर
62--बाजपुर .. नैनीताल
63--मऊरानीपुर .. झांसी

इन्टीग्रेटेड चिकित्सालय

1--कमेली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र .. इलाहाबाद
2--जलमानी चिकित्सालय, 3--कान्डा चिकित्सालय, 4--जयन्ती चिकित्सालय, 5--जलाली चिकित्सालय — अल्मोड़ा
6--देहगवां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 7--समेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र — बदायूं
8--भंगहा चिकित्सालय, 9--बिसेश्वरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10--तेजवापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 11--बाबागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र — बहराइच

12—भिनगा .. बहराइच
13—ऊदी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र .. इटावा
14—तेयानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र .. फतेहपुर
15—हथियारन चिकित्सालय .. गाजीपुर
16—एकेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
17—कलाल घाटी चिकित्सालय
18—रुद्र प्रयाग } पौड़ी-गढ़वाल
19—बेरी चिकित्सालय
20—भमई चिकित्सालय } हमीरपुर
21—इरिच
22—समभर } झांसी
23—खगरौल चिकित्सालय .. आगरा
24—म्यूरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
25—कोन चिकित्सालय } मिर्जापुर
26—धारी चिकित्सालय
27—पहाड़ पानी चिकित्सालय
28—गढ़ी नेगी चिकित्सालय } नैनीताल
29—देवरिया कलां चिकित्सालय .. पीलीभीत
30—सोशा चिकित्सालय
31—तल्ला डिमार चिकित्सालय } पिथौरागढ़
32—मिर्जापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र . शाहजहांपुर
33—लम्ब गांव चिकित्सालय
34—कोदई पन्थवारी चिकित्सालय
35—अजयसेन चिकित्सालय } टेहरी-गढ़वाल
36—मियागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र .. उन्नाव
37—सोधमुली खदिम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र .. सहारनपुर
38—आराकोट चिकित्सालय
39—गन्गानानी चिकित्सालय
40—बेनवरा } उत्तरकाशी
41—नेतवार चिकित्सालय
42—दौला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
43—अल्लू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र } मेरठ
44—सिकन्दराराव .. अलीगढ़
45—नवाबगंज .. बरेली

होमियोपैथिक चिकित्सालय

1—मनेरा .. मेरठ
2—बुदलामासा .. टेहरी-गढ़वाल
3—अलीपुर मग्गू कलां सहारनपुर
4—फतेहपुर .. एटा

बी० एस० यू० पी०—ए० पी० 22 एल० ए०—1972—845.